[राज्य सभा में पुर:स्थापन के लिए]

[राज्य सभा में पुर:स्थापित रूप में]

2019 का विधेयक संख्यांक XXIX

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019

यह विधेयक मौजूदा जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन और इससे जुड़े अथवा प्रासंगिक मामलों के लिए प्रावधान करता है।

यह भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्न प्रकार अधिनियमित हो:—

भाग–1

प्रारंभिक

1. इस अधिनियम को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 कहा जाएगा। संक्षिप्त नाम।

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

(क) 'नियत तिथि' उस तिथि से अभिप्रेत है, जिसे केन्द्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करेगी;

(ख) ''अनुच्छेद'' संविधान का अनुच्छेद से अभिप्रेत है;

(ग) ''विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र'' और ''संसदीय निर्वाचन क्षेत्र'' का आशय वही है जैसा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) में उल्लेख है;

1950 का 43

(घ) ''चुनाव आयोग'' राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 324 के तहत नियुक्त चुनाव आयोग से अभिप्रेत है;

(ङ) मौजूदा जम्मू और कश्मीर राज्य का आशय जम्मू और कश्मीर राज्य से है, जो नियत तिथि से तत्काल पूर्व अस्तित्व में है, जिसमें जम्मू और कश्मीर भारतीय राज्य में भारत का संविधान लागू होने से तत्काल पूर्व का क्षेत्र शामिल है;

(च) ''कानून' में प्रत्येक अधिनियम, अध्यादेश, विनियम, आदेश, उप-कानून, नियम, स्कीम, अधिसूचना अथवा अन्य लिखित शामिल है जिनमें नियत तिथि से तत्काल पूर्व समग्र मौजूदा जम्मू और कश्मीर राज्य अथवा उसके किसी भाग में कानून की शक्ति विद्यमान है;

(छ) ''विधान सभा'' का आशय जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा से है;

(ज) ''उपराज्यपाल'' का आशय राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक से हैं;

(झ) ''अधिसूचित आदेश'' का आशय शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश से हैं;

(ञ) जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में ''जनसंख्या अनुपात'' का आशय 2011 की जनगणना के अनुसार अनुपात से है;

(ट) संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में ''अनुसूचित जातियों'' का आशय ऐसी जातियों, नस्लों अथवा जनजातियों अथवा इस प्रकार की जातियों, नस्लों अथवा जनजातियों के अंतर्गत समूहों के भागों से है जो कि उस संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुच्छेद 341 के अंतर्गत अनुसूचित जातियां मानी गई हैं;

(ठ) संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में ''अनुसूचित जनजातियों'' का आशय ऐसी जनजातियों अथवा जनजातीय समुदायों अथवा इसके भागों अथवा इस प्रकार की जनजातियों अथवा जनजातीय समुदायों के अंतर्गत समूहों से हैं जो उस संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियां मानी गई हैं;

(ड) संसद के दोनों सदनों अथवा मौजूदा जम्मू और कश्मीर राज्य के विधान मंडल के संबंध में ''वर्तमान सदस्य'' का आशय उस व्यक्ति से है जो नियत दिन से तत्काल पूर्व उस सदन का सदस्य है;

(ढ) मौजूदा जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में ''संघ राज्य क्षेत्र'' का आशय जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र अथवा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, जैसा भी मामला हो, से है;

(ण) ''हस्तांतरित भू-भाग'' से आशय उस भू-भाग से है जिसे नियत दिन को मौजूदा जम्मू और कश्मीर राज्य से इस अधिनियम की धारा 3 और 4 के अंतर्गत सृजित संघ राज्य क्षेत्र में हस्तांतरित किया गया है।

(त) विद्यमान जम्मू और कश्मीर राज्य के किसी जिला, तहसील अथवा अन्य क्षेत्रीय प्रभाग का संदर्भ नियुक्त दिन पर उस क्षेत्रीय प्रभाग के अंतर्गत निहित क्षेत्र के संदर्भ से समझा जाएगा।

भाग-2

जम्मू और कश्मीर राज्य का पुनर्गठन

विधान सभा के बिना लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का सृजन।

3. नियत दिन और उस दिन से एक नये संघ राज्य क्षेत्र का सृजन होगा, जिसे लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा, जिसमें मौजूदा जम्मू और कश्मीर राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं, नामत:—

''कारगिल और लेह जिले'',

और इसके पश्चात उक्त क्षेत्र मौजूदा जम्मू और कश्मीर राज्य के भाग नहीं होंगे।

विधान सभा के साथ जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का सृजन।

4. नियत दिन और उस दिन से एक नये संघ राज्य क्षेत्र का सृजन होगा, जिसे जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा, जिसमें धारा 3 के अंतर्गत निर्धारित क्षेत्रों को छोड़कर मौजूद जम्मू और कश्मीर राज्य के क्षेत्र शामिल होंगे।

मौजूदा जम्मू और कश्मीर राज्य का राज्यपाल संयुक्त रूप से उप-राज्यपाल होगा।

5. नियत दिन और उस दिन से मौजूदा जम्मू और कश्मीर का राज्यपाल जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए उस अवधि हेतु, जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियत किया जाए, उपराज्यपाल होंगे।

संविधान की प्रथम अनुसूची का संशोधन।

6. नियत दिन और उस दिन से संविधान की प्रथम अनुसूची में शीर्षक ''I. राज्यों" के अंतर्गत'',—

(क) प्रविष्टि 15 का निरसन किया जाएगा।

(ख) प्रविष्टियां 16 से 29 को 15 से 28 के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा।

(ग) शीर्षक ''II. संघ शासित क्षेत्रों'',- के अंतर्गत,-

—प्रविष्टि 7 के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तर्विष्ट की जाएंगी, नामश:—

''8. जम्मू और कश्मीर: जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 4 में निर्दिष्ट भू-भाग''।

''9. लद्दाख: जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 3 में निर्दिष्ट भू-भाग''।

जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की सरकार की व्यावृत्ति शक्तियां।

7. इस भाग के पूर्ववर्ती उपबंधों में से कोई भी, नियत दिन के पश्चात् उस राज्य में किसी जिले अथवा अन्य क्षेत्रीय प्रभाग का नाम, क्षेत्र अथवा सीमाओं में परिवर्तन करने संबंधी उत्तरवर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य की सरकार की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगा।

भाग-3

विधायिका में प्रतिनिधित्व

राज्य सभा

संविधान की चौथी अनुसूची का संशोधन।

8. नियत दिन और उस दिन से तालिका में संविधान की चौथी अनुसूची में—

(क) प्रविष्टि 21 का निरसन किया जाएगा;

(ख) प्रविष्टि 22 से 31 की प्रविष्टियों को 21 से 30 क्रमश: के रूप में पुर्नसंख्यांकित किया जाएगा;

(ग) प्रविष्टि 30 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तर्विष्ट की जाएगी:—

''31. जम्मू और कश्मीर.....4''

वर्तमान सदस्यों का आबंटन।

9. (*1*) नियत दिन और उस दिन से मौजूदा जम्मू और कश्मीर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सभा के चार वर्तमान सदस्यों को जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित सीटों को भरने के लिए चयनित समझा जाएगा, जैसाकि इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची में उल्लेख किया गया है।

(*2*) इन वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल अपरिवर्तित रहेगा।

लोक सभा

लोक सभा में प्रतिनिधित्व।

10. नियत दिन और उस दिन से लोक सभा में उत्तरवर्ती जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को पांच सीटें तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र को 1 सीट आबंटित की जाएगी तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की प्रथम सूची को तदनुसार संशोधित समझा जाएगा।

1950 का 43

संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन।

11. (1) नियत दिन और उस दिन से संसदीय निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 संशोधित माना जाएगा, जैसा कि इस अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में निर्देशित हैं। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976

(2) चुनाव आयोग इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में निर्दिष्ट सीटों के आवंटन के अनुसार जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए लोक सभा चुनाव करा सकता है।

वर्तमान सदस्यों के लिए उपबंध।

12. (1) कोई भी निर्वाचन क्षेत्र जो धारा 10 के उपबंधों के मद्देनजर नियत दिन पर सीमाओं में परिवर्तन के साथ अथवा परिवर्तन के बिना उत्तरवर्ती जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र अथवा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, जैसा भी मामला हो, को आबंटित हो गया है, का प्रतिनिधित्व करने वाला लोक सभा का प्रत्येक वर्तमान सदस्य उस निर्वाचन क्षेत्र द्वारा लोक सभा के लिए चयनित किया गया समझा जाएगा।

(2) इन वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल अपरिवर्तित रहेगा।

जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का उपराज्यपाल और विधान सभा

संविधान के अनुच्छेद 239क की प्रयोज्यता।

13. नियत दिन और उस दिन से अनुच्छेद 239क में निहित उपबंध, जो कि ''पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र'' पर लागू हैं, ''जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र पर भी लागू होंगे।

जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधान सभा और उसका गठन।

14. (1) जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के अंतर्गत एक प्रशासक नियुक्त किया जाएगा और उस संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल के रूप में पदनामित किया जाएगा।

(2) जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक विधान सभा होगी।

(3) जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा में प्रत्यक्ष चुनावों द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या 107 होगी।

(4) उप-धारा (3) में किसी बात के निहित होने के बावजूद, जब तक कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के भू-भाग का अधिग्रहण नहीं होता है और उस क्षेत्र में रह रहे लोग अपने प्रतिनिधि नहीं चुनते हैं, तब तक:—

(क) जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा में चौबीस सीटें रिक्त रहेंगी और सभा की कुल सदस्यता के रूप में इनकी गणना नहीं की जाएगी;

(ख) कथित क्षेत्र अथवा सीटें क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में निर्धारण में शामिल नहीं होगी जैसा कि इस अधिनियम के भाग V में व्यवस्था की गई है।

(5) नियत दिन और उस दिन से विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1995 जो जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र पर लागू होता है, संशोधित समझा जाएगा, जैसाकि इस अधिनियम की तीसरी अनुसूची में निर्देशित है।

(6) जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी।

(7) उप-धारा 6 के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या विधान सभा में सीटों की कुल संख्या के उस अनुपात में होगी, जिस अनुपात में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों अथवा जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों, जिनके लिए सीटें इस प्रकार आरक्षित की गई हैं, की संख्या है।

स्पष्टीकरण: इस उप-धारा में अभिव्यक्ति ''जनसंख्या'' का आशय उस जनसंख्या से है जैसा कि विगत पूर्ववर्ती जनगणना में निर्धारित की गई है, जिसके संबंधित आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं।

परन्तु यह कि विगत पूर्ववर्ती जनगणना जिसके आंकड़े प्रकाशित हो गये हैं, के स्पष्टीकरण के संदर्भ को, जब तक वर्ष 2026 के पश्चात् की जाने वाली प्रथम जनगणना के संबंधित आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, 2011 की जनगणना का संदर्भ समझा जाएगा।

(8) उप-धारा (6) में किसी बात के निहित होने के बावजूद जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा में अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण उस दिन से प्रभावी नहीं होगा, जिस दिन से भारत के संविधान के अनुच्छेद 334 के अंतर्गत लोक सभा में अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रभावी नहीं रहेगा।

1950 का 43

(9) जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की दूसरी अनुसूची में शीर्षक ''I राज्यों'' के अंतर्गत:—

''(क) प्रविष्टि 10 का निरसन किया जायेगा''

''(ख) प्रविष्टियां 11 से 29 को 10 से 28 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा''

1950 का 43

(10) जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की दूसरी अनुसूची में शीर्षक ''II संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत:—

(क) प्रविष्टि चार के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तर्विष्ट की जाएगी, नामश:—

1	2	3	4	5	6	7
–5. जम्मू और कश्मीर	83	6	....	83	6	....

(11) भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से 327 तक के और 329 के उपबंध जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र, उसकी विधान सभा और उसके सदस्यों के संबंध में उसी तरह लागू होंगे जैसे वे क्रमश: किसी राज्य, किसी राज्य की विधान सभा और उसके सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं; और अनुच्छेद 326 और 329 में ''उपयुक्त विधानमंडल'' का कोई संदर्भ संसद का संदर्भ माना जाएगा।

महिलाओं का प्रतिनिधित्व।

15. धारा 14 की उप-धारा (3) की किसी बात के बावजूद, यदि उत्तरवर्ती जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के उप-राज्यपाल की राय में विधान सभा में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो तो वे महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए विधान सभा में दो सदस्यों को नामित कर सकते हैं।

विधान सभा की सदस्यता के लिए योग्यता।

16. कोई व्यक्ति विधान सभा में किसी सीट को भरने के लिए चुने जाने हेतु तब तक योग्य नहीं होगा—

(क) जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो और निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष इस अधिनियम की चौथी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ न ले अथवा प्रतिज्ञान न करे;

(ख) जब तक कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष न हो गई हो; और

(ग) जब तक कि उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं न हों जो इस संबंध में संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा अथवा उसके अंतर्गत निर्धारित की जाएं।

विधान सभा का कार्यकाल।

17. विधान सभा, जब तक कि इसे जल्दी भंग न किया जाए, इसकी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक रहेगी और उसके बाद नहीं रहेगी, तथा पांच वर्ष की उक्त अवधि समाप्त होने पर विधान सभा भंग हो जाएगी;

परन्तु यह कि अनुच्छेद 352 के खंड (1) के अंतर्गत जारी की गई आपात स्थिति की उद्घोषणा लागू रहने के दौरान उक्त अवधि को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक समय में एक वर्ष की अनधिक अवधि तक बढ़ाया जा सकता है और उक्त उद्घोषणा के लागू न रहने पर इस अवधि को किसी भी सूरत में छ: माह की अवधि के बाद नहीं बढ़ाया जा सकता है।

विधान सभा के सत्र, सत्रावसान और इसे भंग किया जाना।

18. (1) उप-राज्यपाल, समय-समय पर, ऐसे समय और स्थान पर, जो वह उचित समझे, विधानसभा की बैठक बुलाएगा किंतु एक सत्र में इसकी अंतिम बैठक और अगले सत्र में इसकी पहली बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छ: माह का अंतर नहीं होगा।

(2) उप-राज्यपाल, समय-समय पर,—

(क) सदन का सत्रावसान कर सकेगा;

(ख) विधान सभा को भंग कर सकेगा;

विधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष।

19. (1) विधान सभा यथाशीघ्र दो सदस्यों को चुनेगी जो क्रमश: इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे तथा जब कभी अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा विधान सभा किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, चुनेगी।

(2) विधान सभा के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष का पद धारण करने वाला कोई सदस्य—

(क) विधान सभा का सदस्य न रहने पर अपना पद छोड़ देगा;

(ख) यदि वह सदस्य अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को और यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को अपने हस्ताक्षर से पत्र लिखकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है;

(ग) उसे विधान सभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित विधान सभा के संकल्प द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है;

परंतु यह कि खंड (ग) के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक पेश नहीं किया जाएगा, जब तक कि संकल्प पेश करने के आशय के बारे में कम से कम पन्द्रह दिन का नोटिस न दिया गया हो;

परन्तु यह कि जब कभी विधान सभा भंग की जाए तो अध्यक्ष विधान सभा के भंग होने के बाद विधान सभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक अपना पद नहीं छोड़ेगा।

(3) अध्यक्ष का पद रिक्त रहने के दौरान इस पद के कर्त्तव्यों का निर्वहन उपाध्यक्ष अथवा यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो तो उस विधायक द्वारा किया जाएगा जिसे विधान सभा के प्रक्रिया नियमों द्वारा निर्धारित किया जाए।

(4) विधान सभा की किसी बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अथवा यदि वह भी अनुपस्थित हो तो कोई ऐसा व्यक्ति, जिसे विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के द्वारा निर्धारित किया जाए, या यदि इस प्रकार का कोई व्यक्ति उपस्थित न हो तो विधान सभा द्वारा निर्धारित कोई अन्य व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

(5) विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ऐसे वेतन और भत्तों का भुगतान किया जाएगा जो जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा द्वारा कानून के तहत क्रमश: निर्धारित किए जाएं और जब तक इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतनों और भत्तों का भुगतान किया जाएगा जो उप-राज्यपाल आदेश के द्वारा निर्धारित करे।

अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन होने के दौरान उनके द्वारा अध्यक्षता नहीं किया जाना।

20. (1) विधान सभा की किसी बैठक में जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो अध्यक्ष, अथवा जब उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाए जाने का प्रत्ताव विचाराधीन हो तो उपाध्यक्ष, भले ही वे मौजूद हों, अध्यक्षता नहीं करेगा और धारा 19 की उप-धारा (4) के उपबंध इस प्रकार की प्रत्येक बैठक के संबंध में उसी तरह लागू होंगे जैसे वे उस बैठक, जिससे अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष जैसा भी मामला हो, अनुपस्थित रहते हैं, के संबंध में लागू होते हैं;

(2) जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाए जाने का प्रस्ताव विधान सभा में विचाराधीन हो तो उसे विधान सभा में बोलने और अन्यथा विधान सभा की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा और वह धारा 25 की किसी बात के बावजूद, इस प्रकार के प्रस्ताव पर अथवा इस प्रकार की कार्यवाहियों के दौरान अन्य किसी मामले में केवल प्रथमत: मतदान करने का हकदार होगा किन्तु वह बराबर मतों की स्थिति में मतदान करने का हकदार नहीं होगा।

विधान सभा में उप-राज्यपाल का विशेष अभिभाषण।

21. (1) विधान सभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में उप-राज्यपाल विधान सभा में अभिभाषण देंगे तथा विधान सभा को इसकी बैठक बुलाए जाने के कारणों के बारे में सूचित करेंगे।

(2) इस प्रकार के अभिभाषण में उल्लिखित मामलों पर चर्चा के लिए समय आबंटन के संबंध में प्रावधान विधान सभा की प्रक्रिया को विनियमित करने संबंधी नियमों द्वारा किया जाएगा।

विधान सभा के संबंध में मंत्रियों और महाअधिवक्ता के अधिकार।

22. जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के प्रत्येक मंत्री और महाअधिवक्ता को विधान सभा में बोलने और अन्यथा इसकी कार्यवाहियों में भाग लेने और विधान सभा की किसी समिति, जिसका उसे सदस्य बनाया जाए, में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु वह इस धारा के तहत मतदान करने का हकदार नहीं होगा।

विधान सभा में अभिभाषण देने और उसको संदेश भेजने के संबंध में उप-राज्यपाल के अधिकार।

23. (1) उप-राज्यपाल विधान सभा को संबोधित कर सकता है और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों से उपस्थित रहने की अपेक्षा कर सकता है;

(2) उप-राज्यपाल विधान सभा में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में अथवा अन्यथा विधान सभा को संदेश भेज सकता है और जब इस प्रकार का संदेश भेजा जाए तो विधान सभा, संदेश द्वारा विचार किए जाने के लिए भेजे गए मामले पर अपनी सुविधानुसार विचार करेगी।

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान।

24. विधान सभा का प्रत्येक सदस्य, अपनी सीट ग्रहण करने से पूर्व उक्त संघ राज्य क्षेत्र के उप-राज्यपाल अथवा इस संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष इस अधिनियम की चौथी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ लेगा अथवा प्रतिज्ञान करेगा।

विधान सभा में मतदान, रिक्तियों और कोरम के बावजूद विधान सभा की कार्य करने की शक्ति।

25. (1) इस अधिनियम में अन्यथा किए गए उपबंध के सिवाय विधान सभा की किसी बैठक में सभी प्रश्नों का निर्धारण अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति से भिन्न मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से होगा।

(2) अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमत: मतदान नहीं करेगा, किन्तु उसका मत होगा और बराबर मतों की स्थिति में वह उसका प्रयोग करेगा।

(3) विधान सभा को, इसके किसी सदस्य की सदस्यता की रिक्ति के बावजूद कार्य करने की शक्ति होगी और विधान सभा की कोई कार्यवाहियां बाद में इस बात के पता चलने के बावजूद वैध होंगी कि कोई व्यक्ति, जो कार्यवाहियों में बैठने अथवा मतदान करने अथवा अन्यथा भाग लेने के लिए हकदार नहीं था, ने ऐसा किया था।

(4) विधान सभा की बैठक के लिए कोरम में सदस्यों की संख्या दस अथवा विधान सभा के कुल सदस्यों की 1/10, इनमें से जो भी अधिक हो, होगी।

(5) यदि विधान सभा की किसी बैठक के दौरान कोरम पूरा न हो तो अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह दायित्व होगा कि वह या तो विधान सभा को आस्थगित कर दे अथवा कोरम पूरा होने तक बैठक को स्थगित कर दे।

सीटों का रिक्त होना।

26. (1) कोई व्यक्ति संसद और विधान सभा दोनों का सदस्य नहीं होगा और यदि किसी व्यक्ति को संसद और विधान सभा दोनों का सदस्य चुना जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने पर संसद में उस व्यक्ति की सीट रिक्त हो जाएगी जब तक कि उसने उक्त संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा में अपनी सीट से पहले त्यागपत्र न दिया हो।

(2) यदि विधान सभा का कोई सदस्य—

(क) धारा 27 या धारा 28 में उल्लेख किए गए अनुसार विधान सभा की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाता है; या

(ख) अध्यक्ष को अपने हस्ताक्षर लिखित में अपना त्यागपत्र देता है और उसके त्यागपत्र को अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो

उसकी सीट रिक्त हो जाएगी।

(3) यदि विधान सभा का कोई सदस्य विधान सभा की अनुमति के बिना इसकी सभी बैठकों से साठ दिन की अवधि तक अनुपस्थित रहता है तो विधान सभा उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकती है;

परन्तु यह कि साठ दिन की इस अवधि की गणना करने में उस अवधि की गणना नहीं की जाएगी जिसके दौरान बैठक का सत्रावसान कर दिया गया हो अथवा उसे लगातार चार से अधिक दिन तक आस्थगित कर दिया गया हो।

सदस्यता के लिए अयोग्यता।

27. (1) कोई व्यक्ति विधान सभा का सदस्य चुने जाने अथवा बनने के लिए अयोग्य हो जाएगा—

(क) यदि वह भारत सरकार अथवा किसी राज्य की सरकार अथवा जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की सरकार अथवा अन्य किसी संघ राज्य क्षेत्र की सरकार अथवा प्रशासन के अंतर्गत किसी लाभ के पद अथवा संसद द्वारा अथवा विधान सभा द्वारा बनाए गए ऐसे पद, जिसके धारक को कानून के द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, से भिन्न किसी पद को धारित करता है; अथवा

(ख) यदि उसे फिलहाल अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उप-खंड (ख), उप-खंड (ग) अथवा उप-खंड (घ) के उपबंधों अथवा उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाए गए किसी कानून के अंतर्गत संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने अथवा उसका सदस्य बनने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति को केवल इस कारण से भारत सरकार अथवा किसी राज्य की सरकार अथवा जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की सरकार अथवा किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के अधीन लाभ के पद पर आसीन नहीं माना जाएगा कि वह उस संघ अथवा ऐसे राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र का मंत्री है।

(3) यदि ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि क्या विधान सभा का कोई सदस्य उप-धारा (1) और (2) के उपबंधों के अंतर्गत अयोग्य हो गया है तो यह प्रश्न निर्णय के लिए उप-राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

(4) इस प्रकार के किसी प्रश्न पर कोई निर्णय लेने से पूर्व उप-राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा तथा उस राय के अनुसार कार्य करेगा।

सदस्य के रूप में दल-बदल करने के आधार पर अयोग्यता।

28. संविधान की दसवीं अनुसूची के उपबंध आवश्यक आशोधनों के अध्यधीन (जिनमें किसी राज्य की विधान सभा के लिए संदर्भों की व्याख्या हेतु, और जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा के लिए संदर्भों के रूप में अनुच्छेद 188, अनुच्छेद 194 तथा अनुच्छेद 212 यथास्थिति इस अधिनियम की धारा 30 और धारा 50 के संबंध में संशोधन शामिल हैं) जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा के लिए तथा उसके सदस्यों के संबंध में इसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी राज्य की विधान सभा के लिए और उसके सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं, और तदनुसार,—

(क) इस प्रकार आशोधित उक्त दसवीं अनुसूची को इस अधिनियम का भाग माना जाएगा; और

(ख) यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार आशोधित उक्त दसवीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्य कर दिया जाता है तो वह व्यक्ति विधान सभा का सदस्य बनने के लिए अयोग्य हो जाएगा।

शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने से पूर्व अथवा उसे योग्य घोषित न किए जाने अथवा अयोग्य घोषित किए जाने पर सदन में बैठने और मतदान करने के लिए दंड।

29. यदि कोई व्यक्ति धारा 24 की अपेक्षाओं का पालन करने से पूर्व तथा यह जानते हुए कि वह विधान सभा की सदस्यता के लिए योग्य नहीं है अथवा वह उसके लिए अयोग्य है, अथवा उसे संसद अथवा जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा द्वारा बनाए गए किसी कानून के अंतर्गत निषेध किए जाने पर भी विधान सभा में सदस्य के रूप में बैठता है अथवा उसके लिए मतदान करता है तो उससे प्रत्येक ऐसे दिन, जिस दिन वह बैठता है अथवा मतदान करता है, के संबंध में पांच सौ रु॰ के हिसाब से दंड वसूला जाएगा जो संघ राज्य क्षेत्र को देय होगा।

सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि।

30. (1) इस अधिनियम के उपबंधों तथा विधान सभा की प्रक्रिया को विनियमित करने संबंधी नियमों और स्थायी आदेशों के अध्यधीन विधान सभा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी।

(2) विधान सभा के किसी भी सदस्य पर, विधान सभा में अथवा उसकी किसी समिति में उसके द्वारा कही गई किसी बात अथवा दिए गए मत के संबंध में, किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं चलाई जाएगी और किसी को इस प्रकार की सभा द्वारा अथवा उसके प्राधिकार के अंतर्गत किसी रिपोर्ट, पेपर के प्रकाशन, मतों अथवा कार्रवाहियों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

(3) अन्य मामलों में विधान सभा, उसके सदस्यों तथा उसकी समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा (इम्युनिटी) वह होंगी जो तत्समय लोक सभा और इसके सदस्यों और समितियों को प्राप्त हों।

(4) उप-धारा (1), (2) और (3) के उपबंध उन व्यक्तियों के संबंध में, जिनको इस अधिनियम के तहत विधान सभा अथवा इसकी किसी समिति में बोलने तथा इनकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है, उसी प्रकार प्राप्त होंगे जैसे वे विधान सभा के सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं;

सदस्यों के वेतन और भत्ते।

31. विधान सभा के सदस्य इस प्रकार के वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो विधान सभा द्वारा समय-समय पर कानून के द्वारा निर्धारित किए जाएं और जब तक इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया जाए तब तक वे ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे जो उप-राज्यपाल के आदेश द्वारा निर्धारित किए जाएं।

विधायी शक्ति का विस्तार ।

32. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन विधान सभा, प्रविष्टि 1 और 2 में उल्लिखित विषयों अर्थात् क्रमश: ''लोक व्यवस्था'' और ''पुलिस'' के सिवाय राज्य सूची में अथवा भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में उल्लिखित मामलों, जहां तक इस प्रकार का मामला इस प्रकार के संघ राज्य क्षेत्र में लागू होता है, के संबंध में संपूर्ण जम्मू और कश्मीर अथवा इसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है।

(2) उप-धारा (1) की कोई भी बात जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए किसी विषय के संबंध में विधियां बनाने हेतु संविधान द्वारा संसद को प्रदत्त शक्तियों को कम नहीं करेगी।

संघ की संपत्ति को कराधान से छूट।

33. संघ की संपत्ति को, जहां तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित करे, के सिवाय विधान सभा द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अंतर्गत या जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में लागू किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अंतर्गत सभी करों से छूट प्राप्त होगी:

परन्तु यह कि इस धारा की कोई भी बात, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित न करे, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के भीतर किसी प्राधिकारी को संघ की किसी ऐसी संपत्ति पर कर लगाने से नहीं रोकेगी, जिससे ऐसी संपत्ति संविधान लागू होने से ठीक पहले उस संघ राज्य क्षेत्र में कर लगाये जाने के लिए दायी होगा या दायी माना जाएगा जब तक कि वह कर उस संघ राज्य क्षेत्र में लगाया जाता रहा है।

कतिपय विषयों के संबंध में विधान सभा द्वारा पारित विधियों पर प्रतिबंध।

34. (1)अनुच्छेद 286, 287 और 288 के उपबंध उन अनुच्छेदों में उल्लिखित किसी विषय के संबंध में विधान सभा द्वारा पारित किसी विधि के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उन विषयों के संबंध में राज्य के विधान मंडल द्वारा पारित किसी विधि के संबंध में लागू होते हैं।

(2) अनुच्छेद 304 के उपबंध आवश्यक आशोधनों के पश्चात उस अनुच्छेद में उल्लिखित किसी विषय के संबंध में विधान सभा द्वारा पारित किसी विधि के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उन विषयों के संबंध में राज्य के विधान मंडल द्वारा पारित किसी विधि के संबंध में लागू होते हैं।

संसद द्वारा बनाई गई विधियों और विधान सभा द्वारा बनाई गई विधियों के बीच असंगति।

35. यदि संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची में वर्णित विषयों के संबंध में विधान सभा द्वारा बनाई गई किसी विधि का कोई उपबंध उस विषय के संबंध में संसद द्वारा बनाई गई विधि के किसी उपबंध के प्रतिकूल है, चाहे वह विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि से पहले या उसके उपरांत पारित किया गया हो, या यदि संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में वर्णित किसी विषय के संबंध में विधान सभा द्वारा बनाई किसी विधि का कोई उपबंध उस विषय के संबंध में विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि से भिन्न किसी पूर्व विधि के किसी उपबंध के प्रतिकूल है, तो दोनों मामलों में यथास्थिति संसद द्वारा बनाई गई विधि या ऐसी पूर्व की विधि माननी होगी और संघ राज्य क्षेत्र की बनाई गई विधि प्रतिकूलता की सीमा तक लागू नहीं होगी:

परन्तु यह कि यदि विधान सभा द्वारा बनाई गई ऐसी विधि राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रखी गई है और उसे उनकी सहमति प्राप्त हुई है तो ऐसी विधि जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में मान्य होगी:

परन्तु यह और कि इस धारा की कोई भी बात संसद को ऐसे ही विषय, जिसमें विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि में कोई विधि जुड़ना, संशोधित करना, उसमें अंतर करना या उसको निरस्त करना शामिल है, के संबंध में किसी विधि को किसी भी समय अधिनियमित करने से नहीं रोकेगी।

वित्तीय विधेयकों के लिए विशेष उपबंध।

36. (*1*) उप-राज्यपाल की सिफारिश पर के सिवाय, विधान सभा में कोई विधेयक पुर:स्थापित नहीं किया जाएगा या संशोधन नहीं लाया जाएगा, यदि ऐसे विधेयक या संशोधन में निम्नलिखित में से किसी विषय हेतु उपबंध किया गया हो, अर्थात्:—

(क) किसी कर का अधिरोपण, समापन, माफी, परिवर्तन या विनियमन;

(ख) किसी वित्तीय दायित्वों के संबंध में संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा किए गए या किए जाने वाले विधि का संशोधन;

(ग) संघ राज्य क्षेत्र की समेकित निधि में से धनराशि का विनियोजन;

(घ) किसी व्यय को संघ राज्य क्षेत्र की समेकित निधि पर प्रभारित व्यय या ऐसे किसी व्यय की धनराशि की वृद्धि की घोषणा;

(ङ) संघ राज्य क्षेत्र की समेकित निधि या संघ राज्य क्षेत्र की लोक लेखा के मद्दे धनराशि की प्राप्ति या ऐसी धनराशि की अभिरक्षा या निर्गम या संघ राज्य क्षेत्र के लेखा की लेखा परीक्षा;

परंतु यह कि किसी कर को कम करने या समाप्त करने के लिए उपबंध करते हुए किसी संशोधन को लाने हेतु इस उप-धारा के अंतर्गत कोई सिफारिश अपेक्षित नहीं होगी।

(2) किसी विधेयक या संशोधन को, केवल इस कारण से उपर्युक्त किसी विषय हेतु उपबंध करता नहीं माना जाएगा कि इसमें जुर्माना या अन्य वित्तीय शास्तियां लगाने का उपबंध किया गया है या लाइसेंसों हेतु फीस की मांग या भुगतान या प्रदान की गई सेवा के लिए फीस के भुगतान हेतु मांग का उपबंध किया गया है या इस कारण से कि इसमें स्थानीय उद्देश्यों के लिए किसी स्थानीय प्राधिकरण या निकाय द्वारा किसी कर के अधिरोपण, समापन, माफी परिवर्तन या विनियमन का उपबंध किया गया है।

(3) किसी विधेयक को, जिसमें, यदि यह अधिनियमित किया जाता है और प्रचालन में लाया जाता है, संघ राज्य क्षेत्र की समेकित निधि से व्यय शामिल होगा, संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा द्वारा पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उप-राज्यपाल ने विधान सभा से इस विधयेक पर विचार किए जाने की सिफारिश नहीं की हो।

विधेयकों के व्यपगत होने से संबंधित प्रक्रिया।

37. (*1*) विधानसभा में लंबित विधेयक, विधानसभा के अवसान के कारण व्यपगत नहीं होगा।

(*2*) कोई विधेयक, जो विधानसभा में लंबित है, विधान सभा के विघटन के बाद व्यपगत नहीं होगा।

विधेयक पर सहमति।

38. जब कोई विधेयक, विधान सभा द्वारा पारित किया गया है तो वह उप-राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाएगा तथा उप-राज्यपाल या तो यह घोषणा करेंगे कि वह विधेयक से सहमत हैं या यह घोषणा करेंगे कि वह उसपर सहमत नहीं हैं या यह कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखते हैं:

परंतु यह कि उप-राज्यपाल सहमति के लिए उनको विधेयक प्रस्तुत किए जाने के यथासंभव उपरांत, विधेयक को, यदि यह वित्त विधेयक नहीं है, इस अनुरोध के संदेश के साथ वापस करेंगे कि विधान सभा विधेयक या उसके किसी विनिर्दिष्ट उपबंधों पर पुनर्विचार करेगी और विशेषकर किसी ऐसे संशोधनों को पुर:स्थापित करने की वांछनीयता पर विचार करेगी जो वह अपने संदेश में सिफारिश करेंगे और जब विधेयक को इस प्रकार लौटाया जाता है तो विधान सभा विधेयक पर तदनुसार पुनर्विचार करेगी और यदि विधेयक, संशोधन के साथ या उसके बिना दोबारा पारित किया जाता है और सहमति के लिए उप-राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है तो उप-राज्यपाल या तो यह घोषणा करेंगे कि वह विधेयक से सहमत हैं या उन्होंने राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रख लिया है:

परंतु यह और कि उप-राज्यपाल किसी ऐसे विधेयक पर सहमति नहीं देंगे बल्कि राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखेंगे जिससे,—

(क) उप-राज्यपाल की राय में, यदि यह कानून बन गए, तो उच्च न्यायालय की शक्तियों का इतना हनन होगा कि न्यायालय की वह स्थिति खतरे में पड़ जाएगी जो संविधान द्वारा भरा जाना आशयित है; या

(ख) जो अनुच्छेद 31क के खंड (1) में विनिर्दिष्ट किसी विषय से संबंधित है; या

(ग) राष्ट्रपति आदेश द्वारा अपने विचार हेतु इसे सुरक्षित रखे जाने का निदेश दे सकते हैं।

स्पष्टीकरण—इस धारा तथा धारा 39 के प्रयोजनों के लिए, किसी विधेयक को वित्त विधेयक माना जाएगा यदि इसमें केवल धारा 36 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं विषयों या उन विषयों में से किसी विषय के अनुषांगिक विषय से संबंधित उपबंध हों तथा दोनों मामले में विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा उस पर हस्ताक्षर के साथ यह प्रमाणपत्र पृष्ठांकित किया जाएगा कि यह वित्त विधेयक है।

विचार के लिए सुरक्षित विधेयक।

39. जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए उप-राज्यपाल द्वारा सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति या तो यह घोषणा करेंगे कि वह विधेयक से सहमत हैं या वह उस पर सहमति रोक लेते हैं:

परंतु यह कि जहां विधेयक वित्त विधेयक नहीं है, वहां राष्ट्रपति उप-राज्यपाल को निदेश दे सकते हैं कि वह विधेयक को इस संदेश के साथ विधान सभा को वापस कर दें, जो धारा 38 के प्रथम परंतुक में उल्लिखित है और जब विधेयक को इस प्रकार लौटाया जाता है तो विधानसभा ऐसे संदेश की प्राप्ति की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर इस पर तद्नुसार विचार करेगी और यदि इसे संशोधन के साथ या संशोधन के बिना विधानसभा द्वारा पारित किया जाता है तो इसे दोबारा राष्ट्रपति के विचार के लिए उन्हें प्रस्तुत किया जाएगा।

केवल प्रक्रिया के विषय मानी जाने वाली स्वीकृति और सिफारिश से संबंधित अपेक्षा।

40. विधान सभा का कोई भी अधिनियम और किसी ऐसे अधिनियम में कोई भी उपबंध केवल इस कारण से अवैध नहीं होगा कि इस अधिनियम के लिए अपेक्षित पूर्व स्वीकृति राष्ट्रपति द्वारा नहीं दी गई या सिफारिश नहीं की गई, यदि उस अधिनियम पर उप-राज्यपाल द्वारा सहमति दी गई या राष्ट्रपति के विचार के लिए उप-राज्यपाल द्वारा इसे सुरक्षित रखा गया।

वार्षिक वित्तीय विवरण।

41. (*1*) उप-राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा के समक्ष उस वर्ष के लिए संघ राज्य क्षेत्र की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण, जिसे इस भाग में ''वार्षिक वित्तीय विवरण'' कहा गया है, को प्रस्तुत करवायेंगे।

(*2*) वार्षिक वित्तीय विवरण में निहित व्यय के अनुमानों में निम्नलिखित को पृथक रूप से दर्शाया जाएगा—

(क) ऐसी धनराशि जो इस अधिनियम द्वारा जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की समेकित निधि पर प्रभारित व्यय के रूप में वर्णित व्यय को पूरा करने हेतु अपेक्षित है, तथा

(ख) ऐसी धनराशि जो जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की समेकित निधि से किए जाने के लिए प्रस्तावित अन्य व्यय को पूरा करने हेतु अपेक्षित है तथा यह राजस्व लेखे पर व्यय को अन्य व्यय से भिन्न बनाएगी।

(3) निम्नलिखित व्यय जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की समेकित निधि पर प्रभारित व्यय होगा:—

(क) उप-राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते तथा उनके कार्यालय से संबंधित अन्य व्यय;

(ख) ब्याज, सिंकिंग फंड प्रभारों तथा पुनरुद्धार प्रभारों तथा उनसे संबंधित अन्य व्यय सहित जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को अग्रिम रूप से दिए गए ऋणों के संबंध में व्यय प्रभार;

(ग) विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते;

(घ) जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते से संबंधित व्यय;

(ङ) ऐसी धनराशियां जो किसी न्यायालय या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के किसी निर्णय, डिक्री या अवार्ड के लिए अपेक्षित हो;

(च) उप-राज्यपाल द्वारा उनकी विशेष जिम्मेदारी के निर्वहन में उपगत व्यय;

(छ) कोई अन्य व्यय जो संविधान या संसद द्वारा बनाई गई विधि या जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा द्वारा इस प्रकार प्रभारित व्यय घोषित किया गया हो।

अनुमानों के संबंध में विधान सभा में प्रक्रिया।

42. (*1*) ऐसे सभी अनुमान,जो जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की समेकित निधि पर प्रभारित व्यय से संबंधित हैं, पर विधान सभा में मतदान नहीं कराया जाएगा, किंतु इस उपधारा में निहित किसी भी बात को विधान सभा में ऐसे किन्हीं अनुमानों के बारे में चर्चा करने से रोकना नहीं माना जाएगा।

(*2*) ऐसे सभी उक्त अनुमान जो अन्य व्यय से संबंधित हैं, को विधान सभा में अनुदान मांग के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा और विधान सभा को किसी मांग पर सहमति देने या सहमति देने से इंकार करने या उसमें विनिर्दिष्ट धनराशि को कम करने के अध्यधीन किसी मांग पर सहमति देने का अधिकार होगा।

(*3*) उप-राज्यपाल की सिफारिश पर के सिवाय किसी अनुदान के लिए मांग नहीं की जाएगी।

विनियोजन विधेयक।

43. (*1*) विधान सभा द्वारा धारा 42 के अंतर्गत अनुदान दिए जाने के यथाशीघ्र बाद, निम्नलिखित को पूरा करने के लिए अपेक्षित सभी धनराशियों का संघ राज्य क्षेत्र की समेकित निधि में से विनियोजन का प्रावधान करने हेतु एक विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा—

(क) विधान सभा द्वारा इस प्रकार दिया गया अनुदान, तथा

(ख) जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की समेकित निधि पर प्रभारित व्यय किंतु यह किसी भी मामले में विधान सभा के समक्ष पूर्व में रखे गए विवरण में दर्शायी गई राशि से अधिक नहीं होगा।

(2) विधान सभा में किसी ऐसे विधेयक पर कोई संशोधन का प्रस्ताव नहीं किया जाएगा जिसका किसी राशि में अंतर लाने या इस प्रकार किए गए किसी अनुदान के लक्ष्य को परिवर्तित करने या जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की समेकित निधि पर प्रभारित किसी व्यय की राशि में अंतर लाने का प्रभाव होगा तथा इस बारे में कि क्या संशोधन इस उपधारा के अंतर्गत अननुमेय है, पीठासीन व्यक्ति का निर्णय अंतिम होगा।

(3) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, किसी भी वित्त विधयेक को, इस धारा के उपबंधों के अनुसार पारित विधि द्वारा किए गए विनियोजन के अंतर्गत के सिवाय संघ राज्य क्षेत्र की समेकित निधि से वापस नहीं लिया जाएगा।

अनुपूरक, अतिरिक्त या अतिरेक अनुदान।

44. (1) उप-राज्यपाल यथास्थिति विधान सभा के समक्ष उस व्यय की अनुमानित राशि को दर्शाते हुए दूसरा विवरण प्रस्तुत करवाएगा या ऐसे पूर्व अनुमोदन के साथ विधान सभा में ऐसे अतिरेक हेतु मांग को प्रस्तुत करवाएगा—

(क) यदि धारा 43 के उपबंधों के अनुसार बनाई गई किसी विधि द्वारा प्राधिकृत राशि, जिसे चालू वित्तीय वर्ष हेतु विशेष सेवा के लिए खर्च किया जाना है, उस वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पाया जाता है या जब चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उस वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण में विचार नहीं की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय हेतु आवश्यकता पड़ गई हो, या

(ख) यदि किसी सेवा या उस वर्ष के लिए प्रदान की गई राशि से अधिक कोई धनराशि किसी वित्तीय वर्ष में उस सेवा पर खर्च की गई हो;

(2) धारा 41, 42 और 43 के उपबंधों का प्रभाव, किसी ऐसे विवरण और व्यय या मांग के संबंध में तथा किसी ऐसी विधि के संबंध में, जो ऐसी मांग के संबंध में ऐसे व्यय या अनुदान को पूरा करने के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की समेकित निधि की धनराशि के विनियोजन को प्राधिकृत करते हुए बनायी जानी है, वही होगा जो प्रभाव उनका वार्षिक वित्तीय विवरण तथा उसमें उल्लिखित व्यय या किसी

अनुदान हेतु मांग और ऐसे व्यय और अनुदान को पूरा करने के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की समेकित निधि की धनराशियों के विनियोजन के प्राधिकार हेतु बनाए जाने वाली विधि के संबंध में होगा।

लेखानुदान।

45. (1) इस भाग के पूर्वोक्त उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, विधान सभा को उस व्यय के संबंध में धारा 43 के उपबंधों के अनुसार ऐसे अनुदान पर मतदान तथा विधि को पारित करने के लिए धारा 42 में विहित प्रक्रिया के पूरा होने तक किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए अनुमानित व्यय के संबंध में अग्रिम रूप से कोई अनुदान देने की शक्ति होगी तथा विधान सभा को विधि द्वारा उन प्रयोजनों के लिए, जिनके लिए उक्त अनुदान दिया गया है, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की समेकित निधि से धनराशि को आहरित करने हेतु प्राधिकृत करने की शक्ति होगी।

(2) धारा 42 और 43 के उपबंधों का उपधारा 1 के अंतर्गत कोई अनुदान देने या उस उपधारा के अंतर्गत बनाई जाने वाली किसी विधि के सबंध में वही प्रभाव होगा जो उनका वार्षिक वित्तीय विवरण में उल्लिखित किसी व्यय तथा ऐसे व्यय को पूरा करने के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की समेकित निधि में से धनराशियों के विनियोजन के प्राधिकार हेतु बनाई जाने वाली विधि के संबंध में होता है।

प्रक्रिया नियमावली।

46. (1) विधान सभा इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन अपनी कार्य प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है:

परंतु यह कि उप-राज्यपाल विधान सभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के बाद—

(क) वित्तीय कार्य को समय पर पूरा करने हेतु;

(ख) किसी वित्तीय विषय या जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की समेकित निधि में से धनराशियों के विनियोजन हेतु इसी विधेयक के संबंध में विधान सभा में कार्य प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने हेतु;

(ग) किसी ऐसे विषय, जो उप-राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन को प्रभावित करता हो, जहां तक उनसे उनके विवेक से कार्य करना इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित है, के बारे में चर्चा करने या प्रश्न पूछने से निषिद्ध करने हेतु नियम बनायेंगे।

(2) जब तक उपधारा 1 के अंतर्गत नियम नहीं बनाए जाते हैं तब तक मौजूदा जम्मू और कश्मीर राज्य की विधान सभा के संबंध में, इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले लागू प्रक्रिया नियमावली और स्थायी आदेशों का, ऐसे आशोधनों और अनुकूलनों, जो विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा उसमें बनाए जाएं, के अध्यधीन जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा के संबंध में प्रभाव होगा।

जम्मू और कश्मीर की भाषा या भाषाएं या उसकी विधान सभा में प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाएं।

47. (1) विधान सभा विधि द्वारा जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में प्रयोग के लिए कोई एक या एक से अधिक भाषा या जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के सभी या किसी प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए हिंदी को शासकीय भाषा या भाषाओं के रूप में अपना सकती है।

(2) जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा में कार्य संचालन, जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा या भाषाओं या हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा:

परंतु यह कि विधान सभा के अध्यक्ष या इस रूप में कार्य करने वाले कोई व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, किसी ऐसे सदस्य को अपनी मातृभाषा में विधान सभा को संबोधित करने के लिए अनुमति दे सकता है जो उपर्युक्त किन्हीं भाषाओं में अपने आप को पर्याप्त रूप से अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं।

अधिनियमों/विधेयकों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा।

48. (1) धारा 47 में निहित किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न कर दे,—

(क) विधान सभा में पुर:स्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या लाए जाने वाले उनसे संबंधित संशोधनों,

(ख) विधान सभा द्वारा पारित सभी अधिनियमों; तथा

(ग) विधान सभा द्वारा बनाई गई किसी विधि के अंतर्गत जारी सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपनियमों,

के प्रामाणिक पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे:

परंतु यह कि जहां विधान सभा ने, विधान सभा में पुर:स्थापित विधेयकों, उसके द्वारा पारित अधिनियमों या जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा द्वारा बनाई गई किसी विधि के अंतर्गत जारी किसी आदेश, नियम, विनियम या उपनियम में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां शासकीय राजपत्र में उप-राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित उसके अनुवाद को अंग्रेजी भाषा में उसका प्रामाणिक पाठ माना जाएगा।

विधान सभा में चर्चा पर प्रतिबंध।

49. उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का उनके कर्तव्यों के निर्वहन में आचरण के संबंध में विधान सभा में कोई चर्चा नहीं होगी।

विधान सभा की कार्यवाहियों की जांच न्यायालयों द्वारा नहीं किया जाना।

50. (1) विधान सभा की किसी कार्यवाही की विधिमान्यता पर प्रक्रिया की किसी कथित अनियमितता के आधार पर प्रश्न नहीं खड़ा किया जाएगा।

(2) विधान सभा में कोई अधिकारी या सदस्य, जिनमें कार्य प्रक्रिया कार्य संचालन को विनियमित करने या विधान सभा में व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस अधिनियमन द्वारा या उसके अंतर्गत शक्तियां निहित हैं, अपने द्वारा ऐसी शक्तियों के निर्वहन के संबंध में किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अध्यधीन नहीं होंगे।

विधान सभा सचिवालय।

51. (1) विधान सभा का पृथक सचिवालय स्टाफ होाग।

(2) विधान सभा, अपने सचिवालय स्टाफ के लिए भर्ती तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विधि द्वारा विनियमित कर सकती है।

(3) जब तक उपधारा 2 के अंतर्गत विधानसभा द्वारा उपबंध नहीं किया जाता है तब तक उप-राज्यपाल विधान सभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के बाद विधान सभा के सचिवालय स्टाफ की भर्ती तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों का विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है और इस प्रकार बनाए गए किसी भी नियम का प्रभाव उक्त उपधारा के अंतर्गत बनाई गई किसी विधि के प्रावधानों के अध्यधीन होगा।

विधान सभा के अवसान के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की उप-राज्यपाल की शक्ति।

52. (1) यदि किसी समय, उसके सिवाय जब विधान सभा सत्र में हो, उसके उप-राज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जिनसे उनके लिए तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है तो वह परिस्थितियों के अनुसार ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं:

परंतु यह कि इस धारा के अंतर्गत अध्यादेश बनाने की शक्ति केवल ऐसे विषयों के संबंध में होगी जिनके संबंध में विधान सभा को विधियों बनाने की शक्ति है।

(2) इस धारा के अंतर्गत प्रख्यापित अध्यादेश का वही प्रभाव होगा जो उप-राज्यपाल द्वारा सहमति प्राप्त विधान सभा के किसी अधिनियम का होता है किंतु ऐसा प्रत्येक अध्यादेश—

(क) विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा और यह विधान सभा की दोबारा बैठक शुरू होने से छह सप्ताह व्यतीत होने पर समाप्त हो जाएगा, या यदि उस अवधि के समाप्त होने से पहले इस अध्यादेश को अस्वीकृत करते हुए एक प्रस्ताव विधान सभा द्वारा पारित कर दिया जाए; तथा

(ख) उप-राज्यपाल द्वारा किसी समय वापस लिया जा सकता है।

जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की मंत्रिपरिषद

मंत्रिपरिषद।

53. (*1*) एक मंत्रिपरिषद होगी जिसमें विधान सभा के कुल सदस्यों के दस प्रतिशत से अधिक सदस्य शामिल नहीं होंगे, शीर्ष पर मुख्य मंत्री उन मामलों के संबंध में कार्य करने में उप-राज्यपाल की मदद और सलाह देंगे जिनके बारे में विधान सभा को कानून बनाने की शक्ति है, सिवाय जबकि उनकी आवश्यकता हो अथवा इस अधिनियम के तहत अपने विवेक से कार्य करते हों अथवा इस विधि के द्वारा अथवा अधीन कोई न्यायिक या अर्धन्यायिक कार्य करते हों:

(2) उप-राज्यपाल अपने कार्य के दौरान किसी मामले में अपने विवेक से कार्य करेंगे:

(*i*) जो विधान सभा को प्रदत्त शक्तियों के दायरे से बाहर हो; अथवा

(ii) जिसमें उनके द्वारा विवेक से कार्य करने के किसी विधि के द्वारा अथवा उसके अधीन अथवा उन्हें किसी न्यायिक दायित्व को प्रयोग करने की आवश्यकता हो।

(iii) अखिल भारतीय सेवाओं और भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो से संबंधित हो ।

परन्तु यह कि कोई मामला है अथवा नहीं, का कोई प्रश्न उठता है जिनके संबंध में इस अधिनियम के द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत उप-राज्यपाल को अपने विवेकानुसार कार्य की आवश्यकता है, उप-राज्यपाल का अपने विवेक से लिया गया निर्णय अंतिम होगा और उप-राज्यपाल के किसी भी कार्य की वैधता पर उस आधार पर प्रश्न नहीं किया जाएगा कि उन्हें अपने विवेक से कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए

(3) कोई भी प्रश्न और वह कैसा भी हो, उप-राज्यपाल का मंत्रियों को दी गई सलाह की किसी भी न्यायालय में जांच नही की जाएगी।

मंत्रियों के लिए अन्य प्रावधान।

54. (1) उप-राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और उप-राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे।

(2) मंत्री उप-राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद पर रहेंगे।

(3) मंत्रीपरिषद सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होगी।

(4) मंत्री के अपने पद के संभालने से पूर्व, उप-राज्यपाल चौथी अनुसूची में प्रयोजनार्थ निर्धारित प्ररूप के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।

(5) मंत्री जो एक साथ छह महीनों की अवधि के लिए विधान सभा के सदस्य नहीं रहा है, उस अवधि के अवसान पर मंत्री नहीं रहेगा।

(6) मंत्रियों का वेतन और भत्ते विधान सभा द्वारा समय-समय पर विधि द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और विधान सभा द्वारा निर्धारित न किए जाने पर ये उप-राज्यपाल द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

मंत्रियों के लिए अन्य प्रावधान।

55. (1) उप-राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से इनके संबंध में नियम बनाएंगे—

(क) मंत्रियों के लिए कार्य आबंटन के लिए; तथा

(ख) उप-राज्यपाल और मंत्रिपरिषद अथवा किसी मंत्री के बीच मत भिन्नता के होने पर अंगीकृत की जाने वाली प्रक्रिया सहित मंत्रियों के साथ और अधिक सुविधाजनक कार्य संव्यवहार के लिए।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, उप-राज्यपाल के सभी कार्यकारी कार्रवाई, चाहे वे उसके मंत्रियों की सलाह से की गई हो अथवा अन्यथा हो, उप-राज्यपाल के नाम पर की गई मानी जाएगी।

(3) उप-राज्यपाल के नाम से किए गए अथवा सम्पन्न किए गए आदेश और अन्य दस्तावेज मंत्रिपरिषद की सलाह से उप-राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों के विनिर्दिष्ट अनुसार अधिप्रमाणित किए जाएंगे, तथा इस प्रकार अधिप्रमाणित ऐसे आदेश अथवा दस्तावेज की वैधता पर इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाए जाएंगे कि यह उप-राज्यपाल द्वारा निर्मित अथवा संपन्न आदेश अथवा दस्तावेज नहीं है।

उप-राज्यपाल को सूचना उपलब्ध करवाने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य आदि।

56. मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा—

(क) संघ राज्य क्षेत्र के कार्यों के संचालन तथा विधान प्रस्तावों के संबंध में मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में उप-राज्यपाल को सूचित करना;

(ख) उप-राज्यपाल के मांगने पर संघ राज्य क्षेत्र के कार्यों के संचालन तथा विधान के प्रस्तावों के संबंध में ऐसी सूचना उपलब्ध कराना।

जम्मू और कश्मीर राज्य की विधान परिषद की समाप्ति।

57. (1) किसी विधि, दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, नियम, विनियम अथवा अधिसूचना में निहित प्रतिकूलता के बावजूद निर्धारित दिन को और उसके बाद से मौजूदा जम्मू और कश्मीर राज्य की विधान परिषद समाप्त हो जाएगी।

(2) विधान परिषद के समाप्त होने पर, उसका प्रत्येक सदस्य, सदस्य नहीं रहेगा।

(3) निर्धारित दिन से पहले विधान परिषद में लम्बित सभी विधेयक परिषद के समाप्त होने पर तत्काल समाप्त हो जाएंगे।

भाग–4

लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन

लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल की नियुक्ति।

58. (1) राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 239 के अन्तर्गत उनके द्वारा नियुक्त उप–राज्यपाल के द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाली सीमा तक किया जाएगा।

(2) राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अधीन लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकते हैं

(3) इस प्रकार बनाया गया कोई विनियम लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए संसद या अस्थायी रूप से प्रयोज्य अन्य किसी विधि द्वारा निर्मित किसी अन्य अधिनियम के द्वारा निरस्त अथवा संशोधित किया जा सकता है तथा राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए जाने पर यह लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए लागू संसद के अधिनियम के समान सशक्त और प्रभावी होगा।

(4) केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सलाहकार (रों) द्वारा उप–राज्यपाल की सहायता की जाएगी।

भाग–5

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

परिभाषाएं।

59. इस भाग में, जब तक संदर्भ के लिए आवश्यक न हो—

(क) ''संबंधित सदस्य'' का अर्थ है, धारा 60 के तहत परिसीमन आयोग से संबंधित सदस्य;

(ख) ''परिसीमन आयोग'' का अर्थ है, परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अधीन और तत्पश्चात संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा गठित किया जाने वाला परिसीमन आयोग; 2002 का 33

(ग) ''चुनाव आयोग'' का अर्थ है भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त चुनाव आयोग;

(घ) ''नवीनतम जनगणना आंकड़े'' का अर्थ है, नवीनतम जनगणना में निर्धारित जनसंख्या संबंधी आंकड़े जिनमें से अंतिम रूप के प्रकाशित आंकड़े उपलब्ध हैं;

(ङ) 'संसदीय निर्वाचन क्षेत्र'' का अर्थ है, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र लोक सभा के लिए चुनावों के प्रयोजन से विधि द्वारा उपबंधित निर्वाचन क्षेत्र।

(च) ''विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र'' का अर्थ है, विधान सभा के लिए निर्वाचन के प्रयोजन से विधि द्वारा उपबंधित निर्वाचन क्षेत्र।

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन।

60. (1) इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (3) के प्रति पूर्वाग्रह के बिना जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को विधान सभा में सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 हो जाएगी तथा चुनाव आयोग द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन इसके बाद उपबंधित प्रकार से नियत किया जाएगा—

(क) विधान सभा में संविधान के संबंधित प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या;

(ख) संघ राज्य क्षेत्र में जिन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन किया जाएगा, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रों की व्याप्ति और जिनमें अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी; और

(ग) आवश्यक अथवा समीचीन होने पर प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र सीटें संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की व्याप्ति की सीमाओं और विवरण का समायोजन

(2) उपधारा के खण्ड (ख) और (ग) में उल्लिखित मामले निर्धारित करने के लिए, चुनाव आयोग निम्नवत प्रावधानों पर विचार करेगा, नामत:—

(क) सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होंगे;

(ख) सभी निर्वाचन क्षेत्र यथा व्यावहारिक भौगोलिक रूप से संपूर्ण क्षेत्र होंगे तथा उनका परिसीमन करते समय भौतिक विशेषताओं, प्रशासनिक इकाइयों की मौजूदा सीमाओं, संचार उपयोगिताओं तथा लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखा जाएगा; तथा

(ग) जिन निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी उन्हें यथा व्यावहारिक उन क्षेत्रों में अवस्थित किया जाएगा जहां कुल जनसंख्या में उनकी जनसंख्या का अनुपात विशालतम होगा।

(3) चुनाव आयोग उपधारा (1) के अधीन अपने प्रकार्यों के निष्पादन में सहायता के प्रयोजन से संबंद्ध सदस्यों के रूप में अपने साथ, विर्निदिष्ट आदेश के द्वारा केंद्रीय सरकार के तौर पर चार व्यक्ति, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा के सदस्य होने के कारण अथवा जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे लोक सभा के चार सदस्य संबद्ध करेगा;

परन्तु यह कि कोई भी संबंद्ध सदस्य को मत देने अथवा चुनाव आयोग के किसी निर्णय पर हस्ताक्षर करने का अधिकार हो

(4) यदि मृत्यु अथवा त्यागपत्र के कारण संबद्ध सदस्य का पद रिक्त हो जाता है, तो उसे उप-धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार यथा व्यावहारिक रूप से भरा जाएगा।

(5) चुनाव आयोग—

(क) निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के अपने प्रस्ताव किसी संबद्ध सदस्य के यदि कोई असहमतिपूर्ण प्रस्ताव है, जो चुनाव आयोग के द्वारा इस उपयुक्त समझे जाने पर सरकारी राजपत्र में प्रस्तावों के संबंध में आपत्तियों और सुझावों को आमंत्रित करते हुए नोटिस के साथ प्रस्तावों को प्रकाशित करेगा तथा उस तारीख को विनिर्दिष्ट करेगा जिसको या जिसके बाद प्रस्तावों पर इसके द्वारा विचार किया जाएगा;

(ख) उन सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार करेगा जो इसके द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त हुए हैं; तथा

(ग) इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पहले इसके द्वारा प्राप्त सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन निर्धारण से संबंधित एक या उसके अधिक आदेश तथा ऐसे आदेश या आदेशों को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाना है और ऐसे प्रकाशन के पश्चात आदेश अथवा आदेशों को विधि के समान पूर्ण शक्ति प्राप्त होगी और किसी भी न्यायालय में उस पर प्रश्न नहीं उठाए जाएंगे।

(6) ऐसे प्रकाशन के तुरंत बाद, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में ऐसा प्रत्येक आदेश जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

परिसीमन आदेशों को अद्यतन रखने के लिए चुनाव आयोग की शक्तियां।

61. (1) चुनाव आयोग सरकारी राजपत्र में प्रकाशन द्वारा,—

(क) धारा 60 के अधीन बनाए गए किसी आदेश में कोई मुद्रण त्रुटि अथवा भूल-चूक से हुई किसी गलती को सही करेगा; और

(ख) जहां ऐसे किसी आदेश अथवा आदेशों में उल्लिखित किसी प्रादेशिक प्रभाग की सीमाओं अथवा नाम को परिवर्तित किया जाता है तो आवश्यक या समीचीन लगने वाले ऐसे आदेश को अद्यतन करने के लिए संशोधन करेगा।

(2) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित इस धारा के अधीन प्रत्येक अधिसूचना को इसे जारी करने के बाद शीघ्र विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

2011 की जनसंख्या के आधार पर संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुन:समायोजन के लिए विशेष उपबंध।

62. (1) निर्धारित तारीख को अथवा से परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10 की उप-धारा (1) अथवा उक्त धारा की उपधारा (2) अथवा उपधारा (4) में कुछ भी निहित के अधीन आदेशों के प्रकाशन के बावजूद परिसीमन अधिनियम, 2002 को निम्नवत अनुसार संशोधित किया गया माना जाएगा: 2002 का 33

(क) धारा 2 (च) में, ''परंतु जम्मू और कश्मीर राज्य शामिल नहीं है'' शब्दों को लोप कर दिया जाएगा; तथा

(ख) विधान सभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के प्रयोजन से जहां कहीं भी ''वर्ष 2001 में की गई जनगणना'' आता है, वहां शब्दों और संख्या को ''वर्ष 2011 में की गई जनगणना'' शब्द और संख्या माना जाएगा।

(2) उत्तरवर्ती जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में धारा 60 के अधीन यथा उपबंधित निर्वाचन क्षेत्रों का विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में पुन: समायोजन इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित परिसीमन अधिनियम, 2002 के अधीन गठित किए जाने वाले परिसीमन आयोग द्वारा किया जाएगा तथा यह केंद्रीय सरकार के आदेश द्वारा सरकारी राजपत्र में प्रकाशित विनिर्दिष्ट तारीख से प्रभावी हो जाएगा।

(3) उत्तरवर्ती जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में धारा 11 के अधीन यथा उपबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में पुन:समायोजन इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित परिसीमन अधिनियम 2002 के अधीन गठित किए जाने वाली परिसीमन आयोग द्वारा किया जाएगा तथा यह केंद्रीय सरकार के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख से प्रभावी हो जाएगा।

विधान सभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुन: समयोजन के संबंध में विशेष उपबंध।

63. धारा 59 से 61 में कुछ भी निहित के बावजूद, जब तक कि वर्ष 2026 के बाद प्रथम जनगणना के लिए संबंधित आंकड़ें प्रकाशित नहीं किए जाते हैं, उत्तरवर्ती जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के विभाजन का विधान सभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में पुन: समायोजन आवश्यक नहीं होगा और इस भाग में ''नवीनतम जनगणना आकंड़ों'' के किसी भी संदर्भ को 2011 के जनगणना आंकड़ों का संदर्भ माना जाएगा।

परिसीमन की प्रक्रिया।

64. संसद द्वारा निर्मित विधि में यथा उपबंधित प्रक्रिया इस भाग के अंतर्गत संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में उसी प्रकार लागू होगी जिस प्रकार विधि के अधीन संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में लागू है।

भाग-6
अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां

अनुसूचित जाति आदेश की प्रायोज्यता।

65. नियत दिन को और उस दिन से संविधान जम्मू और कश्मीर (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1956 जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र पर लागू माना जाएगा। जम्मू और कश्मीर (अनुसूचित जाति) आदेश 1956

अनुसूचित जनजाति आदेश की प्रायोज्यता।

66. नियत दिन को और उस दिन से संविधान जम्मू और कश्मीर (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1989 जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र पर लागू माना जाएगा। जम्मू और कश्मीर (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1989

भाग-7
विविध और संक्रमण कालीन उपबंध

जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की समेकित निधि।

67. (*1*) जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में भारत सरकार या जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के उप राज्यपाल को किसी विषय, जिसके संबंध में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा को विधान बनाने की शक्ति प्राप्त है, प्राप्त सभी राजस्व, एवं भारत की समेकित निधि से जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को दिए गए सभी अनुदान तथा सभी ऋण, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की समेकित

निधि की प्रतिभूति पर भारत सरकार या उप राज्यपाल द्वारा लिए गए सभी ऋण एवं ऋणों को चुकता करने के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्राप्त सभी धनराशियां ''जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के समेकित निधि'' के रूप में ज्ञात एक समेकित निधि होगी''

(*2*) ऐसी समेकित निधि से कोई भी धनराशि इस अधिनियम के अनुसार, और उसके प्रयोजनों के लिए तथा उसमें उपबंधित रीति के सिवाय विनियोजित नहीं की जाएगी।

(*3*) ऐसी समेकित निधि की अभिरक्षा, ऐसी निधियों में धनराशियों का भुगतान, उससे धनराशियों का आहरण तथा उन मामलों से संबंधित या उपषंगी सभी अन्य मामले उप राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों के द्वारा विनियमित होंगे।

जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का सरकारी लेखा और उसमें जमा की गई धनराशियां।

68. (*1*) नियत दिन को और उस दिन से उप राज्यपाल द्वारा अथवा उनकी ओर से प्राप्त सभी सार्वजनिक अन्य धनराशियां ''जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी लेखों'' के नाम से ज्ञात सरकारी लेखों में जमा की जाएंगी।

(*2*) संघ राज्य क्षेत्र की समेकित निधि में जमा की गई धनराशियों से भिन्न सार्वजनिक धनराशियों की अभिरक्षा अथवा उप-राज्यपाल द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की आकस्मिक निधि, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी लेखे में उनके भुगतान तथा ऐसे लेखों से धनराशियों के आहरण एवं पूर्वोक्त मामलों से संबंधित अथवा उपषंगी अन्य सभी मामले मंत्रिमंडल की सलाह पर उपराज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों से विनियमित होंगे।

जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की आकस्मिक निधि।

69. (*1*) ''जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की आकस्मिक निधि'' नामक अग्रिम स्वरूप की आकस्मिक निधि स्थापित की जाएगी, जिसमें जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा द्वारा बनाए गए विधान द्वारा समय-समय पर निर्धारित ऐसी धनराशियां जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की समेकित निधि से और उससे अदा की जाएंगी, तथा उक्त निधि उप-राज्यपाल के पास रखी जाएगी ताकि उनके द्वारा दिए जाने वाले अग्रिम दिए जा सकें।

(*2*) जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की आकस्मिक निधि से विधान द्वारा विनियोजन के अधीन विधान सभा द्वारा ऐसे व्यय को प्राधिकृत करने तक अनापेक्षित व्यय को पूरा करने के प्रयोजन के सिवाय कोई अग्रिम नहीं दिया जाएगा।

(*3*) मंत्रिमंडल की सलाह पर उप-राज्यपाल, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की आकस्मिक निधि की अभिरक्षा से संबंधित अथवा उपषंगी सभी मामलों में इस निधि से धनराशियों के भुगतान, और उनके आहरण को विनियमित करने के लिए नियम बना सकेंगे।

जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की समेकित निधि की प्रतिभूति पर ऋण।

70. (*1*) संघ राज्य क्षेत्र की कार्यकारी शक्ति, विधान सभा द्वारा कानून के द्वारा नियत की गई सीमाओं के भीतर जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की समेकित निधि की प्रतिभूति के आधार पर लिए जाने वाले ऋणों तथा इस प्रकार निर्धारित सीमाओं के भीतर गारंटी देने पर लागू होगी।

(*2*) गारंटी प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित ऐसी धनराशियां जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की समेकित निधि से प्रभारित की जाएंगी।

जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लेखों का स्वरूप।

71. जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लेखों के रख-रखाव के तरीके का निर्धारण उप-राज्यपाल भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से राय प्राप्त करने के बाद निर्धारित कर सकेंगे।

लेखापरीक्षा रिपोर्टें।

72. धारा 67 की उप-धारा (*1*) में उल्लिखित तारीख के बाद की किसी अवधि से संबंधित जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लेखों से संबंधित भारत के भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन उप-राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे जो उन्हें विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत कराएंगे।

संवैधानिक तंत्र के विफल होने की दशा में उपबंध।

73. यदि राष्ट्रपति का, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के उप-राज्यपाल से कोई रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा इस बात से समाधान हो जाता है कि,—

(क) ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन का संचालन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं किया जा सकता है, अथवा

(ख) जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के समुचित प्रशासन के लिए ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो

राष्ट्रपति ऐसी अवधि जो वे उचित समझें, के लिए आदेश द्वारा इस अधिनियम के समस्त या उसके किसी उपबंध के प्रवर्तन को आस्थगित कर सकेंगे और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए आवश्यक अथवा समीचीन प्रतीत होने वाले प्रासंगिक और परिणामी उपबंध बनाने पर विचार कर सकेंगे।

व्यय को राष्ट्रपति द्वारा प्राधिकृत करना।

74. जब धारा 73 के अधीन किसी आदेश के परिणामस्वरूप विधान सभा भंग हो जाती है अथवा ऐसी सभा का कार्य संचालन स्थगित हो जाता है और उस समय लोक सभा सत्र में नहीं होगी तो उस स्थिति में राष्ट्रपति, संसद द्वारा व्यय की मंजूरी दिए जाने तक जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की समेकित निधि से व्यय को प्राधिकृत करने के लिए सक्षम होंगे।

भाग–8

उच्च न्यायालय

जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय को साझा उच्च न्यायालय बनाना।

75. (*1*) नियत दिन को और उस दिन से—

(क) जम्मू और कश्मीर का उच्च न्यायालय जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए साझा होगा।

(ख) नियत तारीख से तुरंत पहले पदधारी वर्तमान जम्मू और कश्मीर राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उस दिन से साझे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन जाएंगे।

(*2*) इस साझे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों के संबंध में व्यय का आबंटन जनसंख्या के अनुपात के आधार पर जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के बीच किया जाएगा।

बार कौन्सिल और अधिवक्ताओं से संबंधित विशेष उपबंध।

76. (*1*) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 कि धारा 75 की उपधारा (1) में उल्लिखित तारीख को और उस तारीख से, धारा 3 में, उपधारा (1) में,— 1961 का 25

(क) खंड (क) में ''जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र'' शब्दों को हटा दिया जाएगा।

(ख) उपखंड (च) के बाद निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, नामत:—

—(छ)— जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर; तथा लद्दाख की बार काउंसिल के रूप में ज्ञात होंगे।

(*2*) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निहित किसी भी बात के होते हुए कोई व्यक्ति, जो धारा 75 की उपधारा (1) में उल्लिखित तारीख से तत्काल पहले वर्तमान जम्मू और कश्मीर राज्य की बार काउंसिल के रोल पर अधिवक्ता है, और जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहा है, ''जम्मू और कश्मीर; तथा लद्दाख की बार काउंसिल'' का सदस्य बना रहेगा।

(*3*) धारा 75 की उपधारा (1) में उल्लिखित तारीख से तत्काल पूर्व अधिवक्ताओं से भिन्न प्राधिकृत व्यक्ति को उस तारीख को और उस तारीख के बाद ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में यथा स्थिति जम्मू और कश्मीर साझा उच्च न्यायालय में तथा उसके किसी अधीनस्थ न्यायालय में, प्रेक्टिस करने की मान्यता दी जाएगी।

(*4*) धारा 75 की उपधारा (1) में उल्लिखित तारीख से तत्काल पूर्व जम्मू और कश्मीर के साझा उच्च न्यायालय में सुनवाई के अधिकार का विनियमन उन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप किया जाएगा जो जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में सुनवाई के अधिकार के संबंध में लागू हैं।

जम्मू और कश्मीर साझा उच्च न्यायालय में वकालत और प्रक्रिया।

77. इस भाग के उपबंधों के अध्यधीन, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में वकालत और प्रक्रिया के संबंध में धारा 75 की उपधारा (1) में उल्लिखित तारीख से तत्काल पूर्व प्रवृत्त विधि साझे जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के संबंध में आवश्यक संशोधनों सहित लागू होगी और तदनुसार साझे जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय को ऐसी वकालत और प्रक्रिया के संबंध में नियम बनाने तथा आदेश जारी करने की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो उस तारीख से तत्काल पूर्व साझे जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जा रही थीं:

परन्तु यह कि जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में वकालत और प्रक्रिया के संबंध में धारा 75 की उपधारा (1) में उल्लिखित तारीख से तत्काल पूर्व प्रभावी कोई नियम अथवा आदेश साझे जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में वकालत और प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक परिवर्तनों के साथ साझे जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा नियमों अथवा आदेशों द्वारा निरस्त किए जाने तक उच्च न्यायालय द्वारा किए गए आवश्यक संशोधनों के साथ लागू होंगे।

व्यावृत्ति।

78. इस भाग में उल्लिखित कोई भी बात संविधान के किसी भी उपबंध के प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगी, और यह भाग ऐसे किसी उपबंध के अध्यधीन प्रभावी होगा जिसे विधायिका अथवा ऐसे उपबंध पर शक्ति रखने वाले अन्य प्राधिकरण द्वारा साझे जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के संबंध में धारा 75 की उपधाारा (1) में उल्लिखित तारीख को अथवा उसके बाद किया जा सकेगा।

भाग–9
जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का एडवोकेट जनरल

जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का एडवोकेट जनरल।

79. (1) उप–राज्यपाल ऐसे किसी व्यक्ति को जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए एडवोकेट जनरल नियुक्त करेंगे जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने का पात्र हो।

(2) ऐसे एडवोकेट जनरल का दायित्व उन कानूनी मामलों पर संघ राज्य क्षेत्र की सरकार को सलाह देना होगा और वह उक्त सरकार द्वारा उसे संदर्भित अथवा सौंपे गए कानूनी स्वरूप के अन्य दायित्वों का निर्वाह करेगा, तथा संविधान के द्वारा अथवा उसके अधीन अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा उसे प्रदत्त दायित्वों का निर्वाह करेगा।

(3) अपने दायित्वों का निष्पादन करते हुए एडवोकेट जनरल को जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई के दौरान रहने का अधिकार प्राप्त होगा।

(4) एडवोकेट जनरल उप–राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त अपने पद पर बना रहेगा तथा उसे उप–राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाने वाला परिश्रमिक प्राप्त होगा।

भाग–10
राजस्व के व्यय और उसके वितरण का प्राधिकार

जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के व्यय को प्राधिकृत करना।

80. वर्तमान जम्मू और कश्मीर राज्य के राज्यपाल नियत दिन से पूर्व किसी भी समय जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की समेकित निधि से ऐसे व्यय को प्राधिकृत कर सकते हैं जिसे वे जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा द्वारा ऐसे व्यय की मंजूरी होने तक नियत दिन से छह महीने से अनधिक की किसी अवधि के लिए आवश्यक समझे:

परंतु यह कि जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के उप–राज्यपाल नियत दिन के बाद उक्त छह महीने की अवधि से अधिक की किसी अवधि के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की समेकित निधि से उनके द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे और व्यय को प्राधिकृत कर सकते हैं।

लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के व्यय को प्राधिकृत करना।

81. वर्तमान जम्मू और कश्मीर राज्य के राज्यपाल नियत दिन से पूर्व किसी भी समय जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की समेकित निधि से ऐसे व्यय को प्राधिकृत कर सकते हैं जिसे वे संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के लिए संसद द्वारा ऐसे व्यय की मंजूरी होने तक नियत दिन से छह महीने से अनधिक की किसी अवधि के लिए आवश्यक समझे:

परंतु यह कि राष्ट्रपति नियत दिन के बाद उक्त छह महीने की अवधि से अधिक की किसी अवधि के लिए भारत की समेकित निधि से उनके द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे और व्यय को प्राधिकृत कर सकते हैं।

जम्मू और कश्मीर राज्य के लेखाओं से संबंधित रिपोर्टें।

82. (*1*) नियम दिन के पूर्व किसी अवधि के संबंध में वर्तमान जम्मू कश्मीर राज्य के लेखों से संबंधित अनुच्छेद 151 के खण्ड (दो) में उल्लिखित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्टें उत्तरवर्ती जम्मू और कश्मीर संघ राजक्षेत्र तथा संघ लद्दाख राज्य क्षेत्र के उप-राज्यपालों को प्रस्तुत की जाएंगी।

(*2*) तत्पश्चात् जम्मू और कश्मीर के उप-राज्यपाल रिपोर्टों को जम्मू और कश्मीर की विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करवाएंगे।

(*3*) जम्मू और कश्मीर के उप-राज्यपाल आदेश के द्वारा—

(क) जम्मू और कश्मीर की समेकित निधि से वित्त वर्ष के दौरान अथवा किसी पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के संबंध में नियत दिन से पहले किसी अवधि के संबंध में किसी सेवा पर उस सेवा के लिए तथा उस वर्ष के लिए मंजूर की गई रकम से व्यय की गई अधिक रकम को विधिवत प्राधिकृत घोषित कर सकते हैं;

(ख) उक्त रिपोर्टों से उत्पन्न वाले किसी भी मामले पर किसी कार्यवाही की व्यवस्था कर सकते हैं।

राजस्व का वितरण।

83. (*1*) चौदहवें वित्त आयोग द्वारा वर्तमान जम्मू और कश्मीर राज्य को दिए गए प्रावधान को उत्तरवर्ती जम्मू कश्मीर-संघ राज्य क्षेत्र; तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के बीच केन्द्र सरकार द्वारा जनसंख्या के अनुपात और अन्य प्राचलों के आधार पर विनियोजित किया जाएगा:

परंतु यह कि नियत दिन को राष्ट्रपति संघ राज्य क्षेत्र वित्त आयोग को यह संदर्भ करेंगे कि वह उत्तरवर्ती संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख को उपलब्ध सभी संसाधनों को हिसाब में ले और उत्तरवर्ती संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के लिए पृथक व्यवस्था करे।

परंतु यह कि नियत दिन को राष्ट्रपति 14वें वित्त आयोग को यह संदर्भ करेंगे कि वह जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को अपने विचारणीय विषयों में शामिल करे और उत्तरवर्ती जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए व्यवस्था करे।

(2) उपधारा (1) में किसी भी बात के होते हुए केन्द्र सरकार उत्तरवर्ती संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख को उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त अनुदान की व्यवस्था करेगी और यह भी सुनिश्चित करेगी कि पर्याप्त लाभ और विशेष विकास पैकेज के रूप में प्रोत्साहन इस क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्रों को दिए जाएंगे।

भाग-11
परिसंपत्तियों और देयताओं का विनियोजन

इस भाग का प्रवर्तन।

84. (*1*) इस भाग के उपबंध नियत दिन से तत्काल पूर्व वर्तमान जम्मू और कश्मीर राज्य की परिसंपत्तियां और देयताएं उत्तरवर्ती जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा उत्तरवर्ती लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के बीच विनियोजित करने के संबंध में लागू होंगे।

(*2*) वर्तमान जम्मू और कश्मीर राज्य की परिसंपत्तियों और देयताओं का विनियोजन केन्द्र सरकार द्वारा गठित की जाने वाली समिति की सिफारिशों के अध्यधीन होगा।

(*3*) विनियोजन की प्रक्रिया नियत दिन से बारह महीनों की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

भाग-12
कतिपय निगमों तथा अन्य किसी मामले के संबंध में उपबंध

सलाहकार समिति (समितियां)।

85. (*1*) केन्द्र सरकार आदेश के द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए नियत दिन से 90 दिन की अवधि के भीतर एक अथवा उससे अधिक सलाहाकार समितियां गठित कर सकेगी।

(क) मौजूदा जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए गठित कंपनियों और निगमों की परिसंपत्तियों, अधिकारों और दायित्वों का जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के बीच आनुपातिक बंटवारा;

(ख) बिजली के उत्पादन और आपूर्ति तथा जल आपूर्ति के संबंध में सतत प्रबंधन से संबंधित मुद्दे;

(ग) जम्मू और कश्मीर राज्य वित्त निगम से संबंधित मुद्दे; और

(घ) ब्याज और शेयरों के बंटवारे तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के गठन से संबंधित मौजूदा जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए गठित कंपनियों से संबंधित मुद्दे।

(ङ) कुछ राज्य संस्थाओं में सुविधाओं से संबंधित मुद्दे।

(च) इस धारा के अंतर्गत शामिल न किए गए किसी अन्य मामलों से संबंधित मुद्दे।

(*2*) इस धारा की उप-धारा (*1*) के अंतर्गत इस प्रकार नियुक्त समितियां, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के उप-राज्यपाल को छह माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।

कुछ मौजूदा सड़क परिवहन परमिटों को जारी रखने के लिए अस्थाई उपबंध।

86. (*1*) मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 88 में निहित किसी बात के होते हुए भी, मौजूदा जम्मू और कश्मीर राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण अथवा राज्य में कोई क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त परमिट, यदि ऐसे परमिट नियत दिन से तत्काल पहले हस्तांतरित भू-भाग के किसी क्षेत्र में वैध और प्रभावी थे, तो वे उस क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त उस अधिनियम के प्रावधानों में अध्यधीन उस दिन से इसकी वैधता की तारीख तक उस क्षेत्र में वैध और प्रभावी बने रहेंगे; और ऐसे क्षेत्र में प्रयोग के लिए ऐसे किसी परमिट को वैध करने के प्रयोजनार्थ किसी संघ राज्य क्षेत्र अथवा किसी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराना आवश्यक नहीं होगा।

परन्तु यह कि उप-राज्यपाल परमिट देने वाले प्राधिकरण द्वारा परमिट के साथ संबंद्ध शर्तों को संशोधित करने अथवा बदलने का प्रावधान कर सकते हैं।

(2) ऐसे किसी परमिट के अधीन उत्तरवर्ती किसी संघ राज्य क्षेत्र में इनके परिचालन के लिए किसी परिवहन वाहन के संबंध में नियत दिन के बाद कोई भी पथकर, प्रवेश शुल्क अथवा इस तरह के अन्य प्रभार नहीं लगाए जाएंगे, यदि ऐसे वाहन को उस दिन से ठीक पहले हस्तांतरित भू-भाग में उसके प्रचालन के लिए ऐसे किसी पथकर, प्रवेश शुल्क अथवा अन्य प्रभार के भुगतान से छूट प्राप्त है:

परन्तु यह कि केन्द्र सरकार जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की सरकार अथवा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन, जैसा भी मामला हो, से परामर्श करने के पश्चात्, ऐसा कोई भी पथकर, प्रवेश शुल्क अथवा अन्य प्रभार, जैसा की मामला हो, लगाने के लिए प्राधिकृत कर सकता हो:

परन्तु यह भी कि इस उपधारा के प्रावधान वहां लागू नहीं होंगे जहां ऐसे पथकर, प्रवेश शुल्क अथवा इस प्रकार के अन्य प्रभार किसी ऐसी सड़क अथवा ऐसे पुल के प्रयोग हेतु लगाए जाते हैं, जिसे राज्य सरकार, राज्य सरकार के उपक्रम, ऐसे संयुक्त उपक्रम जिसमें राज्य सरकार एक शेयर होल्डर है अथवा निजी क्षेत्र द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए निर्मित अथवा विकसित किया जाता है।

आयकर के रूप में विशेष उपबंध।

87. जहां व्यवसाय कर रहे किसी कारपोरेट निकाय की परिसम्पत्तियां, अधिकार और देयताएं इस भाग के प्रावधानों के अंतर्गत किसी ऐसे अन्य कारपोरेट निकाय को हस्तांतरित किये जाते हैं, जो ऐसे हस्तान्तरण के पश्चात् वही व्यवसाय करता है, तो पहले उल्लिखित कारपोरेट निकाय को हुए नुकसान अथवा प्राप्त लाभ अथवा फायदा, जो ऐसे अंतरण के बाद हुए हैं; को आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय VI के प्रावधानों के अनुसार आगे ले जाने और आरंभ करने की अनुमति प्रदान की जाएगी, और केंद्र सरकार द्वारा इसकी ओर से बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार हस्तांतरित हुए कारपोरेट निकायों के बीच आनुपातिक रूप से बांट दिए जाएंगे और इस आनुपतिक बंटवारे पर प्रत्येक हस्तांतरित हुए कारपोरेट निकाय को आबंटित नुकसान के हिस्से को उक्त अधिनियम के अध्याय VI के प्रावधानों के अनुसार ठीक उसी तरह निपटाया जाएगा जैसे कि हस्तांतरित हुए कारपोरेट निकाय को उसके द्वारा उस वर्ष जिसमें उसको नुकसान हुआ था, किए गए व्यवसाय में ऐसा नुकसान हुआ था।

भाग–13

सेवाओं के रूप में प्रावधान

अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित प्रावधान।

88. (*1*) इस धारा में ''राज्य संवर्ग'' अभिव्यक्ति—

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के संबंध में वही अर्थ है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 में दिया गया है। आई ए एस सवंर्ग नियमावली 1954

(ख) भारतीय पुलिस सेवा के संबंध में वही अर्थ है जो भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली 1954 में दिया गया है; और आई पी एस संवर्ग नियमावली 1954

(ग) भारतीय वन सेवा के संबंध में वही अर्थ है जो भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली 1966 में दिया गया है। आई एफ एस संवर्ग नियमावली 1966

(2) मौजूदा जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के संवर्ग के सदस्य नियत दिन को और उस दिन से मौजूदा संवर्ग में कार्य करते रहेंगे।

(3) मौजूदा जम्मू और कश्मीर संवर्ग में वर्तमान में आए अधिकरियों की अनंतिम संख्या, संघटन और आबंटन उप–धारा–(2) में यथा उल्लिखित जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए वही होंगी जो जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के उप–राज्यपाल, आदेश द्वारा, नियत दिन को अथवा उसके बाद निर्धारित करेंगे।

(4) नियत दिन से ठीक पहले जम्मू और कश्मीर संवर्ग में वर्तमान में आए उक्त सेवा के प्रत्येक सदस्य को उत्तरवर्ती जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के बीच उस तरीके से और उस तारीख अथवा दिन से अंतिम रूप से आबंटित किया जाएगा, जो केन्द्र सरकार, आदेश द्वारा, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के उप–राज्यपाल की सिफारिश के आधार पर विनिर्दिष्ट करें।

(5) दोंनों संघ राज्य क्षेत्रों को इस प्रकार आबंटित अधिकारीगण इन संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कार्य करेंगे।

(6) भविष्य में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र अथवा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, जैसा भी मामला हो, में तैनात किए जाने वाले अखिल भारतीय सेवा के अधिकारीगण अरूणाचल गोवा मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग में आएंगे, और केंद्र सरकार द्वारा तदनुसार संवर्ग आबंटन नियमावली में सदृश आवश्यक आशोधन किए जाएंगे।

अन्य सेवाओं से संबंधित उपबंध।

89. (*1*) प्रत्येक, व्यक्ति जो मौजूदा जम्मू और कश्मीर राज्य के मामलों के संबंध में प्रतिस्थानी आधार पर नियत दिन के ठीक पहले सेवाएं प्रदान कर रहा है, वह जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के उप–राज्यपाल के सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा, उस दिन और उसी तारीख से अनत्तिम तौर पर जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के मामलों के संबंध में सेवाएं प्रदान करता रहेगा:

परन्तु यह कि नियत दिन से एक वर्ष की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् इस उप–धारा के अंतर्गत जारी प्रत्येक निदेश उत्तरवर्ती संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार अथवा प्रशासन, जैसा भी मामला हो, के परामर्श से जारी किए जाएगा।

(2) नियत दिन के पश्चात् जितना जल्दी हो सके, जम्मू और कश्मीर के उप–राज्यपाल, सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा उस उत्तरवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का निर्धारण करेंगे, जिसमें उप–धारा (1) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति को कर्मचारियों से विकल्प मांगने प्राप्त विकल्प पर विचार करने के पश्चात् और उस तारीख से जिससे यह आबंटन प्रभावी होगा अथवा प्रभावी माना जाएगा, को अंतिम रूप से सेवा के लिए आबंटित किया जाएगा:

परन्तु यह कि आबंटन हो जाने के पश्चात् भी, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के उप–राज्यपाल आदेश द्वारा, सेवा में किसी कमी को पूरा करने के उद्देश्य से किसी अधिकारी को एक उत्तरवर्ती संघ राज्य क्षेत्र से दूसरे संघ राज्य क्षेत्र में तैनात कर सकते हैं।

(3) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे उप-धारा (2) के प्रावधानों के तहत उत्तरवर्ती संघ राज्य क्षेत्र में अन्तत: आबंटित दिया जाता है, यदि वह वहां पहले से कार्य नहीं कर रहा है तो वह उत्तरवर्ती संघ राज्य क्षेत्र में उस तारीख से सेवा के लिए उपलब्ध रहेगा जो उत्तरतवी जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की सरकार तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के बीच सहमति हो, अथवा ऐसी सहमति के न होने पर जैसा भी केंद्र सरकार द्वारा निश्चित किया जाए:

परंतु यह कि केंद्र सरकार के पास इस धारा के अंतर्गत जारी अपने किसी आदेश की पुनरीक्षा करने की शक्तियां होंगी।

सेवाओं से संबंधित अन्य उपबंध।

90. (1) इस धारा अथवा धारा 89 में कोई भी उपबंध नियत दिन को अथवा उसके बाद संघ अथवा किसी संघ राज्य क्षेत्र के मामले के संबंध में सेवाएं देने वाले व्यक्ति की सेवाओं की शर्तों के निर्धारण के संबंध में संविधान के भाग 14 के अध्याय I के लागू होने अथवा उसके बाद प्रभावी नहीं माना जाएगा:

परन्तु यह कि धारा 89 के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र अथवा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित किए गए किसी व्यक्ति के मामले में नियत दिन से ठीक पहले लागू सेवा शर्तें उप-राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन के सिवाय उसकी हानियों के सबंध में भिन्न नहीं होगी।

(2) किसी व्यक्ति द्वारा नियत दिन से पूर्व दी गई सभी सेवाएं—

(क) यदि उसे धारा 89 के अंतर्गत किसी संघ राज्य क्षेत्र में आबंटन दिया गया माना जाता है, तो उसकी सेवाएं उस संघ राज्य क्षेत्र के मामले के संबंध में दी गई सेवाएं मानी जाएगी।

(ख) यदि उसे उत्तरवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के संदर्भ में आबंटन दिया गया माना जाता है तो उसकी सेवा शर्तों के विनियमन संबंधी कानूनों के प्रयोजनार्थ संघ के मामले के संबंध में दी गई सेवाएं मानी जाएगी।

(3) धारा 89 के उपबंध किसी भी अखिल भारतीय सेवा में संबंध में लागू नहीं होगी।

उसी पद में अधिकारियों को बनाए रखने के उपबंध।

91. प्रत्येक व्यक्ति जो नियत दिन से ठीक पहले वर्तमान जम्मू और कश्मीर राज्य के मामलों के संबंध में किसी ऐसे क्षेत्र में किसी पद अथवा कार्यालय को धारण कर रहा है अथवा उसके दायित्व निर्वहन कर रहा हैं जो उस दिन उत्तरवर्ती किसी एक संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो वह उस उत्तरवर्ती संघ राज्य क्षेत्र में वही पद अथवा कार्यालय धारण करता रहेगा और उस दिन को अथवा उस दिन से उस उत्तरवर्ती संघ राज्य क्षेत्र में सरकार अथवा किसी अन्य उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा उस पद अथवा कार्यालय में विधिवत नियुक्त किया गया माना जाएगा:

परन्तु यह कि इस धारा का कोई भी भाग सक्षम प्राधिकारी को उस पद अथवा कार्यालय में ऐसे व्यक्ति को बनाए रखने से संबंधित किसी आदेश के संबंध में कोई भी आदेश पारित करने से रोकने वाला नहीं समझा जाएगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए उपबंध।

92. नियत दिन को अथवा उस दिन से, राज्य सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों और अन्य स्वायत्त निकायों के कर्मचारी एक वर्ष की अवधि के लिए ऐसे उपक्रम, निगम अथवा स्वायत्त निकायों में कार्य करता रहेगा और इस अवधि के दौरान संबंधित निगमित निकाय उत्तरवर्ती संघ राज्य क्षेत्रों के बीच कार्मिकों के वितरण संबंधी औपचारिकताओं का निर्धारण करेगा।

राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित उपबंध।

93. (1) मौजूदा जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग नियत दिन को अथवा उस दिन से जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए लोक सेवा आयोग होगा।

(2) संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति के अनुमोदन से लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

(3) मौजूदा जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा अन्य सदस्य के रूप में नियत दिन के ठीक पहले कार्यालय धारण कर रहा कोई भी व्यक्ति नियत दिन से जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा सदस्य, जैसा भी मामला हो, होगा।

(4) प्रत्येक व्यक्ति जो उप-धारा (3) के अंतर्गत नियत दिन को जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा अन्य सदस्य बनता है, वह जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की राज्य सरकार से वे सेवा शर्तें प्राप्त करने का हकदार होगा जो उनसे कम अनुरूप नहीं होंगी जिनके लिए वह उस पर लागू प्रावधानों के अंतर्गत हकदार था।

(5) नियत दिन से पूर्व किसी अवधि के संबंध में आयोग द्वारा किए गए कार्य के रूप में जम्मू और कश्मीर संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट जम्मू और कश्मीर राज्य के उप-राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी और जम्मू और कश्मीर संघ राज्य का उप-राज्यपाल, ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर यथासंभव व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ ऐसे किसी मामले, यदि कोई है, जहां आयोग की सलाह नहीं मानी गई थी, के संबंध में एक प्रति तैयार कराएगा और ऐसी अस्वीकृति के कारणों को जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के समक्ष रखा जाएगा।

भाग-14
विधिक और विविध प्रावधान

1956 के अधिनियम 37 की धारा 15 का संशोधन ।

94. नियत दिन को अथवा उस दिन से, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 में खंड (क) में ''जम्मू और कश्मीर'' के स्थान **जम्मू** और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रतिस्थापित किया जाएगा।

कानूनों का भू-भागीय विस्तार।

95. (1) इस अधिनियम की पांचवीं अनुसूची की तालिका में दिए गए सभी केंद्रीय कानून, नियत दिन को अथवा उस दिन से उसी रूप में लागू होंगे जैसा कि जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में उपबंधित है।

(2) नियत दिन से ठीक पहले मौजूदा जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू पांचवी अनुसूची के सभी अन्य कानून उसी रूप में लागू होंगे जैसा कि जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में उपबंधित है।

कानून अंगिकार करने की शक्तियां।

96. पांचवी अनुसूची में यथा वर्णित नियत दिन से ठीक पहले बनाए किसी भी कानून को उत्तरवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में लागू करने के लिए सुकर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार उस दिन से एक वर्ष के व्यतीत होने के पहले, आदेश द्वारा, निरसन अथवा संशोधन के जरिए कानून के ऐसे अंगीकरण अथवा आशोधन करेगी जो आवश्यक अथवा जरूरी हों और, इसके पश्चात ऐसा प्रत्येक कानून इस प्रकार बनाए गए अंगीकरणों और अशोधनों के अध्यधीन लागू होगा जब तक की सक्षम विधान सभा अथवा अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा उसे परिवर्तित निरस्त अथवा संशोधित न कर दिया जाए।

कानून बनाने की शक्तियां।

97. इस बात के होते हुए भी कि नियत दिन से पहले बनाए गए कानून के अंगीकरण के लिए धारा 96 के अंतर्गत कोई उपबंध अथवा अपूर्ण उपबंध बनाए गए हैं तो ऐसे कानून को लागू करने के लिए अपेक्षित अथवा शक्तिप्राप्त कोई भी न्यायालय, अधिकरण अथवा प्राधिकरण जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में इसे लागू करने के प्रयोजनार्थ इसके आशय को प्रभावित किए बगैर उस तरीके से कानून बनाएगा जो न्यायालय, अधिकरण अथवा प्रधिकरण के समक्ष मामले के संबंध में आवश्यक अथवा समुचित हो।

सांविधिक कार्यों को निष्पादित करने के लिए अधिकरणों आदि को नाम देने की शक्ति।

98. उप-राज्यपाल संबंधित भू-भाग के संबंध में सरकारी राजपत्र में सूचना के द्वारा उस प्राधिकारी, अधिकारी अथवा व्यक्ति को विनिर्दिष्ट कर सकता है जो नियत दिन को अथवा उस दिन जो उस अधिसूचना में उल्लिखित की जाए, के बाद उस दिन प्रवृत किसी भी कानून के अंतर्गत ऐसे कार्यों को निष्पादित करने के लिए सक्षम होगा और ऐसे कानून तदनुसार प्रभावी होंगे।

विधिक कार्यवाहियां।

99. जहां नियत दिन से ठीक पहले, मौजूदा जम्मू और कश्मीर राज्य इस अधिनियम के अंतर्गत उत्तरवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के बीच आनुपातिक बंटवारे के अध्यधीन किसी संपत्ति, अधिकार अथवा देयताओं के संबंध में किसी कानूनी कार्यवाही का पक्षकार है, वहां जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र अथवा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र जो इस अधिनियम के किसी उपबंध के द्वारा उस संपत्ति अथवा उन अधिकारों अथवा देयताओं को उत्तराधिकार स्वरूप प्राप्त करता है अथवा उसमें शेयर प्राप्त करता है, को मौजूदा

जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में प्रतिस्थापित माना जाएगा अथवा उन कार्यवाहियों में पक्षकार के रूप में जोड़ा जाएगा और तदनुसार कार्यवाहियां चलती रहेंगी।

लंबित कार्यवाहियों का अंतरण।

100. (1) न्यायालय (उच्च न्यायालय से इतर), अधिकरण, प्राधिकरण अथवा ऐसे कोई क्षेत्र जो उस दिन जम्मू और कश्मीर राज्य के अंतर्गत आता है, के अधिकारी के समक्ष नियत दिन से ठीक पहले लंबित प्रत्येक कार्यवाही, यदि यह कार्यवाही अनन्य रूप से उस भू-भाग से संबंधित है जो उस दिन से किसी संघ राज्य क्षेत्र का भू-भाग है, तो वह उस संघ राज्य क्षेत्र के समरूप न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी अथवा अधिकारी को अंतरित माना जाएगा।

(2) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठता है कि कोई कार्यवाही उप-धारा (1) के अंतर्गत अंतरित कार्यवाही मानी जानी चाहिए तो उसे जम्मू और कश्मीर के सामान्य उच्च न्यायालय को भेजा जाएगा और उस उच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा।

(3) इस धारा में—

(क) कार्यवाही में कोई वाद, मामला अथवा अपील शामिल है, और

(ख) किसी संघ राज्य क्षेत्र में समरूप न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी अथवा अधिकारी का तात्पर्य है—

(i) ऐसा न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी अथवा अधिकारी जिसमें अथवा जिसके समक्ष कार्यवाहियां प्रस्तुत की जाएंगी, यदि यह नियत दिन के पश्चात शुरू हुई थी, अथवा

(ii) संदेह की स्थिति में उस संघ राज्य क्षेत्र में ऐसा न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी अथवा अधिकारी, जैसा उस संघ राज्य क्षेत्र की सरकार अथवा प्रशासन अथवा केंद्र सरकार, जैसा भी मामला हो, द्वारा नियत दिन के पश्चात अथवा मौजूदा जम्मू और कश्मीर राज्य की सरकार द्वारा नियत दिन के पहले निश्चित किया जाए, समरूप न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी अथवा अधिकारी होगा।

कुछ मामलों में प्लीडर्स को वकालत करने का अधिकार।

101. कोई भी व्यक्ति जो नियत दिन के ठीक पहले मौजूदा जम्मू और कश्मीर राज्य में अधीनस्थ न्यायालय में वकालत करने के लिए प्लीडर के रूप में सूचीबद्ध है, वह उस दिन से एक वर्ष के अवधि के लिए इस बात के होते हुए भी कि उन न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाला सम्पूर्ण अथवा कोई भू-भाग किसी संघ राज्य क्षेत्र को अंतरित कर दिया गया है, उन न्यायालयों में वकालत करने के लिए हकदार बना रहेगा।

अन्य कानूनों के अनुरूप अधिनियम के उपबंधों का प्रभाव।

102. किसी अन्य कानून में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रावधान प्रभावी रहेंगे।

कठिनाइंया दूर करने की शक्ति।

103. (1) इस अधिनियम को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा ऐसे प्रावधानों के प्रतिकूल ऐसा कुछ भी कर सकता है जो उस कठिनाई को दूर करने हेतु उन्हें आवश्यक अथवा जरूरी लगे:

परन्तु यह कि नियत दिन से पांच वर्ष की अवधि व्यतीत होने के पश्चात ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख मंडल का क्षेत्र बहुत बड़ा है किन्तु यहां की आबादी विरल है और भू–भाग बहुत ही कठिन है। लद्दाख के लोगों की लम्बे समय से यह मांग रही है कि लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया जाए ताकि वहां के लोग अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में विधानमंडल नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त, मौजूदा जम्मू और कश्मीर राज्य में सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा दिये जाने के कारण आंतरिक सुरक्षा की व्याप्त स्थिति के मद्देनजर जम्मू और कश्मीर के लिए एक पृथक संघ राज्य क्षेत्र सृजित किया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में विधानमंडल होगा।

नई दिल्ली; **अमित शाह**

05 अगस्त, 2019

वित्तीय ज्ञापन

राजस्व के वितरण के संबंध में इस विधेयक के खण्ड 43 में यह उपबंध किया गया है कि केन्द्रीय सरकार जनसंख्या अनुपात और अन्य मापदंडों के आधार पर दो उत्तरवर्ती संघ राज्य क्षेत्रों के बीच चौदहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए अवार्ड के हिस्से को निर्धारित करेगी। उक्त खण्ड में, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, उस उत्तरवर्ती संघ राज्य क्षेत्र को समुचित अनुदान प्रदान करने की योजना भी है।

विधेयक के खण्ड 84 में सलाहकार समिति (तियों) की सिफारिशों के आधार पर परिसंपत्तियों और देनदारियों के विनियोजन का उल्लेख किया गया है जिसके लिए भारत की समेकित निधि से व्यय आवश्यक हो सकता है।

लद्दाख के लिए बिना विधानमंडल वाले पृथक संघ राज्य क्षेत्र के गठन के लिए, भारत की समेकित निधि से व्यय आवश्यक होगा।

प्रथम अनुसूची

[धारा 9 देखें]

जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र

राज्य परिषद् के सदस्य

क्र. सं.	पदासीन सदस्य का नाम	कार्यकाल
1.	फैयाज मीर मोहम्मद	11/02/2015 से 10/02/2021
2.	लावाय श्री नजीर अहमद	16/02/2015 से 15/02/2021
3.	मन्हास श्री शमशेर सिंह	11/02/2015 से 10/02/2021
4.	गुलाम नबी आजाद	16/02/2015 से 15/02/2021

दूसरी अनुसूची

[धारा 11 (1) देखें]

द डिलिमेटेशन ऑफ पार्लियामेंट री कॉन्स्टीट्युऐंसी ऑर्डर, 1976

जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

क्र. सं.	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार
1.	बारामूला	बारामूला जिला
2.	श्रीनगर	श्रीनगर जिला
3.	अनंतनाग	अनंतनाग जिला
4.	उधमपुर	उधमपुर, डोडा और कठुवा जिले
5.	जम्मू	जम्मू, राजौरी और पुंछ जिले

लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

क्र. सं.	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार
1.	लद्दाख	लद्दाख जिला

नोट:- (i) इस अनुसूची में किसी जिले का सदर्भ उस क्षेत्र के संबंध में लिया जाएगा जो अगस्त 1975 में पहले दिन को उस जिले में शामिल होगा।

(ii) संविधान (जम्मू और कश्मीर के लिए लागू) आदेश 1954 (सीओ 48) द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए यथा लागू भारत के संविधान के अनुच्छेद 81 व 82 के अंर्तगत द डिलिमेटेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड असेंबली कॉन्स्टीट्युऐंसी ऑर्डर, 1976 में शामिल विवरण के अनुसार ।

तीसरी अनुसूची

[धारा 14 (5) देखें]

द डिलिमेटेशन ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टीट्युऐंसी ऑर्डर, 1995

जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

क्र॰ सं॰	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	विस्तार
1	2	3
		कुपवाड़ा जिला
1.	करनाह	तहसील करनाह के सभी पीसी; तहसील कुपवाड़ा का पीसी केरान
2.	कुपवाड़ा पीसी	18–सुलाकोट, 20–रडाबग, 22–बमहामा, 23–द्रुर्गमुला; 25–गुशी; 26–बटेरगाम; 27–ददीकूट, 30–गुलगाम, 31–हर्राइ, 32–हयान, 33–त्रेहगाम, 34–गुगलोस, 35–क्रालपोरा, 36–गुजेरयोल, 37–गुंडीजोना–रेशी, 38–पंजगाम, 39–मीलयाल, 40–शूलूरा, 41–दर्दीहेरी–खरागुंड, 42–कुपवाड़ा और पीसी, 55–मंझगाम, तहसील हंदवाड़ा में।
3.	लोलाब	पीसी 1–हरदुरिंग, 2–चोंटीवारी, 3–माछिल, 4–कलारोच, 5–खूमरयाल, 6– कंठापोरा, 7–वावूरा, 8–मैदानपोरा, 9–खुरहामा, 10–वारनोव, 11–क्रूसान, 12–सोगम, 13–दरापोरा, 14–लालपोरा, 15–चंडीगाम, 16–टेकीपोरा, 17–दीवार इंद्रबग, 19–मनिगाह, 29–हैहामा, 45–दर्दापोरा, तहसील कुपवाड़ा में।
4.	हंदवाड़ा	पीसी 8–मैदान चोगल, 28–तारटपोरा, 29–वीलगाम, 30–लीलाम, 31–दुलीपोरा, 32–ओपजावानी, 33–शोगापोरा, 34–नीलीपोरा, 35–मगम, 36, जगरपोरा, 39–बेहनीपोरा, 40–राजपोरा, 41–झचलदारा, 42–वादेर, 43–तुर्कापोरा, 44–छांजीमूला, 45–वादीपोरा, 46–भाकी अखर, 47–बाताकूट, 48–बरारीपोरा, 49–वारीपोरा गोनीपोरा, 50–नूतानूसा, 51–कांडीखास, 52–हंदवाड़ा, 53–धामा, 54–हंदवाड़ा तहसील में पंचाकूट और 21–केगाम, 28–नगरीमालपोरा, 24–नजातपोरा, तहसील कुपवाड़ा में।
5.	लांगटे	पीसी 1–लांगटे, 2–ऊनूसू, 3–पोहरूपेठ, 4–गलूरा, 5–मर्तगाम, 6–हंगा, 7–शानू, 9–नौगाम, 10–मवार, 11–कूलामचकला, 12–अदूरा, 13–हारिल, 14–द्रंगसू–शाह नगरी, 15–उदीपोरा– 16–करालगुंड, 17–लोकीपोरा, 18–कीचलो काजीपोरा, 19–खाइपोरा, 20–पंडितपोरा, 21–सुपर–नगम,22–आशापोरा, 23–सफलपोरा, 24–क्रालपोरा, 25–दीदारपोरा, 26–शाथगुंड–बल्ला, 27–रवालपोरा, 37–वशियाकावनर, 38–लछमपोरा, तहसील हंदवाड़ा में ।
		बारामूला जिला
6.	उड़ी	उड़ी तहसील के सभी पीसी
7.	राफियाबाद	पीसी 11–चकलू, 12–नदिहाल, 13–शीतलू, 15–बिनर कहदूरा; तहसील बारामूला में और पीसी 5–नाओपोरा कलां, 8–वाटरगाम, 9–फिदरपोरा, 10–हांदीपोरा, 11–यरबग, 12–रिबन–रमहामा, 13–लाडेारा, 14–रेहामा, 15–चिजाहामा, 16–वनपोरा, 17–पनजल्ला–गुंडाबल, 18–सायलकूट, 19–बलहामा–थकानपोरा, 20–चटूसा, 21–डांगीवाचा, 22–रवाया, 23–हरदूचनम, 24–बख्शीपोरा–बाटापोरा, 25–जिथान, 36–बेहरामपोरा, 37–चिटलोरा, 38–अचाबल, तहसील सोपोर में।

1	2	3
8.	सोपोर	पीसी 1–सोपोर के साथ एनएसी, 2–वारापोरा, 3–आरामपोरा, 4–डांगेरपोरा, 6–वातालब, 32–सीलू, 33–बोटिंगू, 34–मुंदजी, 35–दूरू, 39–हरदू–शिवा, 41–आदीपोरा–बोमई, 42–वादूरा, 40–तुजार–पहलीहार, 43–हरवान, 44–जालूरा, तहसील सोपोर में।
9.	गुरेज़	तहसील गुरेज़ में सभी पीसी
10.	बांदीपोरा	तहसील बांदीपोरा में सभी पीसी और तहसील सोनावारी का पीसी–1 अजस
11.	सोनावारी	पीसी–1 अजस को छोड़कर तहसील सोनावारी में सभी पीसी
12.	संग्रामा	पीसी–16–क्रीरी, 17–विजार, 18–औथोरा, 19–शलाकावाड़ा, 20–नाओपोरा–जागीर, 21–वागूरा, 22–काचुमुकम, 24–मनिगम, 25–कालांतरा–बल्ला, 26–देदमोह, तहसील बारामूला में 27–सुल्तानपोरा–कांडी और 7–तारजू, 26–हेगम, 27–सीर–जागिर, 28–बुलागम, 29–संग्रामा, 30–क्रांक–शिवान, 31–वागव, तहसील सोपोर में
13.	बारामूला	पीसी 1–लारीडोरा, 2–हीवान, 30–मालापोरा, 4–किच–हमा, 50–उस्कारा, 6–रवानपोरा के साथ एनएसी, 7–खाजा–बाग, 8–ताकी–सुल्तान, 9–खैतंगन, 10–देलिना, 14–कांसीपोरा, 23–चंदूसा, तहसील बारामूला में।
14.	गुलमर्ग	तहसील गुलमर्ग में सभी पीसी और, 2–वाइलू क्रालपोरा, 8–श्रीवरपोरा, 9–चोकर, 10–वारीपोरा–बांगिल, 12–मालमोह, 13–नोवलारी, 16–यल
15.	पट्टन	तहसील पट्टन, 2–वाइलू–क्रालपोरा, 8–श्रीवरपोरा, 9–चोकर, 10–वारीपोरा बांगिल, 12–मालमोह, 13–नाओलारी और 16–यल, तहसील पट्टन में।
		जिला श्रीनगर
16.	कंगन	तहसील कंगन के सभी पीसी; और पीसी 1–मनीगम, 2–वाइलू, 3–नुनार, तहसील गंदेरवाल में।
17.	गंदरबल	तहसील गंदरबल 1–मनिगाम, 2–वाइलू, 3–नुनार को छोड़कर और पीसी हरन तहसील श्रीनगर में।
18.	हजरतबल	श्रीनगर नगर पालिका में वार्ड 16 (नगरपालिका क्षेत्र जो श्रीनगर तहसील में नहीं बल्कि गंदरबल तहसील में आते हैं) और पीसी 9–तहसील गंदरबल में बचपोरा और वार्ड 12 के इन मोहल्लों के सिवाय वार्ड 17 व 12; मुगल मोहल्ला, सुरतेंग, ख्वाजापोरा, कोचा निदान जिंदाशाह और इन वार्डों की बोट आबादी
19.	जदीबाल	श्रीनगर नगरपालिका के वार्ड 14 व 15 और अंचर और इन वार्डों के घाट की बोट आबादी
20.	ईदगाह	श्रीनगर नगरपालिका के वार्ड 8 व 11 और पीसी 38–लालपोरा, तहसील श्रीनगर में और 41–संगम
21.	खन्यार	श्रीनगर नगरपालिका के वार्ड 10–13 और वार्ड 12 के ये मोहल्ले–मुगल मोहल्ला, सुरातेंग, ख्वाजापोरा, जिंदशाह और कोछा निदान और इन वार्डों की बोट आबादी
22.	हब्बाकाडा	श्रीनगर नगर पालिका में वार्ड 7 और 9 तथा वार्ड 6, 7 और 9 की बोट आबादी
23.	अमिराकाडाल	श्रीनगर नगर पालिका में वार्ड 3 और 4
		(i) नातीपोरा, (ग्रामीण), (ii) रावलपोरा (ग्रामीण), (iii) हैदरपोरा (ग्रामीण); को छोड़कर और तहसील चदूरा में आरामवाड़ी, गुंड चंदाल, स्टिंगू, सुथो किरथर बाग और तहसील बडगाम में बटटूर, गलवनपोरा लालू और शेषगम बाग को छोड़कर और वार्ड 5 तथा इन वार्डों की बोट आबादी

1	2	3
24.	सोनावर	श्रीनगर नगर पालिका में वार्ड 1 तथा 2 और श्रीनगर तहसील में बादामी बाग केंटोनमेंट तथा पीसी 21–चित्रहामा, 19–दारा, 29–खूंमू, 30–बलहामा, 31–ज़िवान और इन वार्डों में घाट की बोट आबादी
25.	बटमालू	श्रीनगर नगर पालिका में वार्ड 5 और 6; और पीसी 6–मुजगुंड, 42–बाचीपोरा तेंगपोरा, श्रीनगर तहसील में।
		जिला बडगाम
26.	चदूरा	तहसील चदूरा के ये पटवार सर्कल, 16–चदूरा, 24–चट्टेरगम, 25–वगोरा, 26–वथूरा, 27–खांदा, 28–बुगम बाटापोरा, 29–क्रालपोरा, 30–हयातपोरा, 31–पोहरू, 32–रख सलीना, 33–बगामी कानीपोरा, 34–नावोगम, 35–कानीहामा, 36–दौलतपोरा, श्रीनगर नगर पालिका वार्ड 4 में श्रीनगर नगर पालिका क्षेत्र सीमा से बाहर नातीपोरा ग्रामीण क्षेत्र और 39–लसजन तथा अमरबाड़ी, गुंद, चंदाल स्टेंगू, सुथू, किर्थरबाग और 40–कुर्सू पादशाहीबाग
27.	बडगाम	पीसी 1–सोइबुगा, 2–ध्रमाना, 3–बहाबपोरा, 4–आर्थ, 5–वदवान, 6–बेमिना, 7–पल्लर, 8–गेरिएंड कलां, 9–शोलीपरा, 10–नस्सर–उल्लाह–पोरा, 11–जहामा, 12–वाटर–वानी, 28–चुने, 29–बडगाम, 30–ओमपोरा, 31–नरकारा, 32–हमहमा, 35–करेवा दामोदर, 36–गुंड साथू, 37–इचाकूट, 38–इचगम, 33–रावलपोरा (ग्रामीण), 34–हैदरपोरा (ग्रामीण), तहसील बडगाम में।
28.	बीरवाह	पीसी 1–सुज़ेथ–गूरीपोरा, 2–कवूसा खलीसा, 3–कावूसा जागिर, 4–बाटापोरा काहीहामा, 5–सानूर कालीपोरा, 6–हर्दू मालपोरा, 7–बंदागाम, 8–उटलीगाम, 9–मुला–शुल्ला, 10–सोनापह, 12–गोंदीपोरा, 21–शांग्लीपोरा, 22–खाग, 23–मालपोरा खाग, 24–हिमचीपोरा, 25–लालपोरा, 26–बीरवाह, 27–चिवदारा, 28–पेठ मुकाहामा, 29–रथूसन, 30–बोना मकाहम, 31–नगम, 32–इस्किंदरपोरा, 33–अरीपांठन, 34–पालपोरा, 36–हरदुआ–शोर्श, तहसील बीरवाह में।
29.	खानसाहिब	पीसी 11–होखालात्री, 13–फरतहन, 14–कंदूरा, 15–द्राघ, 16–सीताहरन, 17–जोगीखारियां, 18–अरिज़ल, 19–कमरू, 20–रावलपोरा–बीरवाह; और पीसी 35–तहसील बीरवाह में सैल; और पीसी 13–वाटरहैल, 14–ज्वालापोरा, 15–सोंदीपोरा, 16–दालीपोरा, 17–चारीखाह, 18–तालापोरा, 19–परनवाह दरयाग्राम, 21–फ्रेटवार काशीपुरा, 22–अरीगाम, 23–खान साहेब, 24–राईथान, 25–कछवारी, 26–गुरवेट कलान, 27–फालचाल, तहसील बडगाम में।
30.	चरारे शरीफ	पीसी 1–गोगजी पथारी, 2–बिरंजन, 3–हाफारू बाटापोरा, 4–बरनावार, 5–सुरयार, 6–डाडा–ओमपारा, 7–हांजुरा, 8–नावपोरा, 9–पाखरपोरा, 10–हारुदू दलवान फुरलीपोरा, 11–तिलसारा, 12–चरारे शरीफ, 13–वतकालू, 14–दरवान नोगाम, 15–छटेसन, 17–नागाम, 18–बांदीपूरा, 19–यारीकलान, 20–रूपूरा नामथीहाल, 21–कानेर, राणजर, 23–नागाम, 37–नावार, तहसील छादोरा में।
		पुलवामा जिला
31.	त्राल	तहसील त्राल के सभी पीसी
32.	पंपोर	तहसील पंपोर के सभी पीसी और पटवार सर्किल 26–अवंतीपोरा, 27–पादगामपोरा, 29–लिलहार, 46–निहाम, 47–काकापोरा, तहसील पुलवामा में।
33.	पुलवामा	पीसी 1–इन्द्र, 2–गंगू, 5–पुलवामा एनएसी के साथ, 9–रतनीपूरा, 10–पाहू, 11–तिरिच, 12–कोएल, 13–पिंगलीना, 14–नारवा, 17–लीत्तर–शीस्तार, 18–नाइना, 19–पंजगाम, 20–डोगरीपोरा, 21–रिशीपोरा, 22–लादरपुर, 23–नावनगरी, 24–टोकना, 25–मलंगपोरा,

1	2	3
		28–लाजूरा, 40–पालापोरा, 45–नेवा, 48–जगीर परिगाम, 49–तुमची नोपोरा, 50–हाकरीपोरा तहसील पुलवामा में।
34.	राजपोरा	पीसी 3–करीमाबाद, 4–मोरान, 6–कांगन, 7–वाहीबुग्ग, 8–गोसू, 15–बोनारा, 16–त्रिचल, 30–रामू, 31–बिलोद्रगुंद, 32–कस्बयार, 33–दुरुबगाम, 34–मित्रीगाम, 35–अभामा, 36–तुंजान, 37–खड़ूगाम, 38– नूरपोरा, 39– अरिहत, 41–तहाब–शादीपोरा, 42–अछन, 43–चंडीगाम, 44–राजपोरा तहसील पुलवाला में।
35.	वाछी	पीसी 8–कालरू मालिकगुंड, 9–नाडीगाम, 11–डंगेरपोरा, 12–तुरका वनगाम, 13–ऊरापोरा, 14–हरदू–हेंडो, 15–हरमेन, 16–चाक–चोवंद, 17–कापरन, 19–डनगाम, 20–चाकोरा, 21–परताबपोरा, 27–हेफ, 28–सुगान, 29–अवनेरा, 30–वाछी, 31–अगलार, 32–जेनापोरा और 39–अलवापोरा–शेखपूरा, तहसील सोपियान में।
36.	सोपियान	पीसी 1–साईदापोरा, 2–मीमनडार, 3–अरहामा, 4–पिनजूरा, 5–गंनावपोरा अरिश, 6–बेमनीपोरा, 7–हारापोरा, 10–तेरंज, 18–विहिलचल–अवाटू, 22–सीडीयू, 23–राम नगरी, 33–डीयारू, 34–भारतीपोरा, 35–डारामदूरा, 36–जूरा–बादरहाम, 37–नारापोरा, 38–कीगाम, 40–केलर मस्तपोरा, 41–पहलीपोरा, 42–सिंधु–श्रीमल, 43–शोपियां, 44–देवीपोरा (फोरेस्ट ब्लाक) तहसील शोपियां में।
		अनंतनाग जिला
37.	नूराबाद	पीसी 5–मालवन, 6–पहलू, 7–अखल, 23–गुद्दर, 34–ब्रिनाल लामबर, 46–दामहल–हांजीपोरा, 47–अहमदा–अबाद, 48–यारू, 49–हरदू–मनडागोरी, 51–मंजगाम, 52–असनूर, 53–वाटू, 54–अविल, 55–खूरी–बातापोरा, 56–नगाम, 57–दानौ–कंडीमार्ग, 58–बडी–जेहलन, 59–चीमार, 60–कस्बा खल, 61–नन्दीमार्ग तहसील कुलगाम में।
38.	कुलगाम	पीसी 1–कुलगाम एनएसी के साथ, 2–हनद–चवालगाम, 3–आमनू, 4–चम्बागुन्ड, 11–अशमुजी, 19–मिरहामा, 20–अकेय, 21–परिवान, 22–चेहला, 24–अरेह, 25–बिहिबाग, 26–गोपालपोरा, 38–बुगम, 39–तारीगाम–देवसर, 43–यामरोच, 44–मुनद–गुफ्फान, 45–काटेरसू, 50–लारगुरहोमा, तहसील कुलगाम में।
39.	होम–शालीबग	पीसी 8–ऊरानहल, 9–तुली–नौपारा, 10–कुजर, 12–रेडवानी, 13–अरवानी, 14–फ्रीसल, 15–जबलीपोरा, 16–वानपोरा, 17–हसनपोरा तवेला, 18–खंडी–फारी, 40–तारीगाम–देवीबग, 41–मोतीबग, 42–होमशालीबग, तहसील कुलगाम में।
40.	अनंतनाग	पीसी 1–कस्बा भगत, 2–खानावाल, 3–रूहू, 4–कमार, 5–अंचीदूरा, 6–हरदू–चीचन, 10–रणवीरपुरा, तहसील अनंतनाग में।
41.	देवसर	पीसी 27–देवसर, 28–बोना देवसर, 29–किलम–बुजगाम, 30–हबलीशी, 31–निपुरा, 32–लाराम–गानीपुरा, 33–चौगाम, 35–रजलू, 36– वेटेनगू, 37–सोपत, टेंगपुरा, 62–ओरल, तहसील कुलगाम में; और पीसी, 18–वेसू, 19–नासू बदारगुंद, 20–पानजेठ, 21–कुरीगाम, काजीगुंद एनएसी के साथ, दोरू तहसील में।
42.	दोरू	पीसी 1–दोरू, 2–बरागाम, 3–ओईबमदूथ, 4–मन्तपुरा, 5–लरकीपुरा, 6–हकुरा, बादासगम, 7–बटगुंड, 8–वेरीनाग, 9–सादीवारा, 10–मंदाह, 11–हिल्लेर, 12–नौगाम, शाहबाद, 13–रेन–चौगुड, 14–थमनकूट, 15–कमार, 16–हल्सीदर, 17–कापरोन, 22–वानगुंड, तहसील दोरू में।

1	2	3
43.	कोकेरनाग	पीसी 28–सागाम, 29–बिदर–हयातपुरा, 30–भाई, 31–अकीनगाम, 32–नागाम, 33–सूफ–शाली, 34–पंजगाम, 35–बिन्दो–जुलानगाम, 36–देवालगाम, 37–नांला सन्द–बरारी, 38–लुहार–संजी, 39–अहलान–गादोल, 40–खाराती, 41–देसू, 42–खारापुरा, 43–कस्बा–नौबग, 44–माटी हंडू, 45–लरनू, 46–कोकेरनाग एनएसी, 47–अचाबल एनएसी, तहसील अनंतनाग में।
44.	शानगस	पीसी 13–शाहीबाबाद, 14–नौगाम, 15–ईमोह, 16–बराकपुरा, 17–शानगस, 18–उत्तरासू, 19–करेरी, 20–चातेरगुल, 21–धीकलपुरा, 22–रानीपुरा, 23–देथो–नागनारायण, 24–गोपालपुरा, 25–तेलवानी, 26–कवारीगाम, अहूपोसन, तहसील अनंतनाग में।
45.	बिजबेहरा	बिजबहेरा तहसील में सभी पीसी और पीसी 7–माचा बावान, 11–नानीलैंग, 12–अकोरा, तहसील अनंतनाग में।
46.	पहलगाम	पहलगाम तहसील में सभी पीसी और पीसी–8–सीर–कनलीगुन्द, 9–सलिया, तहसील अनंतनाग में।
		डोडा जिला
47.	किश्तवाड़	पीसी, 1–मरघी, 2–इन्शान, 3–येरूदू, 4–रेनाई, 5–नौपाची, 6–चंजेर, 7–कदेराना, 8–देहराना, 9–लोपारा, 10–लोहराना, 11–सौंधर, 19–पालमार, 30–त्रिगाम, 31–किश्तवाड़, 32–मत्ता, 33–पूचल, 34–दूल, 35–भागनाह, 36–गलारबाहता, 37–अथोली, 38–सोहल, 39–इश्तियारी, 40–गुलाबहार, 41–मासू, 42–किश्तवाड़, एनएसी, 43–फोरेस्ट ब्लॉक, तहसील किश्तवाड़ में ।
48.	इंदरवाल	पीसी 12–चिनगाम, 13–इंदरवाल, 14–चतरू, 15–सिग्दी, 16–मूलछितर, 17–द्रूबील, 18–कोचल, 20–फिल्लेर, 21–पखलान, 22–केशवान, 23–शान्दरी, 24–संगना, 25–पटनाजी, 26–ज्वालापुर, 27–लौंडरी, 28–बाघाट और 29–करूल, तहसील किश्तवाड़ में; पीसी, 1–जैकयास भालेसा (गन्दोह) में और थटरी तहसीन में निम्नलिखित पीसी, 1–जंगलवार, 3–मलानू, 4–कांसू, 10–कंदोर, तहसील थातरी में।
49.	डोडा	तहसील डोडा के सभी पीसी, 8–देस्सा, 9–धंदाल, 10–कस्तीगढ़, 11–शामती, 12–चका, 13– अस्सर, 14– चरोटा को छोड़कर
50.	भादरवाह	तहसील भादरवाह के सभी पीसी और पीसी 2–बुघली, 3– चिल्ली, 4–धरावानी, 5–कहल जुगासर, 6–बुधवार, 7–चनीसर, 8–किलोतरन, 9–खारंगल, 10–गंदोह, तहसील भलेसा में, और पीसी 2–जोरा, 5–भाजा, 6–भल्ला, 7–जागिति, 8–भल्लारी, 9–रोकली, 10–पमशाई, तहसील थाथरी में।
51.	रामबन (एससी)	5–सारबगनी को छोड़कर, तहसील रामबन के सभी पीसी और 8– देस्सा, 9–धंघाल, 10–कश्तीगढ़, 11–शमती, 12–चका, 13–अस्सर, 14–चरोटा पीसी, तहसील डोडा में।
52.	बनिहाल	तहसील बनीहाल के सभी पीसी और तहसील रामबन में 5–सारबगनी
		उधमपुर जिला
53.	गुलाबगढ़	पीसी 2–माहोर, 2–सढ़, 3–देवल, 4–गुलाबगढ़, 5–चसोत, 6–बागानकोट, 7–शेरगढ़ी, 8– शिकारी, 9–कंथी, 10–तुलीबाना, 13–शजरू, तहसील गुलाबगढ़ में और पीसी 16–जिज, तहसील रियासी में।
54.	रियासी	रियासी तहसील में इन पीसी को छोड़कर:–
		1–सलल, 15–चिंकाह, 16–जिज, 17–ठकराकोट और उधमपुर तहसील में निम्न पीसी 13–पंजार, 14–लाली, 15–लादह, 17–टंडु, 18–झंडावा, 32–बढ़ौता और 19–सुहल

1	2	3
55.	गुल अरनास	गुल गुलाबगढ़ तहसीन की निम्नलिखित पीसी:
		11–थुरू, 12–भुधान, 4–कंथम, 15–जुद्दा, 16–दानौ, 17–काली मस्ता, 18–गुल, 19–ठथरका, 20–संगालदन, 21–फारेस्ट ब्लॉक, और 1–सलल, 15–चिंकाह, 17–थकराकोट तहसील रियासी में।
56.	उधमपुर	उधमपुर तहसीन के सभी पीसी को छोड़कर निम्न पीसी:
		13–पंजर, 14–लाली, 15–लाधा, 17–धंदु, 18–झंडावा, 19–सुहाल, 20–लुधा, 21, बालियान, 27–सुनाल, 29–मीर, 30–काठी, 32–बघोटा
57.	चेनानी (एससी)	चेनानी तहसील के सभी पीसी और उधमपुर तहसील के निम्नलिखित पीसी 20–लाधा, 21–बलियान, 27–सुनाल, 29–मीर, 30–काठी, और तहसील रामनगर के निम्नलिखित पीसी–10–दुदु, 11–लत्ती, 31–घोरडी, 33–हरतारियां, 34–दंडाल, 35–बरमीन, 36–नाला घोरान
58.	रामनगर	निम्नलिखित के सिवाय तहसील रामनगर के सभी पीसी:—
		10–दुदु, 11–लत्ती, 31–घोरडी, 33–हरतारियां, 34–दंडाल, 35–बरमीन, 36–नाला घोरान।
		कठुआ जिला
59.	बनी	पीसी 14–बनी, 15–बनजाल, 16–फतेहपुर, 17–संदरून, 18–रोल्का, 19–बुग्गाह, 20–लोवांग, 21–केंथल, 22–सुरजन, 23–धंग्गर, 24–कोटी, 25–फॉरेस्ट ब्लॉक तहसील बासोहाली में तथा पीसी 9–गोडू फलाल, 10–बडनोटा, 11–मचाडी, 20–मलहार, तहसील बिल्लावर में।
60.	बसोहली	पीसी 1–थीन, 2–बसंतपुर, 3–लखनपुर, 4–हटली, 7–त्रिडवान, 36–लखनपुर एनएसी, 29–बरथीयान और 30–सोरलियां तहसील कठुआ में और पीसी 1–बसोहली, 1–ए–बसोहली एनएसी, 2–संधार, 3–हट, 4–भूंड, 5–समन, 6–धार जंकर, 7–महानपुर, 8–प्लाही, 9–परीता, 10–साबेर, 11–पट्टी, 12–एठालीठ, 13–महानपुर, तहसील बसौली में तथा पीसी 21–धार डिगनो, 22–हट्टार, 23–दामरा, तहसील बिल्लावर में।
61.	कठुआ	पीसी 5–दिलवान, 6–माहा, 8–खरोटे, 9–तरफ मंजिली, 10–तरफ ताजवल, 11–करीयां, 12–तरफ बजवाल, 13–चंगरान, 14–गोविंदसर, 15–चाक सून लूपा, 16–खाकयाल, 17–मीरपुर राम, 18–तरफ बल्ला, 20–कथारियां, 21–जंगलोट, 22–लोआगेट, 23–जखबार, 24–ऐयरवान, 26–चक सकता, 27–बुधि, 28–ननान, 31–बरवाल, 32–झेरहेरी, 33–कठुआ फारेस्ट ब्लाक, 34–कठुआ एनएसी, 35–परलेन तथा 25–फोलेटे, तहसील कठुआ में।
62.	बिल्लावर	पीसी 11–कटली, 17–भाया, 21–डेंगा अंब, 23–धमाल, 25–मंगलूर, 26–चेलख, 27–सालेन, तहसील हीरानगर में 1–रामकोट, 2–मकवाल, 3–सलोरा, 4–राजवल्टा, 5–दनजीसधर, 6–थारा कलवाल, 7–कलयाल, 8–थनथू, 12–कोहाग, 13–माल्टी, 14–दूरांग, 15–धरनकोट, 16–भादू, 17–बिल्लावर, 18–बिलावर एनएसी, 19–बुग्गन, 24–परनाला, 25–पल्लन, तहसील बिल्लावर में तथा पीसी 19–जुठाना, तहसील कठुआ में।
63.	हीरानगर (एससी)	पीसी 1–जतवाल, 2–नोनाथ, 3–घागवाल, 4–सराठ, 5–भत्यारी कोटलान, 6–सनूरा, 7–मावा, 8–नोहरान, 9–चचवाल, 10–सरती कलां, 12–चक दुलमा, 13–जोनडी, 14–लोंडी, 15–राजपुरा, 16–कूताह, 18–गुराह मठियां, 19–बावीया, 20–कताल ब्रहमाना, 24–हमीरपुर, 28–छान रोरियां, 29–मरहीन, 22–साईवान, 20–खानपुर, 31–हीरानगर, 32–हीरनगर एनएसी, 33–पनसार, 34–कोरे पुनु, 35–चक देवा, 36–चक भगवान, 36–चक कहान, 38–चदवाल, 39–फोरेस्ट ब्लॉक, तहसील हीरानगर में।

1	2	3
		जम्मू जिला
64.	साम्बा (एससी)	पीसी 1-एनएसी साम्बा, 2-साम्बा खास, 3-तलूर, 4-अमली, 5-दूरीन, 6-कटली, 7-राम नगर, 8-पिंगडोर, 11-पुनिया, 10-सरना, 12-भरतगढ़, 13-सूरन, 14-गोरन, 15-बलहतर, 17-कठवालता, 18-खराह मदेना, 21-भगोरे, 22-पुरमंडल, 24-मोहरगढ़, 25-बधारी, 26-कर्द तहसील साम्बा में, और पीसी 28-चौदी, तहसील, जम्मू में।
65.	विजयपुर	पीसी 9-खानपुर, 20-विजयपुर, 23-गुराह सलाथियां, 28-हरमंदर, 19-चक सलारियां, 20-नांगा, 21-डोंगवाल, 32-केसो मनहसन, 33-रामगढ़, 34-घो ब्रहमाना, 35-चक चताका, 36-चन फटवाल, 37-अबटल, 38-सवानका, 39-महल शान, 40-रारी, 41-स्माईलपुर, 27-बीरपुर, 42-तरोर, 43-बगला, 44-गंडवाल, तहसील साम्बा में।
66.	नगरोटा	पीसी 39-रंजन, 40-सरोठ, 41-जंदियाल, 22-गोरडा, 44-नगरोटा, 47-दनसाल, 46-झजर कोटली, 47-थारा, 48-बमयाल, 39-कटल बटल, 50-शीबा, 51-जगति, 52-जींद्राह, 53-कनयाल, 54-कोठार, 35-खारते, 56-धन, 57-सोनगून, 58-पोनथल, 59-सूरीनसर नामक पीसी और तहसील जम्मू के अंतर्गत 16-बईन बजालटा, 19-ऐथेन, तहसील साम्बा में।
67.	गांधीनगर	वार्ड-16 (गांधी नगर), वार्ड-17 (नई बस्ती), वार्ड-22 (चहानी राम), वार्ड-22 (बाहु), -24 (दिगयाना), 26-बहु, 27-संजवान, 29-गादीगढ़, 30-सतवारी, तहसील जम्मू में।
68.	जम्मू ईस्ट	वार्ड 1 से 6, 9, 10, 12 और 15।
69.	जम्मू वेस्ट	वार्ड 7, 8, 11, 13, 14,, 18, 19, 20, और 21।
70.	बिशनाह	तहसील बिशनाह के अन्तर्गत सभी पीसी और नौग्रान, तहसील जम्मू में।
71.	आर॰एस॰ पुरा (एस सी)	पीसी 1-सलहार, 2-राठणा, 3-कण्डलिहार, 4-खौर, 5-कल्याण , 14-एनएसी सहित आर॰एस॰ पुरा, 15-खास गिगियां, 16-चौहल्ला, 19-किरपिंड, 20-कोटली शाह दूला, 25-मरलिया, 24-दारसोपूर, 35-गोंडला, तहसील आर॰एस॰ पुरा में।
72.	सुचेतगढ़	पीसी 6-डबलीहार, 7-मगोवाली, 8-परलाह, 9-चक बाजा, 10-नेकोवाल, 11-जेवरोह, 12-साई कलां, 13-चक मुलो, 17-बदयाल ब्रहमाना, 18-जसोर, 21-चक आगरा, 22-फतेहपुर ब्रह्मन्ना, 25-समका, 26-बसपुर, 27-रंगपुर मलाना, 28-सुचेतगढ़, 29-चंदू चाक, 30-सतोवाली, 31-ग्रराना, 32-बदयाल काज़ियां, 33-अबदाल, 34-चकरोई, तहसील आर॰एस॰ पुरा में।
73.	मढ़	पीसी 60-प्रह्लादपुर, 61-मंडल, 62-सुम, 65-घो मनहासन, 66-सोहनजाना, 67-थुब, 68-सहरान, 69-रठुवा, 70-छनोर, 71-मकवाल, 72-गूल, 74-गजांसो, 75-कल्याणपुर, 76-काहनाचक, 77-मढ़, 78-गंगू-चाक, 79-कालरूप, 80-धतेरयाल, 31-फ्लोरा नागबनी, तहसील जम्मू में।
74.	रायपुर डोमाना (एस सी)	पीसी 31-पालोरा, 32-मुठ्ठी, 33-बर्न, 34-सीरी पंडितान, 35-घरोटा, 36-रायपुर डोमाना, 37-कोट भलवल, 38-अम्ब, 43-केंक, 63-हक्कल, 64-खंडवाल, 73-भडोरा, 82-पंजोर, तहसील जम्मू में।
75.	अखनूर	पीसी 1-चौकी, 2-चौरा, 3-कथार, 4-मंदरियां, 8-नर्री, 6-अम्बरान, 7-बरुई, 9-गंदेरवान, 10-मांडा, 11-अखनूर खास, 12-सुंगल, 13-पंगाईरी, 14-देवीपुर, 15-चक किरपालपुर, 16-जध, 17-मुट्ठी माइरा, 18-रख धोके, 19-सलीओट, 20-घर मजूर, 21-मावा ब्रहमाना, 22-लेहेरियां, तहसील अखनूर में।

1	2	3
76.	छंब (एस सी)	पीसी 8–मट्टू, 24–गुराह मनहासन, 25–सरवाल, 23–परगवाल, 26–भलवाल मालू, 27–हमीरपुर, 28–बाकोर, 29–चक मलाल, 30–डेरियां, 31–सेंठ, 32–गिगरियाल, 33–खौर, 34–कोट मेरा, 35–पालनवाला, 36–खराह, 37–नाथाल, 38–दूरी, 39–छनी देवानू, 40–समुवांन, 41–चकला, तहसील अखनूर में।
		जिला राजौरी
77.	नौशेरा	11–नारियान के सिवाय तहसील नौशेरा के सभी पीसी और तहसील सुंदरबनी के सभी पीसी
78.	दरहल	3–खावास, 6–कोटे चालवाल के सिवाय तहसील बुधाल के सभी पीसी और तहसील थानामंडी के निम्नलिखित पीसी:–
		5–दरहाल, 6–चौदियां, 7–नादियां, 8–उझान; और पीसी 4–नगरोटा, तहसील राजौरी में
79.	राजौरी	तहसील राजौरी के निम्नलिखित पीसी:–
		1–गंबीर मुगलान, 2–दनी–धर, 7–बठूनी, 8–सरोला, 9–सोहाना, 10–डूंगी ब्राहमाना, 11–कटारमल, 12–डेरी डेलोट, 13–पंज ग्रेन, 14–गलहोटी, 15–फतेहपुर, 17–बागला, 19–एनएसी राजौरी सहित रामपुर, थानामंडी तहसील के निम्नलिखित पीसी सहित:–
		1–डोडासन बल्ला, 2–साज, 3–शाहदरा शरीफ, 4–होसप्लोट, 10–एनएसी सहित थानामंडी और 9–भरोटे
80.	कालाकोट	तहसील कालाकोट के सभी पीसी और तहसील राजौरी के निम्नलिखित पीसी:–
		2–डलहारी, 3–धंगरी, 6–पोठा ग्रलाना, 16–खानपुर चिंगस, 18–भदून और पीसी 11–नरियान तहसील नौशेरा में; और 3–खासकोट चलवाल, तहसील बुधल में।
		पुंछ जिला
81.	सुरनकोट	सुरनकोट तहसील के सभी पीसी और पीसी 12–राजपुर, 21–शींद्रा, 22–सेरी ख्वाजा, तहसील पुंछ में।
82.	मेंढर	तहसील मेंढर के सभी पीसी
83.	पुंछ हवेली	पुंछ तहसील के सभी पीसी सिवाय 12–राजपुर, 21–शिंद्रा, 22–शेरी ख्वाजा के।

टिप्पणी : इस सारणी में तहसील,पटवार सर्किल (पीसी), वार्ड अथवा एनएसी (अधिसूचित क्षेत्र समिति) के किसी भी संदर्भ का अभिप्राय 1–4–1995 को तहसील, पटवार सर्किल, अधिसूचित क्षेत्र समिति या वार्ड के भीतर शामिल क्षेत्र से है।

चतुर्थ अनुसूची

[धारा 16, 24 और 54 देखें]

शपथ या प्रतिज्ञन का प्ररूप

I

जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा के लिए निर्वाचन हेतु उम्मीदवार द्वारा ली जाने वाली शपथ अथवा प्रतिज्ञान का प्ररूप

''मैं, ए०बी०, ... की विधान सभा में सीट को भरने के लिए उम्मीदवार के रूप में नामित किए जाने पर ईश्वर की शपथ लेता/लेती हूं/निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता/करती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा/रखूंगी तथा मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा/रखूंगी।''

II

जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ अथवा प्रतिज्ञान का प्ररूप

''मैं, ए०बी०, ... की विधान सभा का सदस्य निर्वाचित (अथवा नामित) होने पर ईश्वर की शपथ लेता/लेती हूं/निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता/करती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा/रखूंगी, यह कि मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा/रखूंगी तथा मैं उस दायित्व का निष्ठापूवर्क निर्वहन करूँगा/करूँगी जो मुझे सौंपा जाएगा।''

III

जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मंत्रिमंडल के सदस्य के लिए पदभार ग्रहण करने के लिए शपथ का प्ररूप

''मैं, ए०बी०, ... ईश्वर की शपथ लेता/लेती हूं/निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता/करती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा/रखूंगी, यह कि मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा/रखूंगी, यह कि मैं बिना किसी भय और पक्षपात, लगाव या दुर्भावना के बिना संविधान और विधि के अनुसार सभी लोगों के प्रति एक समान व्यवहार करूँगा/करूँगी।''

IV

जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मंत्रिमंडल के सदस्य के लिए गोपनीयता की शपथ का प्ररूप

''मैं, ए०बी०, ... ईश्वर की शपथ लेता/लेती हूं/निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता/करती हूं कि मैं ऐसे किसी भी विषय को किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा/करूंगी जो विषय संघ राज्य क्षेत्र के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा या मुझे ज्ञात होगा तब के सिवाय जब ऐसे मंत्री के रूप में अपने दायित्वों के यथोचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो।

पांचवी अनुसूची

(धारा 95 और 96 देखें)

सारणी –1

संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर; तथा संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख पर लागू की गईं केन्द्रीय विधियां

क्रम सं॰	अधिनियम का नाम	धारा/संशोधन
1.	द आधार (टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाईनानशियल एंड अदर सबसिडिज, बेनिफिट्स एंड सर्विसेस) एक्ट, 2016	धारा 1 की उपधारा (2) में ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
2.	द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट, 1985	धारा 1 की उपधारा (2) के खंड (ख) का लोप किया जाएगा।
3.	द आनंद मेरिज एक्ट, 1951	धारा 1 की उपधारा (1) में ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
4.	द आरबीट्रेशन एण्ड कानसिलिएशन एक्ट, 1996	धारा 1 की उपधारा (2) के परंतुक का लोप किया जाएगा।
5.	द बेनामी ट्रांजेक्शन (प्रोहिबिशन) एक्ट, 1988	धारा 1 की उपधारा (2) में ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
6.	द चेरीटेबल एंडोवमेंट एक्ट, 1890	धारा 1 की उपधारा (2) में ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
7.	द चिट फंड एक्ट, 1982	धारा 1 की उपधारा (2) में ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
8.	द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908	धारा 1 की उपधारा (3) के खंड का लोप किया जाएगा।
9.	द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973	धारा 1 की उपधारा (2) में ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
10.	द कामशियल कोर्ट्स एक्ट, 2015	धारा 1 की उपधारा (2) में ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
11.	द कमीशन फोर प्रोटेक्शन ऑफ चाईल्ड्स राईट्स	धारा 1 की उपधारा एक्ट, 2006 (2) में ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
12.	द कमीशन ऑफ इनक्वारी एक्ट, 1952	धारा 1 की उपधारा (2) के परंतुक का लोप किया जाएगा।
13.	द कंजूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 1986	धारा 1 की उपधारा (2) में ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
14.	द कनटैम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, 1971	धारा 1 की उपधारा (2) के परंतुक का लोप किया जाएगा।
15.	द डिलिमिटेशन एक्ट, 2002	धारा 2 (च) का लोप किया जाएगा।
16.	द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, 1939	धारा 1 की उपधारा (2) में ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
17.	द डिस्टर्ब्ड एरिया (स्पेशल कोर्ट्स) एक्ट, 1976	धारा 1 की उपधारा (2) में ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
18.	द डावरी प्रोहिबिशन एक्ट, 1961	धारा 1 की उपधारा (2) में ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

क्रम सं॰	अधिनियम का नाम	धारा/संशोधन
19.	द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आबजेक्शनेबल एडवरटाईजमेंट) एक्ट, 1954	धारा 1 की उपधारा (2) में ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
20.	द ईजमेंट्स एक्ट, 1891	समग्र रूप से लागू किया जाएगा।
21.	द इलेक्ट्रीसिटी एक्ट, 2003	धारा 1 की उपधारा (2) में ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
22.	द एम्लाईज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनिअस प्रोविजन्स एक्ट, 1952	धारा 1 की उपधारा (2) में ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
23.	द एमपलाएमेंट ऑफ मेनुअल स्केवेंजर्स एंड कंट्रक्शन ऑफ ड्राईलेटरिन्र्स (प्रोहिबिशन) एक्ट, 1993	समग्र रूप से लागू किया जाएगा।
24.	द एनिमी प्रोपर्टी एक्ट, 1968	धारा 1 की उपधारा (2) में ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
25.	द एनर्जी कंजरवेशन एक्ट, 2001	धारा 1 की उपधारा (2) में ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
26.	द फैमली कोर्ट्स एक्ट, 1984	धारा 1 की उपधारा (2) में ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
27.	द फेटल ऐक्सीडेंट्स एक्ट, 1855	धारा 1 की उपधारा (2) में ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
28.	द फारेस्ट (कंजरवेशन) एक्ट, 1980	धारा 1 की उपधारा (2) में ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
29.	द जरनल क्लॉजेज एक्ट, 1897	पुर्णत: विस्तारित।
30.	द गवर्नर्स (एमोल्यूमेंट्स, एलाउसेंस एंड प्रिविलेजज) एक्ट, 1982	धारा 1 की उपधारा (2) में ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
31.	द ग्राम न्यायालय एक्ट, 2009	धारा 1 की उपधारा (2) में ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
32.	द गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट, 1890	धारा 1 की उपधारा (2) में ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
33.	द हिन्दू एडॉपशन्स एंड मेंटिनेंस, एक्ट, 1956	धारा 1 की उपधारा (2) में ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
34.	द हिन्दू डिसपोजिशन ऑफ प्रापर्टी एक्ट, 1960	धारा 1 की उपधारा (2) में ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
35.	द हिन्दू मैरिज एक्ट, 1955	धारा 1 की उपधारा (2) में ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
36.	द हिन्दू माईनोरटी एंड गारडियन शिप एक्ट, 1956	धारा 1 की उपधारा (2) में ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
37.	द हिन्दू सक्सेशन एक्ट, 1956	धारा 1 की उपधारा (2) में ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
38.	द आईडेन्टीफिकेशन ऑफ प्रीजनर्स एक्ट, 1920	समग्र रूप से लागू किया जाएगा।

क्रम सं॰	अधिनियम का नाम	धारा/संशोधन
39.	द इनडिसेन्ट रिप्रेजेन्टेशन ऑफ वूमेन (प्रोहिबिशन) एक्ट, 1987	धारा 1 की उपधारा (2) में ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
40.	द इंडियनस बायलर्स एक्ट, 1923	धारा 1 की उपधारा (2) में ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
41.	द इंडियन क्रिशचन मैरिज एक्ट, 1872	धारा 1 की उपधारा (2) में ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
42.	द इंडियन कॉनट्रेक्ट एक्ट, 1972	धारा 1 की उपधारा (2) में ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
43.	द इंडियन इजमेंट्स एक्ट, 1982	समग्र रूप से लागू किया जाएगा।
44.	द इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872	धारा 1 की उपधारा (2) में ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
45.	द इंडियन फोरेस्ट एक्ट, 1927	समग्र रूप से लागू किया जाएगा।
46.	द इंडियन नर्सिंग कॉउंसिल एक्ट, 1947	धारा 1 की उपधारा (2) में ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
47.	द इंडियन पॉर्टनरशिप एक्ट, 1932	धारा 1 की उपधारा (2) में ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
48.	द इंडियन पीनल कोड, 1860	धारा 1 में ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
49.	द इंडियन स्टाम्प एक्ट, 1899	धारा 1 की उपधारा (2) में ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
50.	द इंडियन सक्सेशन एक्ट, 1925	समग्र रूप से लागू किया जाएगा।
51.	द इंडियन ट्रस्ट एक्ट, 1882	धारा 1 में ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
52.	द इंडियन वेटेरीनरी कॉउंसिल एक्ट, 1984	धारा 1 की उपधारा (2) में ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
53.	द इंडियन जजेज (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1885	धारा 1 की उपधारा (2) में ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
54.	द जुडियशल ऑफिसर्स (प्रोक्टेशन) एक्ट, 1850।	धारा 1 की उपधारा (2) में शब्द ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' का लोप किया जाएगा।
55.	द जुबेनाइन जस्टिक (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्डरन) एक्ट, 2015।	धारा 1 की उपधारा (2) में शब्द ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' का लोप किया जाएगा।
56.	द लीगल सर्विसेज अथोरिटीज एक्ट 1987।	धारा 1 की उपधारा (2) में शब्द ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' का लोप किया जाएगा।
57.	द लिमिटेशन एक्ट 1963।	धारा 1 की उपधारा (2) में शब्द ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' का लोप किया जाएगा।
58.	द मेन्टीनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेन्ट्स एण्ड सीनियन सिटीजन्स एक्ट, 2007	धारा 1 की उपधारा (2) में शब्द ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' का लोप किया जाएगा।

क्रम सं॰	अधिनियम का नाम	धारा/संशोधन
59.	द मेजोरिटी एक्ट 1875	धारा 1 की उपधारा (2) में शब्द ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' का लोप किया जाएगा।
60.	द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971	धारा 1 की उपधारा (2) में शब्द ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' का लोप किया जाएगा।
61.	द मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) अप्लीकेशन एक्ट, 1937	धारा 1 की उपधारा (2) में शब्द ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' का लोप किया जाएगा।
62.	द मुस्लिम वुमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राईट्स ऑफ डिवोर्स) एक्ट, 1986	धारा 1 की उपधारा (2) में शब्द ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' का लोप किया जाएगा।
63.	द नेशनल कमीशन फॉर माईनरटीज एक्ट, 1992	धारा 1 की उपधारा (2) में शब्द ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' का लोप किया जाएगा।
64.	द नेशनल कमीशन फॉर माइनरटी एजुकेशनल इस्टिट्यूट एक्ट, 2005	धारा 1 की उपधारा (2) में शब्द ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' का लोप किया जाएगा।
65.	द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज एक्ट, 1993	धारा 1 की उपधारा (2) में शब्द ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' का लोप किया जाएगा।
66.	द नेशनल कमीशन फॉर वूमेन एक्ट, 1990	धारा 1 की उपधारा (2) में शब्द ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' का लोप किया जाएगा।
67.	द नेशनल कांउसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट, 1993	धारा 1 की उपधारा (2) में शब्द ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' का लोप किया जाएगा।
67ए.	नेशनल सिक्यूरिटी एक्ट, 1980	धारा 1 की उपधारा (2) में शब्द ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' का लोप किया जाएगा।
68.	द नेशनल ट्रस्ट फॉर वेल्फेयर ऑफ पर्सन्स विद अटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी मेंटल रिटार्डेशन एण्ड मल्टिलपल डिसेबिलिटीज एक्ट, 1999	धारा 1 की उपधारा (2) में शब्द ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' का लोप किया जाएगा।
69.	द ओथ्स एक्ट, 1969	धारा 1 की उपधारा (2) में शब्द ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' का लोप किया जाएगा।
70.	द पार्टिशन एक्ट, 1893	धारा 1 की उपधारा (2) में शब्द ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' का लोप किया जाएगा।
71.	द फार्मेसी एक्ट, 1948	धारा 1 की उपधारा (2) में शब्द ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' का लोप किया जाएगा।
72.	द पावर्स ऑफ अटॉनी एक्ट, 1882	धारा 1 की उपधारा (2) में शब्द ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' का लोप किया जाएगा।
73.	द प्रिकसेप्शन एण्ड प्रि-मेटल डाईग्नोस्टिक टेक्निक (प्रोहिबिसन ऑफ-सलेक्शन) एक्ट, 1994	धारा 1 की उपधारा (2) में शब्द ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' का लोप किया जाएगा।
74.	द प्रिवेन्सन ऑफ ब्लैकमार्केटिंग एण्ड मेंटीनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ इसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट, 1980	धारा 1 की उपधारा (2) में शब्द ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' का लोप किया जाएगा।
75.	द प्रिवेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट, 1988	धारा 1 की उपधारा (2) में शब्द ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' का लोप किया जाएगा।

क्रम सं॰	अधिनियम का नाम	धारा/संशोधन
76.	द प्रिवेन्शन ऑफ क्रुअल्टी टू एनिमल्स एक्ट, 1960	धारा 1 की उपधारा (2) में शब्द ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' का लोप किया जाएगा।
77.	द प्रिवेन्शन ऑफ डेमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट, 1984	धारा 1 की उपधारा (2) में शब्द ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' का लोप किया जाएगा।
78.	द प्रिजनर्स एक्ट, 1900	समग्र रूप से लागू किया जाएगा।
79.	द प्रिजन एक्ट, 1894	समग्र रूप से लागू किया जाएगा।
80.	द प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेंसीज (रेग्यूलेशन) एक्ट, 2005	धारा 1 की उपधारा (2) में शब्द ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' का लोप किया जाएगा।
81.	द प्राइज चिट्स एण्ड मनी सरकुलेशन स्कीम (बैनिंग) एक्ट, 1978	धारा 1 की उपधारा (2) में शब्द ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' का लोप किया जाएगा।
82.	द प्रोबेसन ऑफ ओफेन्डर्स एक्ट, 1958	धारा 1 की उपधारा (2) में शब्द ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' का लोप किया जाएगा।
83.	द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मेरिज एक्ट, 2007	धारा 1 की उपधारा (2) में शब्द ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' का लोप किया जाएगा।
84.	द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लाइमेंट एज मैनुअल स्केवेन्जर्स एण्ड दीयर रिहेब्लिटेशन एक्ट, 2013	धारा 1 की उपधारा (2) में शब्द ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' का लोप किया जाएगा।
85.	द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉम सैक्सुअल ओफेन्सेस एक्ट, 2012	धारा 1 की उपधारा (2) में शब्द ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' का लोप किया जाएगा।
86.	द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, 1994	धारा 1 की उपधारा (2) के परन्तुक का लोप किया जाएगा।
87.	द प्रोटेक्शन ऑफ वूमेन फार्म डोमेस्टिक वाइलेंस एक्ट, 2005	धारा 1 की उपधारा (2) में शब्द ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' का लोप किया जाएगा।
88.	द पब्लिक गेमबलिंग एक्ट, 1867	समग्र रूप से लागू किया जाएगा।
89.	द पब्लिक रिकार्ड्स एक्ट, 1993	समग्र रूप से लागू किया जाएगा।
90.	द रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908	धारा 1 की उपधारा (2) में शब्द ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' का लोप किया जाएगा।
91.	द रिलिजियस एन्डोमेंटस एक्ट, 1863	समग्र रूप में लागू।
92.	द रिलिजियस इस्टिट्यूशंस (प्रिवेन्शन ऑफ मिसयूज) एक्ट, 1988	धारा 1 की उपधारा (2) में शब्द ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' का लोप किया जाएगा।
93.	द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एण्ड कम्पलसरी एजूकेशन एक्ट, 2009	धारा 1 की उपधारा (2) में शब्द ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' का लोप किया जाएगा।
94.	द राइट टू फेयर कम्पेनसेशन एण्ड ट्रांसपरेंसी इन लैण्ड एक्यूजिशन, रिहेब्लिटेशन एण्ड रीसेटलमेंट एक्ट, 2013	धारा 1 की उपधारा (2) में शब्द ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' का लोप किया जाएगा।
95.	द राइट टू इन्फोर्मेशन एक्ट, 2005	धारा 1 की उपधारा (2) में शब्द ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' का लोप किया जाएगा।
96.	द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, 1930	धारा 1 की उपधारा (2) में शब्द ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' का लोप किया जाएगा।

क्रम सं॰	अधिनियम का नाम	धारा/संशोधन
97.	द शिड्यूल्ड ट्राइब्स एण्ड अदर ट्रेडिशनल फारेस्ट ड्वेलर्स (रिकगनिशन ऑफ फोरेस्ट्स राइट्स) एक्ट, 2007	धारा 1 की उपधारा (2) में शब्द ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' का लोप किया जाएगा।
98.	द शिडियूल्ड कास्ट एण्ड द शिड्यूल्ड ट्राइब्स (प्रिवेन्शन ऑफ एट्रोसिटीज) एक्ट, 1989	धारा 1 की उपधारा (2) में शब्द ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' का लोप किया जाएगा।
99.	द स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954	धारा 1 की उपधारा (2) में शब्द ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' का लोप किया जाएगा।
100.	द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, 1963	धारा 1 की उपधारा (2) में शब्द ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' का लोप किया जाएगा।
101.	द स्यूटस वैल्यूशन एक्ट, 1887	समग्र रूप से लागू किया जाएगा।
102.	द ट्रांसफर ऑफ प्रापर्टी एक्ट, 1882	समग्र रूप से लागू किया जाएगा।
103.	द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन आर्गन्स एण्ड टिस्सूज एक्ट, 1994	समग्र रूप से लागू किया जाएगा।
104.	द वक्फ एक्ट, 1985	धारा 1 की उपधारा (2) में शब्द ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' का लोप किया जाएगा।
105.	द विसिल ब्लोवर्स प्रोटेक्शन एक्ट, 2014	धारा 1 की उपधारा (2) में शब्द ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' का लोप किया जाएगा।
106.	द वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972	धारा 1 की उपधारा (2) में शब्द ''जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय'' का लोप किया जाएगा।

तालिका–दो

राज्य के नियम, जो संशोधनों के साथ जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए लागू होगें।

क्रम सं॰	वर्ष	संख्या	संक्षिप्त नाम	संशोधन
1	2	3	4	5
1.	सम्वत् 1977 (1920 ए डी)	XLII	द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट	धारा 139 और धारा 140 का लोप किया जाएगा।
2.	सम्वत् 1995 (1938 ए डी)	V	द जम्मू एण्ड कश्मीर ऐलाइनेशन ऑफ लैण्ड एक्ट	धारा 4 और धारा 4क का लोप किया जाएगा।
3.	सम्वत् 2007 (1950 ए डी)	XVII	द जम्मू एण्ड कश्मीर बिग लैन्डिड एस्टेट्स एबोलिशन एक्ट	धारा 20क का लोप किया जाएगा।
4.	1960	XXXVIII	द जम्मू एण्ड कश्मीर लैण्ड ग्रांट्स एक्ट	क. धारा 4 की उपधारा 1 के परंतुकों का लोप किया जाएगा। ख. धारा 4 की उपधारा 2 के खण्ड (i) का लोप किया जाएगा।
5.	1976	XVII	द जम्मू एण्ड कश्मीर एग्रैरियन रिफॉर्म्स एक्ट	धारा 17 का लोप किया जाएगा।
6.	1989	X	द जम्मू एण्ड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट	धारा 17 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) के उप–खण्ड (ii) का लोप किया जाएगा।
7.	2004	XIV	द जम्मू एण्ड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट	क. धारा 2 में खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड को अंत:स्थापित किया जाएगा, नामत: ''(छक) ''आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों'' का आशय उन श्रेणियों से है जोकि सरकार द्वारा परिवार की आय और आर्थिक रूप से वंचित अन्य सूचकों के आधार पर समय–समय पर अधिसूचित की जा सकती है जिसमें खण्ड (एम), (एन) और (ओ) में परिभाषित वर्ग अथवा श्रेणियां शामिल नहीं है। ख. धारा 3 के अंतर्गत उप धारा (1) में,– (i) खण्ड (क) में अन्त में आने वाले शब्द ''और'' का लोप किया जाएगा। (ii) खण्ड (ख) में शब्द ''पिछड़ा वर्गों'' को शब्द ''पिछड़ा वर्गों; और'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा। (iii) खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड को अंत:स्थापित किया जाएगा, नामश:– ''(ग) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों:''; (iv) प्रथम परंतुक में शब्द ''आरक्षण का कुल प्रतिशत'' को शब्द, कोष्ठक और अक्षर ''खण्ड (क) और (ख) में उपबंधित के अनुसार आरक्षण का कुल प्रतिशत'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

1	2	3	4	5
				(v) दूसरे परंतुक में शब्द ''परन्तु यह और कि'' को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामश:— ''परन्तु यह और कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के लिए नियुक्तियों में आरक्षण मौजूदा आरक्षण जैसा कि इस उप-खण्ड में प्रावधान किया गया है, के अतिरिक्त होगा, बशर्ते यह आरक्षण प्रत्येक श्रेणी के पदों का अधिकतम दस प्रतिशत होगा: परन्तु यह भी कि''। ग. खण्ड 9 के तहत उप-खण्ड (1) में,— (i) ''आरक्षित होगा'' से आरंभ होने वाले और ''समय-समय पर;'', से समाप्त होने वाले भाग को निम्नलिखित से अंत:स्थापित किया जाएगा:— ''निम्नलिखित अभ्यर्थियों के लिए व्यावसायिक संस्थानों में सीट आरक्षित होंगी,— (क) आरक्षित श्रेणियां और ऐसी अन्य वर्ग अथवा श्रेणियां जो कि समय-समय पर अधिसूचित की जा सकती है; और (ख) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों:''; (ii) परंतुक में शब्द ''आरक्षण का कुल प्रतिशत'' को शब्द, कोष्ठक और अक्षर ''खण्ड (क) में उपबंधित अनुसार आरक्षण का कुल प्रतिशत'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा; (iii) परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा; नामश:— ''परन्तु यह और है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक संस्थानों में आरक्षण मौजूदा आरक्षण इस उप-खण्ड में यथा उपबंधित के अतिरिक्त होगा, और यह आरक्षण प्रत्येक श्रेणी में सीटों के अधिकतम दस प्रतिशत के अध्यधीन होगा।''।

तालिका–3

राज्यपाल के अधिनियम सहित राज्य के कानून जो जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र; और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में निरस्त किए गए हैं

क्रम सं॰	अधिनियम का नाम	अधिनियम/अध्यादेश संख्या
1.	द जम्मू एण्ड कश्मीर अकाउंटेबिलिटी कमीशन एक्ट, 2002	2002 का XXXVIII
2.	द जम्मू एण्ड कश्मीर एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट, 1997	1997 का XXVI
3.	द जम्मू एण्ड कश्मीर एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स एक्ट, 1962	1962 का XXI
4.	द जम्मू एण्ड कश्मीर (इस्टेट) एग्रीकल्चरल प्रोड्यूज मार्केटिंग रेग्यूलेशन एक्ट, 1997	1997 का XXXVI
5.	द जम्मू एण्ड कश्मीर आनन्द मैरिज एक्ट, 1954	2011 का IX
6.	द जम्मू एण्ड कश्मीर एनिमल डिसीज (कंट्रोल) एक्ट, 1949	2006 का XV
7.	द जम्मू एण्ड कश्मीर आपर्टमेंट ओनरशिप एक्ट, 1989	1989 का I
8.	द जम्मू एण्ड कश्मीर आर्बिट्रेशन एण्ड कांसिलिएशन एक्ट, 1997	1997 का XXXV
9.	द जम्मू एण्ड कश्मीर आर्य समाजिस्ट मैरिजिज (वेलिडेशन) एक्ट, 1942	सम्वत 1999 का III
10.	द जम्मू एण्ड कश्मीर आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी प्रैक्टिशनर्स एक्ट, 1959	1959 का XXVI
11.	द जम्मू एण्ड कश्मीर बैंकर्स बुक्स एविडेन्स एक्ट, 1920	1977 का VI
12.	द जम्मू एण्ड कश्मीर बेनामी ट्रान्जेक्शन्स (प्रोहिबिशन) एक्ट, 2010	2010 का V
13.	द जम्मू एण्ड कश्मीर बॉयलर्स एक्ट, सम्वत, 1991	सम्वत 1991 का IV
14.	बुद्धिस्ट पॉलिएंड्रस मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, 1941	1998 का II
15.	द जम्मू एण्ड कश्मीर कैटल ट्रैसपास एक्ट, 1920	1977 का VII
16.	द जम्मू एण्ड कश्मीर चैरिटेबल एण्डोमैन्ट्स एक्ट, 1989	1989 का XIV
17.	द जम्मू एण्ड कश्मीर चिट् फण्ड्स एक्ट, 2016	2016 का XI
18.	द जम्मू एण्ड कश्मीर क्रिश्चियन मैरिज एण्ड डिवोर्स एक्ट, 1957	1957 का III
19.	द जम्मू एण्ड कश्मीर सिनेमौटोग्राफ एक्ट, 1933	1989 का XXIV
20.	कोड ऑफ सिविल प्रोसिजर, सम्वत 1977	सम्वत 1977 का X
21.	कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर, सम्वत 1989	सम्वत 1989 का XXIII
22.	द जम्मू एण्ड कश्मीर कलैक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक्स एक्ट, 2010	2010 का XVIII
23.	द जम्मू एण्ड कश्मीर (स्टेट) कमिशन फॉर वीमन एक्ट, 1999	1999 का V
24.	द जम्मू एण्ड कश्मीर कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट, 1962	1962 का XXXII
25.	द जम्मू एण्ड कश्मीर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 1987	1987 का XIVI
26.	द जम्मू एण्ड कश्मीर कन्टैम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, 1997	1997 का XXV
27.	द जम्मू एण्ड कश्मीर कंटीन्जेंसी फण्ड एक्ट, 1957	1957 का XXIV
28.	द जम्मू एण्ड कश्मीर कान्ट्रैक्ट एक्ट, सम्वत 1977	सम्वत 1977 का IX

क्रम सं॰	अधिनियम का नाम	अधिनियम/अध्यादेश संख्या
29.	द जम्मू एण्ड कश्मीर कोर्ट फीस एक्ट, सम्वत 1977	सम्वत 1977 का VII
30.	द जम्मू एण्ड कश्मीर कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक्ट, सम्वत 1977	सम्वत 1977 का LII
31.	द जम्मू एण्ड कश्मीर क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेन्ट एक्ट, सम्वत 1993	सम्वत 1993 का I
32.	द जम्मू एण्ड कश्मीर क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेन्ट एक्ट, 1958	1958 का III
33.	द जम्मू एण्ड कश्मीर क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेन्ट एक्ट, 1983	1983 का X
34.	द जम्मू एण्ड कश्मीर कस्टम्स एक्ट, सम्वत 1958	सम्वत 1958 का VIII
35.	द जम्मू एण्ड कश्मीर देहि अदालत एक्ट, 2013	2013 का XV
36.	द जम्मू एण्ड कश्मीर डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकार्ड्स एक्ट, 1920	1977 का XII
37.	द जम्मू एण्ड कश्मीर डिस्प्लेस्ड पर्सन्स (परमानेन्ट सेटलमेन्ट) एक्ट, 1971	1971 का X
38.	द जम्मू एण्ड कश्मीर डिजोल्युशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, 1942	सम्वत 1999 का X
39.	द जम्मू एण्ड कश्मीर डॉवरी रेस्ट्रेन्ट एक्ट, 1960	1960 का XXXVI
40.	द जम्मू एण्ड कश्मीर ईजमेन्ट्स एक्ट, 1920	सम्वत 1977 का XIV
41.	द जम्मू एण्ड कश्मीर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2010	2010 का XIII
42.	द जम्मू एण्ड कश्मीर इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) एक्ट, 1963	1963 का XI
43.	द जम्मू एण्ड कश्मीर एम्प्लोइज फण्ड्स (एण्ड) मिसलेनियस प्रोविजन्स एक्ट, 1961	1961 का XV
44.	द जम्मू एण्ड कश्मीर एम्प्लायमेन्ट ऑफ मैनुअल स्केवेन्जर्स एण्ड कन्सट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स (प्रोहिबिशन) एक्ट, 2010	2010 का XIX
45.	द जम्मू एण्ड कश्मीर एनर्जी कन्जर्वेशन एक्ट, 2011	2011 का XIV
46.	द जम्मू एण्ड कश्मीर एपीडेमिक डिजीज एक्ट, 1920	1977 का XVI
47.	(स्टेट) इवेक्यूस (एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोपर्टी) (वैलिडेशन ऑफ ऑडर्स, प्रोसीडिंग्स एण्ड एक्ट्स) एक्ट 1958	1958 का IV
48.	द जम्मू एण्ड कश्मीर ऐविडेन्स एक्ट, सम्वत 1977 (1920 ए.डी.)	सम्वत 1977 का XIII
49.	द जम्मू एण्ड कश्मीर फेटल एक्सिडेंट्स एक्ट, सम्वत 1977	सम्वत 1977 का XVII
50.	द जम्मू एण्ड कश्मीर फॉरैस्ट एक्ट, सम्वत 1987	सम्वत 1987 का II
51.	द जम्मू एण्ड कश्मीर फॉरैस्ट (कन्जर्वेशन) एक्ट, 1997	1997 का XXX
52.	द जम्मू एण्ड कश्मीर फॉरैस्ट (सेल ऑफ टिम्बर) एक्ट, सम्वत 1987	सम्वत 1987 का III
53.	द जम्मू एण्ड कश्मीर जनरल क्लॉजेज एक्ट, सम्वत 1977	सम्वत 1977 का XX
54.	द जम्मू एण्ड कश्मीर गुड कन्डक्ट प्रिजनर्स (टेम्पोरेरी रिलीज) एक्ट, 1978	1978 का VII
55.	गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स (हैल्ड इन डिटेन्शन) एक्ट, 1956	1956 का XV
56.	द जम्मू एण्ड कश्मीर ग्रान्ट ऑफ परमिट फॉर रिसैटलमेन्ट इन (ऑर परमानेन्ट रिटर्न टू) द स्टेट एक्ट, 1982	1982 का X
57.	द जम्मू एण्ड कश्मीर गारजियंस एण्ड वॉर्ड्स एक्ट, सम्वत 1977	सम्वत 1977 का XIX
58.	द जम्मू एण्ड कश्मीर हिन्दू एडोपशन्स एण्ड मेन्टीनेन्स एक्ट, 1960	1960 का II

क्रम सं॰	अधिनियम का नाम	अधिनियम/अध्यादेश संख्या
59.	द जम्मू एण्ड कश्मीर हिन्दू डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सम्वत 1997	सम्वत 1997 का XVI
60.	द जम्मू एण्ड कश्मीर हिन्दू इनहेरिटेन्स (रिमूवल ऑफ डिसैबिलिटीज) एक्ट, सम्वत 1997	सम्वत 1997 का XVIII
61.	द जम्मू एण्ड कश्मीर हिन्दू मैरिज एक्ट, 1980	1980 का IV
62.	द जम्मू एण्ड कश्मीर हिन्दू मैरिज (वैलिडेशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1963	1963 का XVI
63.	द जम्मू एण्ड कश्मीर हिन्दू मिनॉरिटी एण्ड गार्जियनशिप एक्ट, 1957	1957 का VII
64.	द जम्मू एण्ड कश्मीर हिन्दू सक्सेशन एक्ट, 1956	1956 का XXXVIII
65.	द जम्मू एण्ड कश्मीर हिन्दू विड्ोज़ रिमैरिज एण्ड प्रॉपर्टी एक्ट, सम्वत 1989	सम्वत 1989 का XXIX
66.	द जम्मू एण्ड कश्मीर होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर एक्ट, 2003	2003 का VIII
67.	द जम्मू एण्ड कश्मीर आइडेन्टिफिकेशन ऑफ प्रीजनर्स एक्ट, सम्वत 1994	सम्वत 1994 का IV
68.	द जम्मू एण्ड कश्मीर इन्फैंट मैरिज प्रिवेन्शन एक्ट, सम्वत 1985	सम्वत 1985 का I
69.	इन्स्ट्रूमेन्ट्स (कंट्रोल ऑफ न्वायजेज) एक्ट, 1959	1959 का VII
70.	जुडीशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट, 1971	
71.	द जम्मू एण्ड कश्मीर जुवेनाइल जस्टिस (केयर एण्ड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) एक्ट, 2013	2013 का VII
72.	द जम्मू एण्ड कश्मीर जुवेनाइल स्मोकिंग एक्ट, सम्वत 1986	सम्वत 1986 का II
73.	लैण्ड एक्युजिशन एक्ट, सम्वत 1990	सम्वत 1990 का X
74.	लीगल प्रैक्टिशनर्स (फीस) एक्ट, सम्वत 1988	सम्वत 1988 का VII
75.	द जम्मू एण्ड कश्मीर लीगल रिप्रेजेन्टेटिव्स स्यूट्स एक्ट, सम्वत 1977	सम्वत 1977 का XXII
76.	द जम्मू एण्ड कश्मीर लीगल सर्विस अथोर्टिज एक्ट, 1997	1997 का XXXIII
77.	द जम्मू एण्ड कश्मीर लिमिटेशन एक्ट, सम्वत 1995	सम्वत 1995 का IX
78.	द जम्मू एण्ड कश्मीर लाइवस्टॉक इम्प्रूवमेन्ट एक्ट, सम्वत 1996	सम्वत 1996 का XXIII
79.	द जम्मू एण्ड कश्मीर लोकल अथोर्टीज लोन्स एक्ट, सम्वत 1997	सम्वत 1997 का VI
80.	द जम्मू एण्ड कश्मीर ल्यूनेसी एक्ट, सम्वत 1977	सम्वत 1997 का XXV
81.	द जम्मू एण्ड कश्मीर मेंटीनेन्स एण्ड वैलफेयर ऑफ पेरेन्ट्स एण्ड सीनियर सिटिजन्स एक्ट, 2014	2014 का XVI
82.	द जम्मू एण्ड कश्मीर मेजॉरिटी एक्ट, सम्वत 1977	सम्वत 1977 का XXVI
83.	द जम्मू एण्ड कश्मीर मैडिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट, सम्वत 1998	सम्वत 1998 का IV
84.	द जम्मू एण्ड कश्मीर मैडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेन्सी एक्ट, 1974	1974 का XXIII
85.	द जम्मू एण्ड कश्मीर मुस्लिम डॉवर एक्ट, सम्वत 1977	सम्वत 1977 का XLIV
86.	द जम्मू एण्ड कश्मीर मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) एप्लिकेशन एक्ट, 2007	2007 का IV
87.	द जम्मू एण्ड कश्मीर मुस्लिम स्पेसीफाइड वक्फ एण्ड स्पेसीफाइड वक्फ प्रॉपर्टीज़ (मैनेजमेन्ट एण्ड रेग्युलेशन) एक्ट, 2004	2004 का VIII
88.	द जम्मू एण्ड कश्मीर नेश्नलाईज्ड ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग एक्ट, 1987	1987 का VII
89.	(स्टेट) न्यूजपेपर्स (इन्साइटमेन्ट्स टू ऑफेन्सिस) एक्ट, सम्वत 1971	सम्वत 1971 का VIV

क्रम सं॰	अधिनियम का नाम	अधिनियम/अध्यादेश संख्या
90.	द जम्मू एण्ड कश्मीर नर्सिंग काउन्सिल एक्ट, 2012	2012 का IV
91.	द जम्मू एण्ड कश्मीर नर्सिंग होम्स एण्ड क्लीनिकल एस्टेब्लिसमेन्ट्स (रजिस्ट्रेशन एण्ड लाइसेंसिग) एक्ट, 1963	1963 का XXXIX
92.	ऑफिशियल सिक्रेट्स एक्ट, सम्वत 1977	सम्वत 1977 का XLIII
93.	ओपियम स्मोकिंग एक्ट, सम्वत 2011	सम्वत 2011 का XXXII
94.	ऐसेन्शियल सर्विस (मेन्टीनेन्स) ऑर्डिनेन्स, सम्वत 2001	सम्वत 2001 का IX
95.	होर्डिंग्स एण्ड प्रोफिटियरिंग प्रीवेन्शन ऑर्डिनेन्स, सम्वत 2000	सम्वत 2000 का XIX
96.	पुलिस एनहॉन्सड पैनल्टिज़ ऑर्डिनेन्स, सम्वत 2005	सम्वत 2005 का III
97.	प्रीवेन्शन ऑफ करप्शन ऑर्डिनेन्स, 2001	सम्वत 2001 का IV
98.	द जम्मू एण्ड कश्मीर पब्लिक सर्वेंट्स ट्रांसफर ऑफ इमुवेबल प्रॉपर्टी (रेस्ट्रिक्शन) ऑर्डिनेन्स, 2004	सम्वत 2004 का XXX
99.	द जम्मू एण्ड कश्मीर पार्टिशन एक्ट, सम्वत 1977	सम्वत 1977 का XXX
100.	द जम्मू एण्ड कश्मीर पार्टनरशिप एक्ट, सम्वत 1996	सम्वत 1996 का V
101.	द जम्मू एण्ड कश्मीर परमानेंट रेजिडेन्ट्स सर्टिफिकेट (प्रोसिजर) एक्ट, 1963	1963 का XIII
102.	द जम्मू एण्ड कश्मीर फार्मेसी एक्ट, सम्वत 2011	सम्वत 2011 का LIII
103.	द जम्मू एण्ड कश्मीर पॉइजन्स एक्ट, सम्वत 1977	सम्वत 1977 का XXXIV
104.	द जम्मू एण्ड कश्मीर प्रीकन्सेप्शन एण्ड प्रिनैटल सेक्स सलेक्शन (प्रोहिबिशन एण्ड रेग्युलेशन) एक्ट, 2002	2002 का XXXI
105.	(स्टेट) प्रैस एण्ड पब्लिकेशन्स एक्ट, सम्वत 1989	सम्वत 1989 का I
106.	द जम्मू एण्ड कश्मीर प्रीवेन्शन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एण्ड मेन्टीनेन्स ऑफ सप्लाईज़ ऑफ ऐसेन्शियल कोमोडिटिज़ एक्ट, 1988	1988 का XXV
107.	द जम्मू एण्ड कश्मीर प्रीवेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट, सम्वत 2006	सम्वत 2006 का XIII
108.	द जम्मू एण्ड कश्मीर प्रीवेन्शन ऑफ क्रुअल्टी टू एनीमल एक्ट, सम्वत 1990	सम्वत 1990 का XIII
109.	द जम्मू एण्ड कश्मीर प्रीवेन्शन ऑफ डिफेसमेन्ट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1985	1985 का XIX
110.	द जम्मू एण्ड कश्मीर प्रीवेन्शन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नॉर्कोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेन्स एक्ट, 1988	1988 का XXIII
111.	द जम्मू एण्ड कश्मीर प्रीवेन्शन ऑफ इन्सल्ट टू स्टेट हॉनर एक्ट, 1979	1979 का X
112.	द जम्मू एण्ड कश्मीर प्रीजनर्स एक्ट, सम्वत 1977	सम्वत 1977 का XXXIII
113.	द जम्मू एण्ड कश्मीर प्रीजनर्स एक्ट, सम्वत 1977	सम्वत 1977 का XXXI
114.	द जम्मू एण्ड कश्मीर प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज़ (रेग्युलेशन) एक्ट, 2015	2015 का IX
115.	द जम्मू एण्ड कश्मीर प्राइज कम्पीटिशन एक्ट, 1956	1956 का XII
116.	द जम्मू एण्ड कश्मीर प्रोबेशन ऑफ ऑफेन्डर्स एक्ट, 1966	1966 का XXXVII
117.	द जम्मू एण्ड कश्मीर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमैन राईट एक्ट, 1997	1997 का XV
118.	द जम्मू एण्ड कश्मीर प्रोटेक्शन ऑफ वुमैन फ्रॉम डोमैस्टिक वॉइलेन्स एक्ट, 2010	2010 का XI

क्रम सं॰	अधिनियम का नाम	अधिनियम/अध्यादेश संख्या
119.	द जम्मू एण्ड कश्मीर प्रोविडेन्ट फण्ड एक्ट, सम्वत 1998	सम्वत 1998 का XXII
120.	द जम्मू एण्ड कश्मीर पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट, सम्वत 1977	सम्वत 1977 का XVIII
121.	द जम्मू एण्ड कश्मीर पब्लिक प्रॉपर्टी (प्रीवेन्शन ऑफ डैमेज) एक्ट, 1985	1985 का XX
122.	द जम्मू एण्ड कश्मीर पब्लिक सर्वेन्ट्स (इन्क्वायरीज़) एक्ट, सम्वत 1977	सम्वत 197 का XXVIII
123.	(स्टेट) रनबीर पेनल कोड, सम्वत 1989	सम्वत 1989 का XII
124.	द जम्मू एण्ड कश्मीर रजिस्ट्रेशन एक्ट, सम्वत 1977	सम्वत 1977 का XXXV
125.	द जम्मू एण्ड कश्मीर रजिस्ट्रेशन (अमेन्डमेन्ट एण्ड वैलिडेशन ऑफ ट्रान्सफर्स ऑफ प्रॉपर्टी) एक्ट, 1955	1955 का VI
126.	रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड्स (वेलिडेटिंग) एक्ट, सम्वत 2008	सम्वत 2008 का VI
127.	रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड्स (वेलिडेशन) एक्ट, 1956	1956 का XXI
128.	रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड्स (वेलिडेटिंग) एक्ट, 1968	1968 का XXXIII
129.	रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड्स (वेलिडेशन) एक्ट, 1976	1976 का I
130.	रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड्स (वेलिडेशन) एक्ट, 1985	1985 का IX
131.	द जम्मू एण्ड कश्मीर रिलिजियस एण्डोमेन्ट्स एक्ट, सम्वत 1977	सम्वत 1977 का L
132.	द जम्मू एण्ड कश्मीर रिप्रैजेन्टेशन ऑफ द पीपुल एक्ट, 1957	1957 का IV
133.	द जम्मू एण्ड कश्मीर रिक्विजिशनिंग एण्ड एक्यूजिशन ऑफ इम्मूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट, 1968	1968 का XXXV
134.	द जम्मू एण्ड कश्मीर राईट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, 2009	2009 का VIII
135.	द जम्मू एण्ड कश्मीर सेल ऑफ गुडस एक्ट, सम्वत् 1996	सम्वत् 1996 का II
136.	सेपरेशन ऑफ जूडिश्यिल एण्ड एक्जिक्यूटिव एक्ट, सम्वत् 1966	सम्वत् 1996 का XI
137.	द जम्मू एंड कश्मीर स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट, सम्वत् 1968	
138.	सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, सम्वत् 1998	सम्वत् 1998 का VI
139.	द जम्मू एंड कश्मीर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सम्वत् 1977	सम्वत् 1977 का XXXVIII
140.	द जम्मू एण्ड कश्मीर स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मीजर्स (इन्फोर्समेंट) एक्ट, सम्वत् 1997	1996 का XXXVII
141.	द जम्मू एण्ड कश्मीर सक्शेसन सर्टिफिकेट एक्ट, सम्वत् 1977	सम्वत् 1977 का XXXIX
142.	सक्शेसन (प्रोपर्टी प्रोटेक्शन) एक्ट, सम्वत् 1977	सम्वत् 1977 का XXXVI
143.	द जम्मू एण्ड कश्मीर सूट्स वैल्युएशन एक्ट, सम्वत् 1977	सम्वत् 1977 का XXXVII
144.	द जम्मू एण्ड कश्मीर सपरेशन ऑफ इन्डिसेंट एडवरटाइजमेंट एक्ट, सम्वत् 2003	सम्वत् 2003 का IX
145.	द जम्मू एण्ड कश्मीर ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट, सम्वत् 1977	सम्वत् 1977 का XLII
146.	द जम्मू एण्ड कश्मीर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ हयूमन ऑर्गन एक्ट, 1977	1977 का III
147.	द जम्मू एण्ड कश्मीर ट्रस्ट्स एक्ट, सम्वत् 1977	सम्वत् 1977 का XLI
148.	द जम्मू एण्ड कश्मीर वेनेरियल डिजीज एक्ट, सम्वत् 2000	सम्वत् 2000 का XXI

क्रम सं॰	अधिनियम का नाम	अधिनियम/अध्यादेश संख्या
149.	वेटरिनरी काउन्सिल एक्ट, 2001	2001 का XXI
150.	द जम्मू एण्ड कश्मीर (स्टेट) विलेज एंड टाउन पेट्रॉल एक्ट, 1959	1959 का XXIV
151.	द जम्मू एण्ड कश्मीर विलेज सैनिटेशन एक्ट, सम्वत् , 1990	सम्वत् 1990 का
152.	द जम्मू एण्ड कश्मीर वक्फ एक्ट, 2001	2001 का III
153.	द जम्मू एण्ड कश्मीर वाइल्डलाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1978	1978 का VIII

क्रम सं॰	गवर्नर्स एक्ट का नाम	गवर्नर्स एक्ट सं॰
1.	द जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट ट्रस्ट फॉर वेल्फेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म सेरेब्रल पल्सी, मेंटल रिटारजेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक्ट, 2018	2018 का VI
2.	द जम्मू एण्ड कश्मीर ड्रग्स एंड मैजिक रेमिडीज (आब्जेक्शनेबल एडवर्टिजमेंट) एक्ट, 2018	18 का VIII
3.	द जम्मू एण्ड कश्मीर सिंगल विंडो (इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेश फेसिलिटेशन) एक्ट, 2018	2018 का X
4.	द जम्मू एण्ड कश्मीर कॉमर्शियल कोर्ट्स एक्ट, 2018	2018 का XIII
5.	द जम्मू एण्ड कश्मीर फेमिली कोर्ट्स एक्ट, 2018	2018 का XXIV
6.	द जम्मू एण्ड कश्मीर आधार (टारगेटेड डेलिवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज, बेनिफिट्स एंड सविसेज) एक्ट, 2018	2018 का XXXIV
7.	द जम्मू एण्ड कश्मीर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल वाइलेंश एक्ट, 2018	2018 का II
8.	द जम्मू एण्ड कश्मीर राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, 2018	2018 का XL
9.	द जम्मू एण्ड कश्मीर प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रोपर्टी ट्रांजेक्शन्स एक्ट, 2018	2018 का XLIII
10.	द जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमन एंड चाइल्ड राइट्स एक्ट, 2018	2018 का XLVI
11.	द जम्मू एण्ड कश्मीर रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2018	2018 का LIII

टेबल–4

राज्यपाल के अधिनियमों सहित राज्य अधिनियम को जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में लागू रहेंगे :—

क्रम सं॰	अधिनियम का नाम	अधिनियम/अध्यादेश संख्या
1.	द जम्मू एण्ड कश्मीर ऐरियल रोपवे एक्ट, 2002	2002 का XII
2.	द जम्मू एण्ड कश्मीर एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट, 1976	1976 का XVII
3.	एग्रीकल्चरिस्ट्स रिलीफ एक्ट, सम्वत् 1983	सम्वत् 1983 का I
4.	द जम्मू एण्ड गवर्नमेंट एड टू एग्रीकल्चरिस्ट्स एंड लैंड इम्प्रूवमेंट एक्ट, सम्वत् 1993	1993 का VII
5.	द जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट एड टू इंडस्ट्रीज एक्ट, 1961	1961 का XCII
6.	द जम्मू एण्ड कश्मीर एलाइनेशन ऑफ लैंड एक्ट, सम्वत् 1995	सम्वत् 1995 का V
7.	द जम्मू एण्ड कश्मीर एनेटॉमी एक्ट, 1959	1959 का XXII
8.	द जम्मू एण्ड कश्मीर एनसिएन्ट मोनूमेंट्स प्रिजरवेशन एक्ट, सम्वत् 1977	सम्वत् 1977 का V
9.	द जम्मू एण्ड कश्मीर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी एक्ट, 2002	2002 का XVI
10.	द जम्मू एण्ड कश्मीर बिग लैंडेड एस्टेट्स एबोलिशन एक्ट, सम्वत् 2007	सम्वत् 2007 का XVII
11.	द जम्मू एण्ड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एन्ट्रेंश एक्जामिनेशन एक्ट, 2002	2002 का XXV
12.	द जम्मू एण्ड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन एक्ट, 1975	1975 का XXVIII
13.	द जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ टेकनिकल एजूकेशन एक्ट, 2002	2002 का XXIV
14.	द जम्मू एण्ड कश्मीर ब्रिक किन्स (रेग्युलेशन) एक्ट, 2010	2010 का XVII
15.	कैंम्पिंग एंड मूरिंग साइट्स एक्ट, सम्वत् 2004	सम्वत् 2004 का XII
16.	द जम्मू एण्ड कश्मीर चौकीदारी एक्ट 1956	1956 का XXXVII
17.	द जम्मू एण्ड कश्मीर सिविक लॉज (स्पेशल प्रोविजन्स) एक्ट, 2014	2014 का III
18.	द जम्मू एण्ड कश्मीर सिविल कोर्ट्स एक्ट, सम्वत् 1977	1977 का XLVI
19.	द जम्मू एण्ड कश्मीर सिविल सर्विसेज (डिसेन्ट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट) एक्ट, 2010	2010 का XVI
20.	द जम्मू एण्ड कश्मीर सिविल सर्विसेज (स्पेशल प्रोविजन्स) एक्ट, 2010	2010 का XIV
21.	द श्रीनगर एंड जम्मू क्लस्टर यूनिवर्सिटीज एक्ट, 2016	2016 का III
22.	द जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट, 1997	1997 का XXIV
23.	द जम्मू एण्ड कश्मीर कॉमन लैड्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956	1956 का XXIV
24.	द जम्मू एण्ड कश्मीर कॉनसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट, 1962	1962 का XIV
25.	द जम्मू एण्ड कश्मीर कंट्रोल ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन्स् एक्ट, 1988	1988 का XV
26.	द जम्मू एण्ड कश्मीर को-ऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 1989	1989 का X
27.	द जम्मू एण्ड कश्मीर डेब्ट्स रिलीफ एक्ट, 1976	1976 का XL
28.	द जम्मू एण्ड कश्मीर डेलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूजपेपर्स (पब्लिक लाइब्रेरीज) एक्ट, 1961	1961 का XIII

क्रम सं॰	अधिनियम का नाम	अधिनियम/अध्यादेश संख्या
29.	द जम्मू एण्ड कश्मीर डिप्टी मिनिस्टर्स सैलरीज एंड एलॉउसेंस एक्ट, 1957	1957 का VI
30.	द जम्मू एण्ड कश्मीर डिप्टी स्पीकर्स एंड डिप्टी चेयरमैन्स (इमोलुमैंट्स) एक्ट, 1956	1956 का XXII
31.	द जम्मू एण्ड कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट, 1970	1970 का XIX
32.	द जम्मू एण्ड कश्मीर इग्रेस एंड इंटरनल मूवमेंट (कंट्रोल) ऑर्डिनेंस, सम्वत् 2005	सम्वत् 2005 का V
33.	द जम्मू एण्ड कश्मीर एनमी एजेन्ट्स आर्डिनेंस, सम्वत् 2005	सम्वत् 2005 का VIII
34.	द जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट इमरजेंसी रिलीफ फंड एक्ट, 1960	1960 का XIII
35.	द जम्मू एण्ड कश्मीर एक्साइज एक्ट, सम्वत् 1958	
36.	द जम्मू एण्ड कश्मीर एक्सट्रेक्शन ऑफ रेसिन एक्ट, 1988	1988 का IX
37.	द जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट इवेक्यूज (एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोपर्टी) एक्ट, सम्वत् 2006 (1949 ए.डी.)	सम्वत् 2006 का VI
38.	द जम्मू एण्ड कश्मीर फेरी बोट्स कंट्रोल एक्ट, 1971	1971 का XVIII
39.	द जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फाइनेंस कमीशन एक्ट, 2006	2006 का XVIII
40.	द जम्मू एण्ड कश्मीर फाइनेंस कमीशन फॉर पंचायत्स एंड म्यूनिसिपलिटीज एक्ट, 2011	2011 का XVI
41.	द जम्मू एण्ड कश्मीर फायर फोर्स एक्ट, 1967	1967 का XXII
42.	द जम्मू एण्ड कश्मीर फिस्कल रिस्पोसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, 2006	2006 का XII
43.	द जम्मू एण्ड कश्मीर फिशरीज एक्ट, 2018	2018 का XVI
44.	द जम्मू एण्ड कश्मीर फ्लड प्लेन जोन्स (रेग्यूलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2005	2005 का XVII
45.	द जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फोरेस्ट कॉरपोरेशन एक्ट, 1978	1978 का XII
46.	द जम्मू एण्ड कश्मीर फोरेस्ट (प्रोटेक्शन) फोर्स एक्ट, 2001	2001 का VI
47.	द जम्मू एण्ड कश्मीर फ्रूट नर्सरीज (लाइसेंसिज) एक्ट, 1987	1987 का XXII
48.	द जम्मू एण्ड कश्मीर गिफ्ट गुड्स (अनलॉफुल पजेशन) एक्ट, 1963	1963 का XL
49.	द जम्मू एण्ड कश्मीर गोल्फ डेवलेपमेंट और मेजमेन्ट अथॉरिटी एक्ट, 2013	2013 का VIII
50.	द जम्मू एण्ड कश्मीर गुडस एंड सर्विस टैक्स एक्ट, 2017	2017 का V
51.	द जम्मू एण्ड कश्मीर गवर्नमेंट गजट एक्ट, सम्वत् 1945	सम्वत् , 1945 का XII
52.	द जम्मू एण्ड कश्मीर गवर्नर्स स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट, 1956	2018 का गवर्नस एक्ट नं॰ XLII
53.	द जम्मू एण्ड कश्मीर हैबीचुअल ओफेंडर्स (कंट्रोल एंड रिफॉर्म), एक्ट, 1956	1956 का XI
54.	द जम्मू एण्ड कश्मीर हैंडिक्राफ्टस (क्वालिटी कंट्रोल) एक्ट, 1978	1978 का IV
55.	द जम्मू एण्ड कश्मीर हैरीटेज कंजरवेशन एंड प्रिजरवेशन एक्ट , 2010	2010 का XV
56.	द जम्मू एण्ड कश्मीर हाइवेज एक्ट, सम्वत् 2007	सम्वत् 2007 का XXVII
57.	द जम्मू एण्ड कश्मीर होम गार्डस् एक्ट सम्वत् 2006	सम्वत् 2006 का III
58.	द जम्मू एण्ड कश्मीर हाउसिंग बोर्ड एक्ट, सम्वत् 1976	सम्वत् 1976 का VII
59.	द जम्मू एण्ड कश्मीर इंडस्ट्रियल इस्टैबिलिशमेंट (नेशनल एंड फेस्टिवल) होलीडेज एक्ट, 1974	1974 का XIII
60.	द जम्मू एण्ड कश्मीर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स (चेंज इन डेजिगनेशन) एक्ट, 2001	2001 का XIII

क्रम सं॰	अधिनियम का नाम	अधिनियम/अध्यादेश संख्या
61.	द जम्मू एण्ड कश्मीर इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर एक्ट, 2005	2005 का XVIII
62.	द जम्मू एण्ड कश्मीर कचहरी एक्ट, सम्वत् 2011	सम्वत् 2011 का XVIII
63.	कश्मीर एंड जम्मू यूनिवर्सिटीज एक्ट, 1969	1969 का XXIV
64.	कश्मीर सिल्क प्रोटक्शन एक्ट, 1964	
65.	द जम्मू एण्ड कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड एक्ट, 1965	1965 का XVI
66.	लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउन्सिल एक्ट, 1997	1997 का XXXI
67.	लद्दाख बुद्धिस्ट्स सक्सेशन टू प्रोपर्टी एक्ट, सम्वत् 2000	सम्वत् 2000 का XVIII
68.	द जम्मू एण्ड कश्मीर लम्बरदारी एक्ट, 1972	1972 का X
69.	द जम्मू एण्ड कश्मीर लैंड ग्रांट्स एक्ट, 1960	1960 का XXXVIII
70.	द जम्मू एण्ड कश्मीर लैंड इम्प्रूवमेंट स्कीम्स एक्ट 1972	1972 का XXIV
71.	द जम्मू एण्ड कश्मीर लैंड रिवेन्यू एक्ट, सम्वत् 1996	सम्वत् 1996 का XII
72.	द जम्मू एण्ड कश्मीर लेजिसलेटिव एसेम्बली स्पीकर्स इमोल्यूमेंटस एक्ट, 1956	1956 का IV
73.	द जम्मू एण्ड कश्मीर लेजिसलेटिव काउन्सिल चेयरमैन्स (इमोल्यूमेंटस) एक्ट, 1962	1962 का XXVIII
74.	द जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट लेजिसलेचर मेम्बर्स पेंशन एक्ट, 1984	1984 का II
75.	द जम्मू एण्ड कश्मीर लेजिसलेचर (प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन) एक्ट, 1962	1962 का XVI
76.	द जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट लेजिसलेचर प्रोसिडिंग्स (प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन) एक्ट, 1960	1960 का XXXVII
77.	लेवी ऑफ टोल्स एक्ट, सम्वत 1995	सम्वत 1995 का VIII
78.	द जम्मू एण्ड कश्मीर माइग्रेंट इम्मूवेबल प्रॉपर्टी (प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन एण्ड रेस्ट्रेन्ट आन डिस्ट्रेस सेल्स) एक्ट, 1997	सम्वत 1997 का XVI
79.	द जम्मू एण्ड कश्मीर माइग्रेंट (स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स) एक्ट, 1997	सम्वत 1997 का VII
80.	द जम्मू एण्ड कश्मीर मिनिस्टर्स एण्ड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट सैलरीज एक्ट, 1956	1956 का VI
81.	द जम्मू एण्ड कश्मीर मिनिस्टर्स एण्ड प्रेसाइडिंग ऑफीसर्स मेडिकल फैसिलिटीज़ एक्ट, 1975	1975 का XXII
82.	द जम्मू एण्ड कश्मीर मनी लेण्डर्स एण्ड एक्रीडिटेड लोन प्रोवाइडर्स एक्ट, 2010	2010 का XXIII
83.	द जम्मू एण्ड कश्मीर मोटर स्प्रिट एण्ड डीजल ऑयल (टैक्सेशन ऑफ सेल्स) एक्ट, सम्वत 2005	सम्वत 2005 का V
84.	द जम्मू एण्ड कश्मीर मोटर ह्विकल टैक्सेशन एक्ट, 1957	1957 का XXVI
85.	द जम्मू एण्ड कश्मीर मुलवेरी प्रोटेक्शन एक्ट, सम्वत, 2006	सम्वत 2006 का X
86.	द जम्मू एण्ड कश्मीर म्युनिसिपल एक्ट, 2000	2000 का XX
87.	द जम्मू एण्ड कश्मीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, 2000	2000 का XXI
88.	द जम्मू एण्ड कश्मीर म्युनिसिपल ओमबड्समैन एक्ट, 2010	2010 का XX
89.	द जम्मू एण्ड कश्मीर म्युनिसिपैलिटी पब्लिक डिस्क्लोजर एक्ट, 2010	2010 का XXIV
90.	द जम्मू एण्ड कश्मीर मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1981	1981 का XXII
91.	द जम्मू एण्ड कश्मीर नामधा क्वालिटी कन्ट्रोल एक्ट, सम्वत 2010	सम्वत 2010 का VI

क्रम सं॰	अधिनियम का नाम	अधिनियम/अध्यादेश संख्या
92.	नैशनल डिफेन्स फन्ड डोनेशन ऑफ इम्मूवेबल प्रॉपर्टी (इक्जेम्प्सन फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी एण्ड रजिस्ट्रेशन) एक्ट 1963	1963 का V
93.	द जम्मू एण्ड कश्मीर नेचुरल कलैमिटीज़ डेस्ट्राएड एरियाज इम्प्रूवमेन्ट एक्ट, सम्वत 2011	सम्वत 2011 का XXXVIII
94.	द जम्मू एण्ड कश्मीर नॉन-बायोग्रेडेबल मैटिरियल (मैनेजमेन्ट) हैडलिंग एण्ड डिस्पोजेबल एक्ट, 2007	2007 का XII
95.	द जम्मू एण्ड कश्मीर अबसोलीट लॉज (रिपील) एक्ट, 2010	2010 का XXVII
96.	द जम्मू एण्ड कश्मीर ओमबड्समैन फॉर पंचायत एक्ट, 2014	2014 का V
97.	द जम्मू एण्ड कश्मीर पंचायत राज एक्ट, 1989	1989 का IX
98.	द जम्मू एण्ड कश्मीर पैरामेडिकल कॉउन्सिल एक्ट, 1963	2014 का VII
99.	द जम्मू एण्ड कश्मीर पैसेंजर्स टैक्सेशन एक्ट, 1963	1963 का XII
100.	द जम्मू एण्ड कश्मीर प्लांट डिसीज एण्ड पेट्स एक्ट, 1973	1973 का XIV
101.	प्लाईबोर्ड इंडस्ट्रीज (एक्विजीशन ऑफ शेयर्स एण्ड ऑफ द इंडस्ट्रिअल अंडरटेकिंग) एक्ट, 1987	1987 का VI
102.	पुलिस एक्ट, सम्वत 1983	सम्वत 1983 का II
103.	द जम्मू एण्ड कश्मीर प्रिजरवेसन ऑफ स्पेसिफाइड ट्रीज एक्ट, 1969	1969 का V
104.	द जम्मू एण्ड कश्मीर प्रिवेंशन ऑफ बेगरी एक्ट, 1960	1960 का XL
105.	द जम्मू एण्ड कश्मीर प्रिवेंशन ऑफ फ्रैगमेन्टेशन ऑफ एग्रीकलचरल होलडिंगस एक्ट, 1960	1960 का XXV
106.	प्रिवेंशन ऑफ रिबन डेवलपमेंट एक्ट, सम्वत 2007	सम्वत 2007 का XXVI
107.	प्रिवेंशन ऑफ रम रसुम एक्ट, 1997	सम्वत 1997 का I
108.	द जम्मू एण्ड कश्मीर प्रिवेंशन एण्ड सप्रेशन ऑफ सैबोटेज एक्टीविटीज़ एक्ट, 1965	1965 का XXII
109.	द जम्मू एण्ड कश्मीर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्जामिनेशन एक्ट, 1987	1987 का XX
110.	द जम्मू एण्ड कश्मीर प्राइवेट कॉलेज, (रेगुलेशन एण्ड कन्ट्रोल) एक्ट, 2002	2002 का XXII
111.	प्रोबेट एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट, सम्वत 1977	सम्वत 1977 का XXIX
112.	द जम्मू एण्ड कश्मीर प्रोफेशन्स, ट्रेड, कालिंग्स एण्ड इम्प्लाएमेंट टैक्स एक्ट, 2005	2005 का IX
113.	द जम्मू एण्ड कश्मीर प्रोहिबिशन आन कंजरवेशन ऑफ लैंड एण्ड एलाइनेशन ऑफ आर्चर्ड एक्ट, 1975	1975 का VIII
114.	द जम्मू एण्ड कश्मीर प्रोहिबिसन ऑफ स्पेसीफाइड कॉपर यूटेन्सिल्स (बाई मशीन) एक्ट, 2006	2006 का XIII
115.	द जम्मू एण्ड कश्मीर प्रोहिबिसन ऑफ रैगिंग एक्ट, 2011	2011 का VI
116.	द जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट प्रोहिबिसन स्मोकिंग (सिनेमा एण्ड थियेटर हाल्स) एक्ट, सम्वत 2009	2009 का XVIII
117.	द जम्मू एण्ड कश्मीर प्रोहिबिसन ऑफ स्मोकिंग एण्ड नान स्मोकर्स हेल्थ प्रोटेक्शन इन पब्लिक सर्विस ह्विकल एक्ट, 1997	1997 का XX
118.	द जम्मू एण्ड कश्मीर प्रॉपर्टी राइट्स टू स्लम ड्वेलर्स एक्ट, 2012	2012 का XI
119.	द जम्मू एण्ड कश्मीर प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड एक्ट, 2013	2013 का XI

क्रम सं॰	अधिनियम का नाम	अधिनियम/अध्यादेश संख्या
120.	द जम्मू एण्ड कश्मीर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स (इन फाइनेंसियल इस्टैब्लिस्मेंट्स) एक्ट, 2018	2018 का XIII
121.	द जम्मू एण्ड कश्मीर पब्लिक मेन एण्ड पब्लिक सर्वेन्ट डिक्लेरेसन ऑफ एसेट्स एण्ड अदर प्रोविजन्स एक्ट, 1983	1983 का V
122.	द जम्मू एण्ड कश्मीर पब्लिक प्रिमिसेस (इविक्शन ऑफ अन-अथराइज्ड अक्यूपैन्ट्स) एक्ट, 1988	1988 का XVII
123.	द जम्मू एण्ड कश्मीर पब्लिक सेफटी एक्ट, 1978	1978 का VI
124.	द जम्मू एण्ड कश्मीर पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट, 2011	2011 का IX
125.	द जम्मू एण्ड कश्मीर रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स एक्ट, 1956	1956 का XVI
126.	द जम्मू एण्ड कश्मीर रजिस्ट्रेशन ऑफ टूरिस्ट ट्रेड एक्ट, 1978	1978 का IX
127.	द जम्मू एण्ड कश्मीर रेगुलेशन ऑफ अकाउंट्स एक्ट, सम्वत 2001	सम्वत 2001 का XIV
128.	द जम्मू एण्ड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट, 2004	2004 का XIV
129.	द जम्मू एण्ड कश्मीर रेजीडेन्सियल एण्ड कामर्शियल टेनेन्सी एक्ट, 2012	2012 का V
130.	द जम्मू एण्ड कश्मीर रेस्टिट्यूशन ऑफ मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टीज एक्ट, 1976	1976 का XIV
131.	द जम्मू एण्ड कश्मीर राइट ऑफ प्रायर परचेज एक्ट, सम्वत 1993	1993 का II
132.	द जम्मू एण्ड कश्मीर रोड़ सेफ्टी काउसिल एक्ट, 2018	2018 का V
133.	द जम्मू एण्ड कश्मीर सैफोन एक्ट, 2007	2007 का V
134.	सैलरीज एण्ड एलाउंसेज ऑफ मैम्बर ऑफ जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट, 1960	1960 का XIX
135.	सैलरीज एण्ड एलाउंसेज ऑफ लीडर ऑफ ओपोजीसन इन द लेजिस्लेचर एक्ट, 1985	1985 का XVI
136.	द सफायर एक्ट, सम्वत 1989	1989 का XVI
137.	द जम्मू एण्ड कश्मीर स्कूल एजूकेशन एक्ट, 2002	2002 का XXI
138.	द जम्मू एण्ड कश्मीर सैल्फ-रिलाएंट कॉपरेटिब्ज एक्ट, 1999	1999 का X
139.	द जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट शीप एण्ड शीप प्रोडक्ट डेवलपमेंट बोर्ड़ एक्ट, 1979	1979 का IX
140.	शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीक्लचर साईसेज एण्ड टेक्नोलोजी एक्ट, 1982	1982 का VII
141.	शेर-ए-कश्मीर इन्स्टीटयूट ऑफ मैडिकल सांईस (ग्रांड ऑफ डिग्री) एक्ट, 1983	1983 का XII
142.	द जम्मू एण्ड कश्मीर श्री अमरनाथ जी स्राइन एक्ट, 2000	2000 का XVIII
143.	द जम्मू एण्ड कश्मीर श्री माता सुखराला देवी जी एंड श्री माता बाला सुन्दरी स्राइन एक्ट, 2013	2013 का III
144.	द जम्मू एण्ड कश्मीर श्री माता वैष्णों देवी स्राइन एक्ट, 1988	1988 का XVI
145.	द जम्मू एण्ड कश्मीर श्री माता वैष्णों देवी यूनिवर्सिटी एक्ट, 1999	1999 का XII
146.	द जम्मू एण्ड कश्मीर श्री शिव खोरी स्राइन एक्ट, 2008	2008 का IV
147.	द जम्मू एण्ड कश्मीर सिख गुरूद्वारा एण्ड रिलिजियस एण्डोमेन्टस एक्ट, 1973	1973 का XV
148.	द जम्मू एण्ड कश्मीर सिल्क (डेवलपमेंट एण्ड प्रोटेक्शन) एक्ट, 1988	1988 का XXVIII
149.	द जम्मू एण्ड कश्मीर स्पेशल सिक्योरटी ग्रुप एक्ट, 2000	2000 का VI

क्रम सं॰	अधिनियम का नाम	अधिनियम/अध्यादेश संख्या
150.	द जम्मू एण्ड कश्मीर स्पेशल ट्रिब्युनल एक्ट, 1988	1988 का XIX
151.	स्टाम्प एक्ट, सम्वत् 1977	1977 का XL
152.	द जम्मू एण्ड कश्मीर टेनेन्सी एक्ट, सम्वत 1980	1980 का II
153.	द जम्मू एण्ड कश्मीर टेनेन्सी (स्टे ऑफ एजेक्टमेंट प्रोसीडिंग्स) एक्ट, 1966	1966 का XXXIII
154.	द जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट टाउन प्लानिग एक्ट, 1963	1963 का XX
155.	द जम्मू एण्ड कश्मीर ट्रीजर ट्रोव एक्ट, सम्वत 1954	—
156.	द जम्मू एण्ड कश्मीर अडरग्राउंड पब्लिक यूटिलिटीस (इक्यूजिसन ऑफ राईट ऑफ यूजर इन लैंड) एक्ट, 2014	2014 का IV
157.	अरबन इम्मूवेबल प्रोपटी टैक्स (रिपील एण्ड सैविंग) एक्ट, 2002	2002 का XXVIII
158.	द यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख एक्ट, 2018	2018 का गर्वनर का एक्ट, नं॰ LVI
159.	द जम्मू एण्ड कश्मीर अरबन प्रॉपटी (सीलिंग) एक्ट, 1971	1971 का XII
160.	यूजरियस लोन एक्ट, सम्वत 1977	सम्वत 1977 का XLVII
161.	द जम्मू एण्ड कश्मीर यूटीलाइजेसन ऑफ लैंड एक्ट, सम्वत 2010	सम्वत 2010 का IX
162.	द जम्मू एण्ड कश्मीर वैक्सिनेसन एक्ट, 1967	सम्वत 1967 का XXI
163.	द जम्मू एण्ड कश्मीर वैजीटेबल सीड एक्ट, सम्वत 2009	2009 का XII
164.	द जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट विजीलेंस कमीशन एक्ट, 2011	2011 का I
165.	द जम्मू एण्ड कश्मीर वाटर रिसोर्सेज (रैगुलेशन एण्ड मैनेजमेंट) एक्ट, 2010	2010 का XXI
166.	द जम्मू एण्ड कश्मीर विलो (प्रोहिबिसन आन एक्सपोर्ट एण्ड मूवमेन्ट) एक्ट, 2000	2000 का XVI

MGIPMRND—2423RS—05-08-2019.